



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे
2019-20



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



हरियाणा सरकार

विनियोग लेखे

2019-20

हरियाणा सरकार

विषय सूची

प्रस्तावना	पृष्ठ i
विनियोग लेखे का सारांश	ii-xiii
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	xv-xix
1. विधान सभा	1-2
2. राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्	3-6
3. सामान्य प्रशासन	7-14
4. राजस्व	15-30
5. आबकारी तथा कराधान	31-33
6. वित्त	34-44
7. आयोजना तथा सांख्यिकी	45-49
8. भवन तथा सड़कें	50-71
9. शिक्षा	72-89
10. तकनीकी शिक्षा	90-94
11. खेलकूद तथा युवा कल्याण	95-102
12. कला एवं संस्कृति	103-105
13. स्वास्थ्य	106-124
14. नगर विकास	125-127
15. स्थानीय शासन	128-135
16. श्रम	136-137
17. रोजगार	138-140
18. औद्योगिक प्रशिक्षण	141-145
19. अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	146-153
20. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	154-160
21. महिला तथा बाल विकास	161-173
22. भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	174-178
23. खाद्य एवं आपूर्ति	179-183
24. सिंचाई	184-213
25. उद्योग	214-218
26. खान एवं भू-विज्ञान	219-221
27. कृषि	222-234
28. पशुपालन तथा डेरी विकास	235-242
29. मत्स्य पालन	243-245
30. वन तथा वन्य प्राणी	246-254
31. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	255-256
32. ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	257-268
33. सहकारिता	269-275
34. परिवहन	276-283

विषय सूची

	पृष्ठ
35. पर्यटन	284-287
36. गृह	288-295
37. निर्वाचन	296-298
38. लोक-स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति	299-308
39. सूचना तथा प्रचार	309-314
40. ऊर्जा तथा विद्युत	315-321
41. इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी	322-325
42. न्याय प्रशासन	326-330
43. कारागार	331-332
44. मुद्रण तथा लेखन सामग्री	333-335
लोक ऋण	336-337
45. राज्य सरकार द्वारा कर्जे तथा पेशगियां	338-343
परिशिष्ट	344
अनुमानों और वसूलियों के वास्तविक आंकड़ों के अनुदानवार ब्यौरे, जिन्हें व्यय में कमी के रूप में लेखाओं में समायोजित किया गया है ।	

हरियाणा सरकार के वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अधीन पारित किये गये विनियोग अधिनियमों से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत किये गये हैं।

इन लेखाओं में -

‘मूल’ शब्द का आशय मूल अनुदान या विनियोग से है।

‘पूरक’ शब्द का आशय पूरक अनुदान या विनियोग से है।

‘पुनर्वि०’ शब्द का आशय समर्थ प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों या अभ्यर्पणों से है।

प्रभारित विनियोग और **व्यय** मोटे अक्षरों में दिखाए गये हैं।

हरियाणा विधान सभा की लोक लेखा समिति ने अपने पत्र संख्या पी.ए.सी.-10-89/12245 दिनांक 19 जुलाई 1989 द्वारा निम्नलिखित मापदण्ड अनुमोदित किये हैं, जो विनियोग लेखे में टिप्पणी के लिए अपनाये गये हैं :-

बचत

क - जहाँ पर अनुदान/विनियोजन में कुल बचत है -

- (1) यदि अनुदान/विनियोजन में उसके अन्तर्गत किए गये कुल प्रावधान (मूल जमा पूरक) में 2 प्रतिशत से कम कुल बचत है तो व्यक्तिगत उपशीर्ष के अन्तर्गत कोई भी टिप्पणी अथवा टीकाएं आवश्यक नहीं है फिर भी बचत/आधिक्य के महत्वपूर्ण मामलों जहाँ उप-शीर्ष के अन्तर्गत कुल प्रावधान में बचत 10 प्रतिशत तथा ₹ 20 लाख से अधिक है, पर टिप्पणी देना आवश्यक है। इस उद्देश्य हेतु राजस्व एवं पूंजीगत (दत्तमत अथवा प्रभारित) अलग अनुदान/विनियोजन मान्य होंगे।
- (2) ऐसे मामलों में भी जहाँ अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल बचत 2 प्रतिशत या अधिक हो।
- (अ) उपशीर्ष के अन्तर्गत जहाँ बचत कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम हो, बचत हेतु टिप्पणी शामिल नहीं की जायेगी।
- (आ) यदि एक उपशीर्ष के अन्तर्गत कुल बचत कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक है तब विनियोग लेखा में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जायेगा -
- (i) यदि राजस्व/पूंजीगत (दत्तमत अथवा प्रभारित) अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल प्रावधान ₹ 30 करोड़ से अधिक हो तथा उपशीर्ष के अन्तर्गत बचत ₹ 20 लाख से कम हो।
- (ii) यदि एक अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल प्रावधान ₹ 30 करोड़ से कम हो तथा उपशीर्ष के अन्तर्गत बचत ₹ 10 लाख से कम हो।

आधिक्य

ख - जहां कहीं अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल आधिक्य है -

- (अ) यदि एक अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल आधिक्य है तो आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है। फिर भी विनियोजन लेखा में आधिक्य का स्पष्टीकरण केवल अगर एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत तथा ₹ 5 लाख से अधिक है देना आवश्यक है। फिर भी निम्नलिखित मामलों में जहां आधिक्य कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम हो विनियोग लेखा में स्पष्टीकरण देना होता है:-
- (आ) यदि एक अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल प्रावधान:-
- (i) ₹ 30 करोड़ से अधिक तथा एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य ₹ 20 लाख से अधिक हो।
- (ii) ₹ 10 से ₹ 30 करोड़ के बीच में तथा एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य ₹ 10 लाख से अधिक हो।
- (iii) ₹ 10 करोड़ से कम तथा एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य ₹ 5 लाख से अधिक हो।

यद्यपि ये सीमाएँ बिना किसी पूर्वाग्रह के इन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रधान महालेखाकार द्वारा टिप्पणी करने के अधिकार क्षेत्र में होगी।

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
1	2	3	4
(₹ हजार में)			
1 विधान सभा			
दत्तमत	89,84,01		77,99,23
प्रभारित	80,00	0	58,21
2 राज्यपाल तथा मंत्री परिषद्			
दत्तमत	1,99,60,17	0	1,66,26,24
प्रभारित	24,67,00	0	16,71,65
3 सामान्य प्रशासन			
दत्तमत	3,76,26,71	12,50,00	3,37,66,72
प्रभारित	31,43,00	0	24,53,88
4 राजस्व			
दत्तमत	14,40,52,62	0	10,58,31,41
5 आबकारी तथा कराधान			
दत्तमत	2,47,52,01	0	2,24,48,00
6 वित्त			
दत्तमत	1,05,99,12,22	0	90,64,73,00
प्रभारित	1,67,99,61,89	0	1,55,88,01,15
7 आयोजना तथा सांख्यिकी			
दत्तमत	52,95,11	4,09,28,01	34,70,90
8 भवन तथा सड़कें			
दत्तमत	11,72,77,76	44,68,39,99	12,99,77,41
प्रभारित	5,00	60,00,00	0
9 शिक्षा			
दत्तमत	1,43,20,09,51	1,00,00,01	1,36,32,85,35
10 तकनीकी शिक्षा			
दत्तमत	5,87,72,00	0	5,29,49,12
11 खेलकूद तथा युवा कल्याण			
दत्तमत	4,07,01,03	70,00,01	2,92,08,12
12 कला एवं संस्कृति			
दत्तमत	1.34.13.00	0	11.75.50

लेखे का सारांश

पूंजीगत	बचत		अधिकता (₹ वास्तविक अधिकता)		पूंजीगत
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
5	6	7	8	9	
(₹ हजार में)					
	11,84,78	0	0	0	0
0	21,79	0	0	0	0
0	33,33,63	0	0	0	0
0	7,95,35	0	0	0	0
	38,59,99	12,50,00	0	0	0
0	6,89,12	0	0	0	0
0	3,82,21,21	0	0	0	0
0	23,04,01	0	0	0	0
0	15,34,39,22	0	0	0	0
0	12,11,60,74	0			0
2,36,89,30	18,24,21	1,72,38,71	0	0	0
29,70,57,21	0	14,97,82,78	1,26,99,65	0	0
56,47,35	5,00	3,52,65	(1,26,99,64.859)	0	0
0	6,87,24,16	1,00,00,01	0	0	0
0	58,22,88	0	0	0	0
55,39,42	1,14,92,91	14,60,59	0	0	0
0	1.22.37.50	0	0	0	0

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
1	2	3	4
(₹ हजार में)			
13 स्वास्थ्य			
दत्तमत	48,60,54,37	6,94,36,01	44,72,21,02
प्रभारित	25,00	0	21,54
14 नगर विकास			
दत्तमत	5,83,02,01	18,00,00,01	1,05,68,62
15 स्थानीय शासन			
दत्तमत	54,60,02,85	0	31,96,37,27
16 श्रम			
दत्तमत	58,58,01	1,00	51,89,51
17 रोजगार			
दत्तमत	4,70,20,27	0	4,00,45,21
18 औद्योगिक प्रशिक्षण			
दत्तमत	6,59,12,42	75,93,27	4,57,46,52
19 अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण			
दत्तमत	5,13,82,71	7,60,21	2,87,19,28
20 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
दत्तमत	66,84,70,96	18,92,01	66,53,05,50
21 महिला तथा बाल विकास			
दत्तमत	14,23,37,70	1,45,76,81	10,14,11,04
22 भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण			
दत्तमत	2,98,57,00	0	1,22,86,12
23 खाद्य एवं पूर्ति			
दत्तमत	4,32,33,57	1,51,05,86,30	4,58,73,22
प्रभारित	45,00	0	11,00
24 सिंचाई			
दत्तमत	17,25,15,03	18,09,93,74	14,59,65,29
प्रभारित	0	1,05,00,00	0

लेखे का सारांश - जारी

बचत		अधिकता (₹ वास्तविक अधिकता)		
पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
5	6	7	8	9
(₹ हजार में)				
3,22,57,70	3,88,33,35	3,71,78,31	0	0
0	3,46	0	0	0
8,83,71,73	4,77,33,39	9,16,28,28	0	0
0	22,63,65,58	0	0	0
0	6,68,50	1,00	0	0
0	69,75,06	0	0	0
43,80,28	2,01,65,90	32,12,99	0	0
2,50,00	2,26,63,43	5,10,21	0	0
0	31,65,46	18,92,01	0	0
17,92,46	4,09,26,66	1,27,84,35	0	0
0	1,75,70,88	0	0	0
1,41,07,10,16	0	9,98,76,14	26,39,65	0
0	34,00	0	(26,39,64.601)	0
13,33,07,89	2,65,49,74	4,76,85,85	0	0
67,73,64	0	37,26,36	0	0

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
1	2	3	4
	(₹ हजार में)		
25 उद्योग			
दत्तमत	3,25,46,86	15,01,01	2,64,63,70
प्रभारित	10	0	0
26 खान एवं भू-विज्ञान			
दत्तमत	1,34,90,11	0	1,12,52,72
27 कृषि			
दत्तमत	30,56,80,31	0	15,13,83,74
प्रभारित	8,00	0	94
28 पशुपालन तथा डेरी विकास			
दत्तमत	10,06,48,01	20,00,01	8,23,36,82
प्रभारित	20,00	0	6,84
29 मछली पालन			
दत्तमत	74,25,99	0	51,75,49
30 वन तथा वन्य प्राणी			
दत्तमत	5,12,17,91	0	3,33,78,92
प्रभारित	80,00	0	70,71
31 परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण			
दत्तमत	13,09,01	0	11,60,99
32 ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास			
दत्तमत	52,81,74,02	3,00,00,02	39,40,38,17
प्रभारित	40,00	0	8,29
33 सहकारिता			
दत्तमत	3,32,00,49	1,54,90,01	2,84,67,46
प्रभारित	5,00	0	4,45
34 परिवहन			
दत्तमत	24,37,01,60	5,52,11,01	20,49,85,31
35 पर्यटन			

लेखे का सारांश - जारी

बचत		अधिकता (₹ वास्तविक अधिकता)		
पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
5	6	7	8	9
(₹ हजार में)				
13,07,46	60,83,16	1,93,55	0	0
0	10	0	0	0
0	22,37,39	0	0	0
0	15,42,96,57	0	0	0
0	7,06	0	0	0
5,00,00	1,83,11,19	15,00,01	0	0
0	13,16	0	0	0
0	22,50,50	0	0	0
0	1,78,38,99	0	0	0
0	9,29	0	0	0
0	1,48,02	0	0	0
28,58,97	13,41,35,85	2,71,41,05	0	0
0	31,71	0	0	0
67,64,24	47,33,03	87,25,77	0	0
0	55	0	0	0
64,03,58	3,87,16,29	4,88,07,43	0	0

दत्तमत	24,12,01	39,40,01	22,63,49
	viii		

विनियोग

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
1	2	3	4

(₹ हजार में)

36 गृह			
दत्तमत	47,63,39,01	4,10,00,01	44,47,93,71
प्रभारित	80,00		46,83
37 निर्वाचन			
दत्तमत	3,05,03,91	0	1,33,92,56
38 लोक-स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति			
दत्तमत	21,52,79,46	14,70,58,26	18,07,77,59
39 सूचना तथा प्रचार			
दत्तमत	2,61,10,01	50,30,01	2,30,42,41
40 ऊर्जा तथा विद्युत			
दत्तमत	88,66,92,49	58,57,69,04	70,28,67,12
41 इलैक्ट्रॉनिकस तथा सूचना प्रौद्योगिकी			
दत्तमत	1,56,94,51	0	54,49,86
42 न्याय प्रशासन			
दत्तमत	9,10,54,24	0	6,24,08,81
प्रभारित	1,63,94,74	0	1,57,04,27
43 कारागार			
दत्तमत	2,80,27,01	0	2,20,01,28
44 मुद्रण तथा लेखन सामग्री			
दत्तमत	39,18,45	1,50,01	25,06,09
प्रभारित	39,56	0	34,30

28,84,72

1,48,52

10,55,29

0

0

ix

लेखे का सारांश - जारी

बचत		अधिकता (₹ वास्तविक अधिकता)		
पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
5	6	7	8	9
(₹ हजार में)				
2,29,69,62	3,15,45,30	1,80,30,39	0	0
0	33,17	0	0	0
0	1,71,11,35	0	0	0
11,73,72,32	3,45,01,87	2,96,86,03	0	0
40,30,00	30,67,60	10,00,01	0	0
58,41,13,28	18,38,25,37	16,55,76	0	0
0	1,02,44,65	0	0	0
0	2,86,45,43	0	0	0
0	6,90,47	0	0	0
0	60,25,73	0	0	0
1,49,91	14,12,36	0	0	0
0	5,26	0	0	0

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
1	2	3	4
(₹ हजार में)			
लोक ऋण			
प्रभारित	0	2,02,57,14,73	0
45 राज्य सरकार द्वारा कर्जे और पेशगियां			
दत्तमत	0	16,82,27,01	0
जोड़			
दत्तमत	8,37,31,28,46	3,52,72,33,79	6,93,91,26,14
प्रभारित	1,70,23,94,29	2,04,22,14,73	1,57,88,94,06
कुल योग	10,07,55,22,75	5,56,94,48,52	8,51,80,20,20

लेखे का सारांश - जारी

बचत		अधिकता (₹ वास्तविक अधिकता)		
पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
5	6	7	8	9
(₹ हजार में)				
1,57,75,51,09	0	44,81,63,64	0	0
13,09,24,94	0	3,73,02,07	0	0
2,87,76,35,10	1,44,93,41,62	64,95,98,69	1,53,39,30	0
1,58,99,72,08	12,35,00,23	45,22,42,65	0	0
4,46,76,07,18	1,57,28,41,85	1,10,18,41,34	1,53,39,30	0

विनियोग लेखे का सारांश-जारी

वर्ष की समाप्ति से पहले आकस्मिक निधि से लिए गए सभी अग्रिमों को निधि में पुनः जमा कर दिया गया था ।

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में अधिकता के नियमन की आवश्यकता है:-

राजस्व भाग

08- भवन तथा सड़कें

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	11,45,32,76	11,72,77,76	12,99,77,41	(+) 1,26,99,65 (1,26,99,64.859)
पूरक	27,45,00			

23- खाद्य एवं पूर्ति

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	4,30,83,57	4,32,33,57	4,58,73,22	(+) 26,39,65 (26,39,64.601)
पूरक	1,50,00			

विनियोग लेखे का सारांश-समाप्त

क्योंकि अनुदान और विनियोग, व्यय के लिए आवश्यक सकल राशियों के लिए हैं, उनके सामने दिखाए गये व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियां सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें लेखाओं में व्यय की कटौती के रूप में समायोजित किया जाता है। (शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दिखाए जाते हैं)।

2019-20 के विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और इस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गये व्यय के बीच मिलान नीचे दर्शाया गया है:-

	प्रभारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(रुहजार में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	1,57,88,94,06	1,58,99,72,08	6,93,91,26,14	2,87,76,35,10
घटाएं-				
कुल वसूलियां	0	0	3,31,98,95	99,25,37,99
वित्त लेखे की विवरण संख्या 11 में दिखाया गया कुल निवल व्यय	1,57,88,94,06	1,58,99,72,08	6,90,59,27,19	1,88,50,97,11

ऊपर संदर्भित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है।

हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा / अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं

प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है ।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं ।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उदभूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले हरियाणा सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं ।

मामले का महत्व

मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो इन लेखों की सटीकता, पारदर्शिता और पूर्णता के दृष्टिकोण से तथा सार्वजनिक वित्त पर विधायी वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने के लिए आवश्यक है :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दो अनुदानों (भवन तथा सड़कें, और खाद्य एवं पूर्ति) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा किए गए प्राधिकरण पर ₹ 153.39 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण था । वर्ष 2018-19 से संबंधित तीन विनियोजनों के तहत ₹ 41.54 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण, अभी राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किया जाना बाकी है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 का उल्लंघन है, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त समेकित निधि से किसी प्रकार का धन नहीं निकाला जाएगा । यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है ।

उपरोक्त मुद्दे पर लेखापरीक्षा अवलोकन, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विस्तृत रूप में दिया गया है ।

दिनांक: 03 फरवरी 2021
स्थान: नई दिल्ली



(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुदान संख्या 1- विधान सभा

(मुख्य शीर्ष-2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	78,70,01	89,84,01	77,99,23	(-)11,84,78
पूरक	11,14,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

प्रभारित

मूल	80,00	80,00	58,21	(-)21,79
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹ 11,84.78 लाख की अन्तिम बचत के दृष्टिगत अगस्त 2019 तथा मार्च 2020 में ₹ 11,14 लाख का प्राप्त पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा था।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2011-02-101- 99 - स्थापना	मूल	24,20.00	34,09.00	30,48.67	(-)3,60.33	₹ 3,60.33 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 01/504-505 दिनांक 05-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	9,89.00				

अनुदान संख्या-1-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2011-02-103-99- स्थापना (98 स्थापना व्यय)	मूल	54,40.00	54,40.00	46,40.85	(-)7,99.15	₹ 7,99.15 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 01/504-505 दिनांक 05-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2011-02-103-99- स्थापना (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	10.00	1,35.00	1,09.71	(-)25.29	₹ 25.29 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/ 20-21/अनु.सं. 01/ 504-505 दिनांक 05-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	1,25.00				

प्रभारित विनियोग

(4) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2011-02-101-99- स्थापना	मूल	80.00	80.00	58.21	(-)21.79	₹ 21.79 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 01/ 504-505 दिनांक 05-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-2-राज्यपाल तथा मंत्री परिषद्

(मुख्य शीर्ष- 2012-राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 2013-मंत्री परिषद)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,60,53,02	1,99,60,17	1,66,26,54	(-)33,33,63
पूरक	39,07,15			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

प्रभारित

मूल	24,67,00	24,67,00	16,71,65	(-)7,95,35
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹ 33,33.63 लाख की अन्तिम बचत के दृष्टिगत अगस्त 2019 तथा मार्च 2020 में ₹ 39,07.15 लाख का प्राप्त पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2013-51-101- मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का वेतन (51-एन ए)	मूल	2,40.00	2,40.00	1,57.69	(-)82.31	₹ 82.31 लाख की बचत कम/ वास्तविक दावे तथा वर्ष के दौरान मंत्री परिषदों की कम संख्या के कारण हुई ।

अनुदान संख्या-2-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2013-51-105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (51-एन ए)	मूल	1,27,00.00	1,60,97.15	1,38,42.12	(-)22,55.03	₹ 22,55.03 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 02/506-507 दिनांक 05-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	33,97.15				
2013-51-108- दौरा खर्च (51-एन. ए.)	मूल	1,00.00	1,00.00	25.20	(-)74.80	₹ 74.80 लाख की बचत मंत्रियों द्वारा हवाई/रेल द्वारा कम/वास्तविक दौरे तथा वर्ष के दौरान मंत्री परिषदों की कम संख्या के कारण हुई।
2013-51-800- 98- मंत्री कार सैक्शन को चलाने तथा वाहनों का रख- रखाव	मूल	13,40.00	16,50.00	8,08.92	(-)8,41.08	₹ 8,41.08 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 02/506-507 दिनांक 05-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	3,10.00				
2013-51-800- 99- मंत्रियों के आवास भवनों तथा कार्यालयों का रख रखाव	मूल	16,08.00	18,08.00	17,40.86	(-)67.14	₹ 67.14 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 02/506-507 दिनांक 05-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	2,00.00				

प्रभारित विनियोग

(4) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2012-03-090-99- राज्यपाल का सचिवालय स्टाफ (98-स्थापना खर्च)	मूल	11,05.00	11,05.00	7,09.30	(-)3,95.70	₹ 3,95.70 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 02/506-507 दिनांक 05-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2012-03-101-99- राज्यपाल का वेतन	मूल	3,21.50	3,21.50	42.00	(-)2,79.50	₹ 2,79.50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 02/506-507 दिनांक 05-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2012-03-103-99- सैनिक सचिव तथा उनका अमला	मूल	3,30.00	3,30.00	2,45.11	(-)84.89	₹ 84.89 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 02/506-507 दिनांक 05-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2012-03-105-99- राज्यपाल तथा उनके परिवार तथा अमले को चिकित्सा सुविधाएँ	मूल	60.50	60.50	49.54	(-)10.96	₹ 10.96 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 02/506-507 दिनांक 05-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

अनुदान संख्या-2-समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2012-03-108-99- यात्रा खर्च	मूल	20.00	20.00	8.99	(-)11.01	₹ 11.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 02/506-507 दिनांक 05-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

अनुदान संख्या-3-सामान्य प्रशासन

(मुख्य शीर्ष-2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2062-चौकसी, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	3,13,42,01	3,76,26,71	3,37,66,72	(-)38,59,99
पूरक	62,84,70			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

प्रभारित

मूल	15,62,00	31,43,00	24,53,88	(-)6,89,12
पूरक	15,81,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत

दत्तमत

मूल	0	12,50,00	0	(-)12,50,00
पूरक	12,50,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹ 38,59.99 लाख की अन्तिम बचत के दृष्टिगत अगस्त 2019 में ₹ 62,84.70 लाख का प्राप्त पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या-3-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2051-51-103-99- स्थापना	मूल	45,83.00	1,07,68.00	1,00,16.21	(-)7,51.79	₹ 7,51.79 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	61,85.00				
2052-51-090-95- विधि विभाग (98-स्थापना खर्च)	मूल	7,54.00	7,54.00	6,61.01	(-)92.99	₹ 92.99 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2052-51-090-96- वी.आई.पी. वायुयान का रख रखाव	मूल	11,82.00	11,82.00	10,22.53	(-)1,59.47	₹ 1,59.47 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2052-51-090-99- मुख्य सचिव (97-हरियाणा भवन, नई दिल्ली का स्थापना व्यय)	मूल	3,13.00	3,13.00	2,13.42	(-)99.58	₹ 99.58 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-3-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2070-51-003-96- हरियाणा राज्य में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण	मूल	50.00	50.00	17.70	(-)32.30	₹ 32.30 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2070-51-003-98- हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (98-स्थापना व्यय)	मूल	28,30.00	28,30.00	22,90.00	(-)5,40.00	₹ 5,40 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2070-51-105-93- हरियाणा राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण	मूल	1,00.00	1,00.00	16.31	(-)83.69	₹ 83.69 लाख की बचत मुख्यतः सदस्यों के स्वीकृत पदों के न भरने, वाहनों के न खरीदने, अनुबन्धित कर्मचारियों (पेशेवर/विशेष सेवाओं) को अनुबन्धित न करने तथा किराये का भुगतान न करने के कारण हुई।
2070-51-105-96- हरियाणा मानवाधिकार आयोग	मूल	8,00.00	8,00.00	5,60.00	(-)2,40.00	₹ 2,40 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-3-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2070-51-105-97- जांच आयोग (93-दावा आयुक्त, हरियाणा)	मूल	67.50	67.50	28.14	(-)39.36	₹ 39.36 लाख की बचत वर्ष के दौरान दावा आयुक्त का पद न भरने तथा श्रेणी-डी के पद रिक्त रहने के कारण हुई ।
2070-51-105-98- हरियाणा राज्य में लोकायुक्त (98-स्थापना खर्च)	मूल	3,91.00	3,91.00	3,16.29	(-)74.71	₹ 74.71 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2070-51-115-81- चाणक्यपुरी नई दिल्ली में अतिथि गृह खोलने हेतु	मूल	1,37.70	1,37.70	89.41	(-)48.29	₹ 48.29 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2070-51-115-82- नव सचिवालय सैक्टर-17 चण्डीगढ़ कैन्टीन	मूल	2,76.30	3,32.80	2,91.15	(-)41.65	₹ 41.65 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
	पूरक	56.50				

अनुदान संख्या-3-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2070-51-115-88- शक्ति भवन कैंटीन, पंचकुला चलाने का खर्च	मूल	1,19.25	1,19.25	98.83	(-)20.42	₹ 20.42 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1- 4/हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2070-51-115-92- विधान सभा कैंटीन चलाने का खर्च	मूल	1,80.00	1,82.50	1,32.82	(-)49.68	₹ 49.68 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1- 4/हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	2.50				
2070-51-115-94- आतिथ्य संगठन (98-स्थापना खर्च)	मूल	1,42.00	1,42.00	99.86	(-)42.14	₹ 42.14 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1- 4/हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2070-51-115-96- हरियाणा भवन, दिल्ली में कैंटीन चलाने का खर्च	मूल	3,51.00	3,51.00	2,52.26	(-)98.74	₹ 98.74 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1- 4/हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-3-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2070-51-115-97- एम. एल. ए. होस्टल में कैंटीन	मूल	3,80.75	3,83.75	3,43.92	(-)39.83	₹ 39.83 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
	पूरक	3.00				
2070-51-115-99- हरियाणा निवास सैक्टर 3, चण्डीगढ़	मूल	7,14.00	7,32.00	6,46.84	(-)85.16	₹ 85.16 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
	पूरक	18.00				
2070-51-800-93- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग	मूल	3,51.00	3,51.00	1,72.86	(-)1,78.14	₹ 1,78.14 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2070-51-800-96- हरियाणा राज्य सूचना आयोग (98- स्थापना व्यय)	मूल	9,52.00	9,52.00	7,87.32	(-)1,64.68	₹ 1,64.68 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

अनुदान संख्या-3-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2052-51-090-99- मुख्य सचिव (99- सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	1,80.00	1,80.00	2,01.01	(+)21.01	₹ 21.01 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/ हरि/ 19-20/ 20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2070-51-105-97- जाँच आयोग (90-श्री न्यायमूर्ती (सेवा निवृत्त) एस. एन.झा, जाँच आयुक्त, जाट आरक्षण आंदोलन)	मूल	73.50	73.50	1,19.52	(+)46.02	₹ 46.02 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/ हरि/ 19-20/ 20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

प्रभारित विनियोग

- (5) ₹ 6,89.12 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत ₹ 15,81 लाख का अगस्त 2019 और मार्च 2020 में प्राप्त पूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2051-51-102-99- स्थापना (98-स्थापना खर्च)	मूल	15,62.00	31,43.00	24,53.88	(-)6,89.12	₹ 6,89.12 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/ हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	15,81.00				

अनुदान संख्या-3-समाप्त

**पूँजीगत
दत्तमत अनुदान**

- (7) ₹ 12,50 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत ₹ 12,50 लाख का मार्च 2020 में प्राप्त पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि पूरक अनुदान प्राप्ति के बाद कोई व्यय नहीं किया गया ।
- (8) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051-62- भूमि की खरीद और लोकायुक्त के लिए भवन का निर्माण	मूल	0	12,50.00	0	(-)12,50.00	₹ 12,50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं. 03/570-72 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
	पूरक	12,50.00				

अनुदान संख्या-4-राजस्व

मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व, 2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत, 2506-भूमि सुधार, 2705-कमाण्ड क्षेत्र विकास, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	14,31,07,12	14,40,52,62	10,58,31,41	(-)3,82,21,21
पूरक	9,45,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

- (1) ₹ 3,82,21.21 लाख की अन्तिम बचत के दृष्टिगत अगस्त 2019 तथा मार्च 2020 में ₹ 9,45.50 लाख का प्राप्त पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा था।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2019 के पश्चात् प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिए गए बचत तथा आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2029-51-103-96- मुख्यालय अमला भूमि रिकार्ड कृषि जनगणना	मूल	1,62.00	1,62.00	87.71	(-)74.29	₹ 74.29 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा सरकार द्वारा कम मानदेय स्वीकृत करने के कारण हुई।
2029-51-103-97- लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण मुख्यालय अमला (98-स्थापना व्यय)	मूल	1,46.00	1,46.00	35.52	(-)1,10.48	₹ 1,10.48 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, मोबाईल उपकरणों के मूल्य में कमी तथा उपायुक्तों द्वारा मानदेय की सूची की आपूर्ति न करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2029-51- 103-98- जिला अमला (98-स्थापना व्यय)	मूल	2,68,39.00	2,68,39.00	2,22,90.29	(-)45,48.71	₹ 45,48.71 लाख की बचत मुख्यतः लम्बरदारों को मोबाईल फोनों की खरीद के लिए राशि का उपयोग न करने, ई-गिरदावरी के लिए नियुक्ति न होने, पदों के रिक्त रहने, प्रशिक्षु उम्मीदवारों की कम नियुक्ति तथा अनुग्रह के कम मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।
2029-51- 103-99- मुख्यालय अमला	मूल	7,58.20	7,58.20	3,99.17	(-)3,59.03	₹ 3,59.03 लाख की बचत मुख्यतः छात्रवृत्ति पर व्यय न करने, अनुग्रह के कम मामलों की प्राप्ति तथा अनुबंधित आधार पर प्रशिक्षित अमले की नियुक्ति न करने के कारण हुई।
2029-51- 800-97- नए पटवारखानों का निर्माण	मूल	77,00.00	77,00.00	7,10.13	(-)69,89.87	₹ 69,89.87 लाख की बचत खजाना द्वारा सी बी एस पी एल के बिल पारित न करने के कारण हुई।
2030-01- 102- स्टाम्प बिक्री पर व्यय (51- एन. ए.)	मूल	61.00	61.00	0.00	(-)61.00	₹ 61 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2030-02-001-99 जाँच पड़ताल अमला (51- एन. ए.)	मूल	1,88.15	1,88.15	1,37.90	(-)50.25	₹ 50.25 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2030-02-102-99- जाँच पड़ताल अमला	मूल	1,06.85	1,06.85	84.60	(-)22.25	₹ 22.25 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2052-51-099-99- राजस्व विभाग (98-स्थापना व्यय)	मूल	38,51.00	38,51.00	33.90.51	(-)4,60.49	₹ 4,60.49 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2053-51-093-98- राज्य में उपायुक्तों के लिए कानून और आदेशों के लिए प्रावधान	मूल	1,00.00	1,00.00	8.84	(-)91.16	₹ 91.16 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2053-51-094-98- नकल अभिकरण स्थापना	मूल	2,35.60	2,35.60	1,51.00	(-)84.60	₹ 84.60 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2053-51-094-99- उपमंडल स्थापना	मूल	30,08.00	30,08.00	26,73.40	(-)3,34.60	₹ 3,34.60 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2053-51-101-99- स्थापना	मूल	14,51.40	14,51.40	12,65.52	(-)1,85.88	₹ 1,85.88 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2075-51-800-99-फालतू ग्रामीण निष्क्रांत सम्पत्तियों के विक्रय पर खर्च (98-स्थापना व्यय)	मूल	4,11.00	4,11.00	3,50.55	(-)60.45	₹ 60.45 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2075-51-101-पुनः गृहीत जागीरों, भूमि क्षेत्र आदि के स्थान पर पेंशन (51- एन. ए.)	मूल	51.00	51.00	27.00	(-)24.00	₹ 24 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-01-200-99- ग्रामीण क्षेत्रों में मानव निर्मित/प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों हेतु वित्तीय सहायता/ मुफ्त राहत/ मुआवजा	मूल	1,25.00	1,25.00	0.00	(-)1,25.00	₹ 1,25 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं.4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-01-202-99- स्थापना प्रभार तथा पुनर्वास योजना जिला एवं राजस्व अमला	मूल	1,95.17	1,95.17	1,57.51	(-)37.66	₹ 37.66 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/18-19/19-20/ अनु.सं.04/563-65 दिनांक 29/07/2019 के द्वारा मांगे गये हैं।
2245-01-101-98-बीजों, खादों तथा कृषि उपकरणों की आपूर्ति	मूल	6,00.00	6,00.00	0.00	(-)6,00.00	₹ 6,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं.4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2245-01-102- पेयजल आपूर्ति (51- एन. ए.)	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00	₹ 1,50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं.4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2245-01-104- चारे की आपूर्ति (51- एन. ए.)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2245-01-105- पशु सहायता (51- एन. ए.)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं.4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2245-01-282- जन स्वास्थ्य (51- एन. ए.)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं.4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2245-02-101- 97- बीजों, खादों तथा कृषि औजारों की आपूर्ति	मूल	50,00.00	50,00.00	17,52.04	(-)32,47.96	₹ 32,47.96 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2245-02-101-99- भोजन एवं वस्त्र	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00	₹ 1,50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2245-02-102-पेय जल आपूर्ति (51- एन. ए.)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं.4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2245-02-104-चारे की आपूर्ति (51- एन. ए.)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹ 50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2245-02-105-पशु चिकित्सा (51- एन. ए.)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2245-02-106- क्षतिग्रस्त सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना (51- एन. ए.)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2245-02-110- क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति ड्रेनेज और सीवरेज कार्यों की मरम्मत एवं पुनः स्थापना हेतु सहायता (51- एन. ए.)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2245-02-111- शोकग्रस्त परिवारों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान (51- एन. ए.)	मूल	1,00.00	1,00.00	14.00	(-)86.00	₹ 86 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2245-02-113- गृहों का अनुरक्षण/ पुनः निर्माण हेतु सहायता (51- एन. ए.)	मूल	1,00.00	1,00.00	7.16	(-)92.84	₹ 92.84 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2245-02-114- कृषि लागतों के खरीद हेतु किसानों को सहायता (51- एन. ए.)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2245-02-116- क्षतिग्रस्त ट्यूबवैलों, पम्प सैटों इत्यादि की मरम्मत हेतु किसानों को सहायता (51- एन. ए.)	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00	₹ 1,50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2245-02-117- पशुधन खरीद हेतु किसानों को सहायता (51- एन. ए.)	मूल	1,74.00	1,74.00	1.20	(-)1,72.80	₹ 1,72.80 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2245-02-122- क्षतिग्रस्त/सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना (51- एन. ए.)	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	₹ 2,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2245-02-193- स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर सरकारी निकायों/ संस्थाओं को सहायता (51- एन. ए.)	मूल	1,50.00	1,50.00	0	(-)1,50.00	₹ 1,50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2245-02-282- 98- लोक स्वास्थ्य	मूल	2,00.00	2,00.00	44.06	(-)1,55.94	₹ 1,55.94 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/ हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2245-02-800- अन्य व्यय (51- एन. ए.)	मूल	3,85.00	3,85.00	3.81	(-)3,81.19	₹ 3,81.19 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/ हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2245-05-101- 98- राज्य आपदा प्रबन्धन कोष के अन्तर्गत क्षमता भवन हेतु सहायतानुदान	मूल	5,00.00	5,00.00	1,13.81	(-)3,86.19	₹ 3,86.19 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/ हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2245-06-101-99- भूकम्प के लिए नकद सहायता	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	₹ 5,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 4/ 573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2245-80-001-95- कार्य प्रगित से जुडा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) (राजस्व) (FCR-POL-REV)	मूल	0.01	9,45.50	0	(-)9,45.50	₹ 9,45.50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	9,45.49				
2245-80-001-99- मुख्यालय अमला	मूल	97.30	97.30	61.75	(-)35.55	₹ 35.55 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2245-80-102-96-आपदा मित्र आपदा प्रतिक्रिया में सामुदायिक स्वयं सेवक प्रशिक्षण	मूल	22.70	22.70	0.00	(-)22.70	₹ 22.70 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2245-80-800-96- कीट हमला/भू-स्खलन बादल फटने आदि के लिए नकद सहायता	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1- 4/हरि/ 19-20/20- 21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2245-80-800-98- अग्नि पीड़ितों को सहायता	मूल	5,00.00	5,00.00	1,93.52	(-)3,06.48	₹ 3,06.48 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/ 19- 20/20-21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2245-80-800-99- ओला वृष्टि/कोहरा/शीत लहर में राहत	मूल	64,72.40	64,72.40	17,72.90	(-)46,99.50	₹ 46,99.50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/ 19- 20/20-21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2506-51-103-98- हरियाणा भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण कार्यक्रम (99-सर्वे/पुनः सर्वे का आकलन तथा अभिलेखों का समाधान)	मूल	1,39,50.00	1,39,50.00	4,64.57	(-)1,34,85.43	₹ 1,34,85.43 लाख की बचत उपकरणों की खरीद के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को अन्तिम स्तर न देने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2506-51-103-99- भारतीय भू-अभिलेख का आधुनिक कार्यक्रम (97- पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण)	मूल	67.00	67.00	0.00	(-)67.00	₹ 67 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निधियाँ जारी न करने के कारण हुई।
2506-51-103-99- भारतीय भू-अभिलेख का आधुनिक कार्यक्रम (98- सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण आधुनिक अभिलेख कक्ष)	मूल	9,40.00	9,40.00	0.00	(-)9,40.00	₹ 9,40 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निधियाँ जारी न करने के कारण हुई।
2506-51-103-99- भारतीय भू-अभिलेख का आधुनिक कार्यक्रम (99- भू-अभिलेख का कम्प्यूटरीकरण)	मूल	3,67.00	3,67.00	0.00	(-)3,67.00	₹ 3,67 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निधियाँ जारी न करने के कारण हुई।
2705-51-101-99- मेवात क्षेत्र के समेकित विकास के लिए योजना	मूल	27,00.00	27,00.00	18,90.00	(-)8,10.00	₹ 8,10 लाख की बचत सरकार द्वारा कम निधियाँ जारी करने के कारण हुई।
2705-51-102- 99- शिवालिक पहाड़ी के विकास हेतु सहायतानुदान	मूल	15,00.00	15,00.00	3,75.00	(-)11,25.00	₹ 11,25 लाख की बचत कम निधियाँ जारी करने के कारण हुई।
2705-51-789- 98- भू शिवालिक क्षेत्र के अनुसूचित जाति वर्ग के विकास हेतु योजना	मूल	2,20.00	2,20.00	55.00	(-)1,65.00	₹ 1,65 लाख की बचत सरकार द्वारा कम निधियाँ जारी करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2705-51-789-99- मेवात क्षेत्र के अनुसूचित जाति वर्ग के विकास हेतु योजना	मूल	3,00.00	3,00.00	1,35.00	(-)1,65.00	₹ 1,65 लाख की बचत सरकार द्वारा कम निधियाँ जारी करने के कारण हुई।
3475-51-201-99- भूमि सुधार राजस्व	मूल	3,12.00	3,12.00	2,19.90	(-)92.10	₹ 92.10 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2052-51-099-95- व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना	मूल	46.70	46.70	36,51.16	(+)36,04.46	₹ 36,04.46 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2245-02-101-98- दवाईयों की आपूर्ति	मूल	2,66.00	2,66.00	20,42.25	(+)17,76.25	₹ 17,76.25 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2245-02-282-99- जल निकास ऑपरेशन	मूल	5,00.00	5,00.00	7,92.40	(+)2,92.40	₹ 2,92.40 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2245-80-800-97-सिरकी/टैंटों की खरीद	मूल	1,00.00	1,00.00	2,79.81	(+)1,79.81	₹ 1,79.81 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं. 4/573-75 दिनांक 10/08/2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(5) राज्य आपदा राहत निधि:-

राज्य आपदा राहत निधि का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि सूखा बाढ़, चक्रवात, आग आदि के कारण राहत देना है। यह आपदा राहत निधि योजना वर्ष 2010-11 से लागू है। राज्य आपदा राहत निधि में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 90:10 के अनुपात में योगदान किया जाता है।

निधि में से किए गए व्यय को आरम्भ में मुख्य शीर्ष- "2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत" अनुदान संख्या 4-"राजस्व" के अन्तर्गत लेखांकित किया जाता है और इसके पश्चात वर्ष के लेखाओं को बन्द करने से पहले राज्य आपदा राहत निधि को हस्तांतरित किया जाता है।

1 अप्रैल 2019 को ₹ 26,16,12.27 लाख के आरम्भिक शेष तथा ₹ 5,99,15.72 लाख का जमा (राज्य अंशदान ₹ 3,74,00 लाख, अव्यय शेष पर जमा ₹ 25,15.72 लाख और निवेश पर ₹ 2,00,00 लाख कम होने वाला ब्याज) निधि में से किया गया ₹ 42,55.59 लाख का व्यय हुआ। निधि में 31 मार्च 2020 के ₹ 31,72,72.40 लाख का अन्त शेष था।

आपदा राहत निधि योजना के पैरा 20 के अनुसार निधि में जमा राशि निधि में निवेश पर आमदनी सहित, जब तक भारत सरकार द्वारा कोई प्रतिकूल दिशानिर्देश जारी नहीं किए जाते, निम्न प्रकार से निवेशित की जाए:-

- (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियां
- (ख) नीलाम हुए खजाना बिल
- (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में ब्याज अर्जित जमा एवं जमाओं के प्रमाण-पत्र
- (घ) सहकारिता बैंकों में ब्याज अर्जित जमा

निधि के लेन-देन का लेखा वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 तथा 22 में शामिल हैं ।

अनुदान संख्या 5-आबकारी तथा कराधान

(मुख्य शीर्ष-2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2043 राज्य माल और सेवा कर के तहत संग्रह शुल्क, 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क)

राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	2,22,71,01	2,47,52,01	2,24,48,00	(-)23,04,01
पूरक	24,81,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

- (1) ₹ 23,04.01 लाख समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में ₹ 24,81 लाख का प्राप्त पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.4.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिए गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)	टिप्पणी
2039-51-001-97- आबकारी एवं कराधान विभाग में कार्यरत पुलिस अमले हेतु प्रावधान	मूल	14,50.00	14,50.00	9,42.71	(-)5,07.29	₹ 5,07.29 लाख की बचत विभाग द्वारा मित्तव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुई ।

अनुदान संख्या 5-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2040-51-001-96- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) एक्साइज एंड टैक्सेशन (PET-PLO-REV)	मूल	0.01	24,81.01	0	(-)24,81.01	₹ 24,81.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19- 20/20-21/अनु.सं. 5/566-67 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	24,81.00				
2040-51-001-99- मुख्यालय अमला (96-टैक्स रिसर्च यूनिट) (टी आर यू)	मूल	3,00.00	3,00.00	17.85	(-)2,82.15	₹ 2,82.15 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19- 20/20-21/अनु.सं. 5/566-67 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2040-51-001-99- मुख्यालय अमला (98-स्थापना व्यय)	मूल	29,52.52	29,52.52	26,03.08	(-)3,49.44	₹ 3,49.44 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19- 20/20-21/अनु.सं. 5/566-67 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2043-51-102- एस.जी. एस.टी.के विलंबित रिफंड पर ब्याज का भुगतान (51-एन ए)	मूल	70.00	70.00	0	(-)70.00	₹ 70 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19- 20/20-21/अनु.सं. 5/566-67 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 5-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2045-51-103-99- विद्युत निरीक्षणालय	मूल	5,13.00	5,13.00	3,77.69	(-)1,35.31	₹ 1,35.31 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/ हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 5/ 566-67 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2045-51-104-99- कर तथा शुल्क	मूल	2,70.00	2,70.00	2,11.58	(-)58.42	₹ 58.42 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 5/566-67 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2039-51-001- 98- संग्रह प्रभार	मूल	29,01.55	29,01.55	36,46.41	(+)7,44.86	₹ 7,44.86 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 5/566-67 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2040-51-001- 99- मुख्यालय अमला (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	4,00.00	4,00.00	12,24.88	(+)8,24.88	₹ 8,24.88 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 5/566-67 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-06-वित्त

(मुख्य शीर्ष-2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2049-ब्याज अदायगीयाँ, 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,05,84,69,21	1,05,99,12,22	90,64,73,00	(-)15,34,39,22
पूरक	14,43,01			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

प्रभारित

मूल	1,67,99,61,89	1,67,99,61,89	1,55,88,01,15	(-)12,11,60,74
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹ 15,34,39.22 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 14,43.01 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा ।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या-06-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2054-51-095-95-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) ट्रेजरी और लेखा (TAA-PLO-REV)	मूल	0.01	14,43.01	0	(-)14,43.01	₹ 14,43.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	14,43.00				
2054-51-095-96-एकीकृत वित्त और मानव संसाधन प्रवधन सूचना प्रणाल	मूल	3,65.00	3,65.00	2,08.76	(-)1,56.24	₹ 1,56.24 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2054-51-095-98-सी आर ए सेवा प्रभार	मूल	2,00.00	2,00.00	1,78.45	(-)21.55	₹ 21.55 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2054-51-095-99-मुख्यालय अमला (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	1,65.00	1,65.00	71.82	(-)93.18	₹ 93.18 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-06-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2054-51-097-98- जनता के हित में सौहार्दपूर्ण काम कर हालात के लिए कोषागार/ उपकोषागार में बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान	मूल	1,00.00	1,00.00	35.68	(-)64.32	₹ 64.32 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/ हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2054-51-098-99- मुख्यालय अमला (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	27.00	27.00	2.83	(-)24.17	₹ 24.17 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/ हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2071-01-102- पेंशन का संशुद्धित मूल्य (51-एन ए)	मूल	12,79,07.27	12,79,07.27	9,37,91.14	(-)3,41,16.13	₹ 3,41,16.13 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20- 21/अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2071-01-111-99- राज्य विधान सभा के सदस्य	मूल	2,84,81.43	2,84,81.43	36,22.76	(-)2,48,58.67	₹ 2,48,58.67 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20- 21/अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-06-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2075-51-800-88- वित्तिय सुरक्षा सहायता योजना	मूल	15,00,00.00	15,00,00.00	1,48,64.59	(-)13,51,35.41	₹ 13,51,35.41 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3475-51-115-99- हरियाणा राज्य वित्तिय सेवा लिमिटेड को अनुदान	मूल	1,00.00	1,00.00	10.00	(-)90.00	₹ 90 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3475-51-800-99- संस्थागत वित्त एवं साख निदेशालय मुख्यालय अमला	मूल	61.20	61.20	25.25	(-)35.95	₹ 35.95 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2047-51-103- 97- जिलों का पुरस्कार	मूल	24.00	24.00	1,30.89	(+)1,06.89	₹ 1,06.89 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-06-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2071-01-105- परिवार पेंशन (51-एन ए)	मूल	7,03,76.10	7,03,76.10	7,75,23.62	(+)71,47.52	₹ 71,47.52 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2071-01-106- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में पेंशन संबंधी प्रभार (51-एन ए)	मूल	3,84.46	3,84.46	6,58.26	(+)2,73.80	₹ 2,73.80 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2071-01-117-99- हरियाणा विधान सभा पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान (99-सरकार का पेंशन स्कीम हेतु अंशदान)	मूल	5,12,27.52	5,12,27.52	6,94,20.29	(+)1,81,92.77	₹ 1,81,92.77 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2075-51-800-93- अनपेक्षित व्यय के लिए वित्त विभाग द्वारा आरक्षित	मूल	0.00	0.00	50.35	(+)50.35	₹ 50.35 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

प्रभारित विनियोग

(5) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या-06-जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2049-01-101-99- ब्याज सहित बाजारी कर्ज पर ब्याज	मूल	1,11,54,15.63	1,11,54,15.63	98,74,81.68	(-)12,79,33.95	₹ 12,79,33.95 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2049-01-115-99- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अर्थोपाय पेशगियाँ	मूल	1,00.00	1,00.00	42.10	(-)57.90	₹ 57.90 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2049-01-200-96- नाबार्ड की राष्ट्रीय ग्रामीण उधार निधि से कर्जे	मूल	1,91,46.04	1,91,46.04	1,49,26.34	(-)42,19.70	₹ 42,19.70 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2049-01-200-97- एन सी डी सी से कर्जे	मूल	39,44.79	39,44.79	18,77.70	(-)20,67.09	₹ 20,67.09 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-06-जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2049-03-104-98- ए. आई. एस. पर ब्याज	मूल	2,64.00	2,64.00	10.12	(-)2,53.88	₹ 2,53.88 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2049-04-104-95- पुलिस-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल	1,51.59	1,51.59	82.46	(-)69.13	₹ 69.13 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2049-05-101-96- ब्याज पर अर्जित बहाली और पुनर्वास कोष	मूल	5,13.00	5,13.00	0.00	(-)5,13.00	₹ 5,13 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2049-60-101-97- एन एच ए आई द्वारा अधिग्रहित भूमि की ओर जमा पर ब्याज	मूल	1,00.00	1,00.00	59.69	(-)40.31	₹ 40.31 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2049-60-701-96- पेंशन लाभ इत्यादि के देरी भुगतान पर ब्याज	मूल	3,50.00	3,50.00	2,20.82	(-)1,29.18	₹ 1,29.18 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2075-51-797-99-गारण्टी शोधन निधि-आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में हस्तांतरण (मुख्य शीर्ष 8235)	मूल	1,67,00.00	1,67,00.00	0	(-)1,67,00.00	₹ 1,67,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(6) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2049-01-200-92- एन.सी.आर.पी. बी. से लिए गये कर्जे पर ब्याज	मूल	52,26.07	52,26.07	64,82.26	(+)12,56.19	₹ 12,56.19 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-06-जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2049-01-200-95- भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंको से कर्जे	मूल	3,50,00.00	3,50,00.00	6,39,94.19	(+)2,89,94.19	₹ 2,89,94.19 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2049-04-101-99- ब्लाक कर्जे	मूल	40,17.06	40,17.06	67,55.71	(+)27,38.65	₹ 27,38.65 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2049-04-109-99- 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तों के अनुसार समेकित राज्य आयोजन कर्जों पर ब्याज	मूल	32,00.00	32,00.00	36,24.59	(+)4,24.59	₹ 4,24.59 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2049-05-101-97- मूल्य ह्रास आरक्षित निधि (राजकीय प्रैस)	मूल	56.60	56.60	1,68.03	(+)1,11.43	₹ 1,11.43 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-06-जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2049-60-701-98- सरकारी कर्मचारियों के लिए ब्याज छूट के अन्य दायित्व पर ब्याज	मूल	20,00.00	20,00.00	49,77.47	(+)29,77.47	₹ 29,77.47 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 6/697-98 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(7) समेकित निक्षेप निधि:-

यह निधि एक परिशोधन निधि हैं जो वित्तीय वर्ष 2002-03 से आरम्भ होने वाले बाजार ऋणों के मोचन के लिए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार, सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया खुले बाजार ऋण के 1 से 3 प्रतिशत के मामूली पैमाने पर निधि में योगदान करना आवश्यक हैं। सरकार के लिए यह विकल्प भी खुला होगा कि वह अपने स्व-विवेक से किसी भी समय सामान्य राजस्व अथवा अन्य संसाधनों से निवेश द्वारा इस निधि के अंशदान में वृद्धि कर सकती हैं। निधि के कोष में आवधिक अंशदान के साथ-साथ निवेश की आय से निधि से होने वाली आय शामिल हैं, जिन्हें राज्य सरकार के सामान्य राजस्व से अलग रखा जायेगा।

सरकार द्वारा जारी निर्देशों/शर्तों के अधीन इस निधि को भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय लेखा अनुभाग द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।

1 अप्रैल 2019 को निधि में जमा प्रारम्भिक शेष ₹ 19,26,17.48 लाख था। वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार ने कोई योगदान नहीं किया। निधि में निवेश पर अर्जित ब्याज के लिए ₹ 1,57,88.75 लाख की राशि निधि में जोड़ी गई थी। वर्ष के दौरान निधि में से कोई व्यय नहीं किया गया। वर्ष के अन्त में, निधि में ₹ 20,84,06.23 लाख शेष था।

योजना के पैरा 8 के अनुसार, निधि में समस्त वृद्धियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की प्रतिभूतियों/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों/नीलाम खजाना बिलों की परिपक्वताओं, जो राज्य सरकार समय-समय पर बैंकों के परामर्श से निर्धारित करती हैं, में निवेश किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से समस्त शेष राशि ₹ 20,81,93.27 लाख निवेश की गई हैं। निवेश का अंकित मूल्य ₹ 20,21,71.35 लाख है।

निधि के लेन-देन का ब्यौरा वित्त लेखे 2019-20 की विवरणी संख्या 21 तथा 22 में शामिल है।

(8) गारन्टी मोचन निधि:-

इस फंड का उद्देश्य राज्य स्तर के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा जारी किए गए बॉन्डों और अन्य उधारों के सम्बंध सरकार द्वारा जारी गारंटी से उत्पन्न होने वाले दायित्वों को पूरा करना है तथा लाभार्थियों द्वारा आह्वान किया गया है और उनका संस्थानों द्वारा भुगतान नहीं किया गया है।

निधि का गठन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान किया गया था। निधि में अंशदान शीर्ष '2075-विविध सामान्य सेवाएं' को प्रति-डेबिट द्वारा किया जाना है। राज्य गारन्टी के खिलाफ राज्य स्तर की निकायों की सभी कर्जों पर लगने वाले गारंटी शुल्क से निधि कोष को सुदृढ़ किया जाना है। इस प्रकार संग्रहित गारन्टी शुल्क को मुख्य लेखाशीर्ष "0075-विविध सामान्य सेवाएं - 108 गारन्टी शुल्क" के अन्तर्गत जमा करना है। निधि को समय-समय पर अंशदान शीर्ष 2075-विविध सामान्य सेवाएं को नामें प्रविष्टि करके, जहाँ राज्य सरकार द्वारा वांछित बजट प्रावधान किया जाता है तथा निधि से निवेश पर आय द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों/शर्तों के अनुसार इस निधि को भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय लेखा अनुभाग द्वारा प्रशासित किया जायेगा।

1 अप्रैल 2019 को निधि में क्रेडिट का आरम्भिक शेष ₹ 11,28,28.28 लाख था। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार ने निधि में किसी राशि का योगदान नहीं किया। निधि में निवेश पर अर्जित ब्याज के लिए ₹ 95,52.87 लाख की राशि निधि में जोड़ी गई थी। वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। वर्ष के अन्त में, निधि में ₹ 12,23,81.15 लाख शेष थे।

भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ₹ 12,23,81.15 लाख की शेष समस्त राशि निवेश की गई है। निवेश का अंकित मूल्य (प्रतिभूतियां) ₹ 11,65,62.81 लाख है।

योजना के पैरा 8 के अनुसार, निधि में समस्त वृद्धियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की प्रतिभूतियों/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों/नीलाम खजाना बिलों की परिपक्वताओं, जो राज्य सरकार समय-समय पर बैंक के साथ परामर्श से निर्धारित करती हैं, में निवेश किया जाता है।

लाभार्थियों द्वारा भुनाए जाने पर देय होने वाले दावों की देन-दारियों को पूरा करने के लिए निवेश प्रपत्र उस राशि को अर्जित करने हेतु निम्नलिखित क्रम में बेच कर समाप्त किये जाने हैं:-

- (i) नीलामीकृत ट्रेजरी बिल।
- (ii) केन्द्रीय सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां।
- (iii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां।

निधियों के लेन-देनों का लेखा वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 व 22 में दिया गया है।

अनुदान संख्या-07-आयोजना तथा सांख्यिकी

(मुख्य शीर्ष-2075 विविध सामान्य सेवाएं, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	52,30,11	52,95,11	34,70,90	(-)18,24,21
पूरक	65,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	4,09,28,01	4,09,28,01	2,36,89,30	(-)1,72,38,71
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

- (1) ₹ 18,24.21 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 65 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा ।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या-07-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3451-51-101-98- क्षेत्रीय अमला	मूल	14,02.00	14,02.00	11,14.85	(-)2,87.15	₹ 2,87.15 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 7/568-69 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3451-51-102-93- वित्त एवं योजना विभाग में युवा प्रोफेशनल की नियुक्ति	मूल	72.00	72.00	25.35	(-)46.65	₹ 46.65 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 7/568-69 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3451-51-102-94- स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबन्धन संस्थान	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	₹ 10,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 7/568-69 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3451-51-102-97- राज्य स्तर पर योजना मशीनरी का सुदृढीकरण (98- स्थापना व्यय)	मूल	1,25.00	1,25.00	92.12	(-)32.38	₹ 32.38 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 7/568-69 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-07-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3451-51-102-98- जिले का सुदृढीकरण	मूल	95.00	95.00	52.03	(-)42.97	₹ 42.97 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 7/568-69 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3454-02-001-79- कार्य प्रगति से जुड़ा परिव्यय (पी एल ओ) आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा (ESA-PLO-REV)	मूल	0.01	65.01	0	(-)65.01	₹ 65.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 7/568-69 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	65.00				
3454-02-001-80- राजीव आवास योजना- क्षमता भवनों/प्रारम्भिक/ आई. सी.ई गतिविधियाँ	मूल	23.00	23.00	0.00	(-)23.00	₹ 23 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 7/568-69 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3454-02-001-82- राज्य तथा जिला स्तर पर राज्य सामरिक अंक विवरण सम्बन्धी योजना (एस. एस. एस. पी) (98-स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 7/568-69 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-07-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3454-02-001-95- राज्य सांख्यिकीय प्रणाली का सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण	मूल	40.00	40.00	17.32	(-)22.68	₹ 22.68 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 7/568-69 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3454-02-001-99- अर्थ तथा सांख्यिकीय संगठन (98-स्थापना व्यय)	मूल	21,46.00	21,46.00	19,19.85	(-)2,26.15	₹ 2,26.15 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 7/568-69 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

पूँजीगत

दत्तमत अनुदान

(4) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5475-51-115-98- वित्तीय प्रबन्धन संस्थान हरियाणा	मूल	9,28.00	9,28.00	0.00	(-)9,28.00	₹ 9,28 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 7/568-69 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-07-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5475-51-115-99- जिला योजना का सुदृढीकरण	मूल	2,40,00.00	2,40,00.00	1,43,24.11	(-)96,75.89	₹ 96,75.89 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 7/568-69 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
5475-51-789-99- जिला योजना स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याण	मूल	1,60,00.00	1,60,00.00	93,65.19	(-)66,34.81	₹ 66,34.81 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 7/568-69 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(मुख्य शीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य, 2216-आवास, 3054-सड़क तथा सेतु, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4202-शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 5053-नगर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	11,45,32,76	11,72,77,76	12,99,77,41	(+)1,26,99,65
पूरक	27,45,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

प्रभारित

मूल	5,00	5,00	0	(-)5,00
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	40,08,63,52	44,68,39,99	29,70,57,21	(-)14,97,82,78
पूरक	4,59,76,47			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

प्रभारित

मूल	30,00,00	60,00,00	56,47,35	(-)3,52,65
पूरक	30,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) व्यय अनुदान से ₹ 1,26,99,64,859 बढ़ गया, आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है ।
- (2) ₹ 1,26,99.65 लाख के समस्त आधिक्य के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 27,45 लाख का पूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।
- (3) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (4) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2216-05-001-99-निदेशन तथा प्रशासन (2059-लोक निर्माण को स्थानान्तरित यथानुपात स्थापना खर्च)	मूल	9,45.00	9,45.00	14,60.03	(+)5,15.03	₹ 5,15.03 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 8/699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
3054-04-337-99-जिला सड़कें	मूल	30,01.00	30,01.00	36,99.51	(+)6,98.51	₹ 6,98.51 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 8/699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

52
अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3054-80-001-99-स्थापना प्रभार (यथानुपात) 2059-लोक निर्माण कार्य से अन्तरित	मूल	2,90,00.00	2,90,00.00	3,34,29.38	(+)44,29.38	₹ 44,29.38 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/19-20/अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3054-80-052-99-स्थापना प्रभार (यथानुपात) 2059-लोक निर्माण कार्य से अन्तरित	मूल	3,50.00	3,50.00	3,94.92	(+)44.92	₹ 44.92 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/अनु.सं.8/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3054-80-797-99- आपदा राहत कोष को / से हस्तांतरण	मूल	0	0.00	2,00,77.00	(+)2,00,77.00	₹ 2,00,77 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/ 19-20/ 20-21/ अनु.सं. 8/699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(5) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2059-60-053-99-स्खरखाव एवं सुधार	मूल	18,00.00	18,00.00	11,64.08	(-)6,35.92	₹ 6,35.92 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 8/699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2059-80-001-87- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें) (BAR-PLO-REV)	मूल	0.01	27,45.01	0	(-)27,45.01	₹ 27,45.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	27,45.00				
2059-80-001-93- प्रशिक्षण संस्थान	मूल	61.70	61.70	36.54	(-)25.16	₹ 25.16 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2059-80-001-94- भूमि अधिग्रहण अधिकारी	मूल	3,57.00	3,57.00	2,83.12	(-)73.88	₹ 73.88 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2059-80-001-95- वास्तुकला इकाई (98-स्थापना व्यय)	मूल	11,18.00	11,18.00	9,18.07	(-)1,99.93	₹ 1,99.93 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-08-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2059-80-001-97- पर्यवेक्षण	मूल	20,43.00	20,43.00	17,95.24	(-)2,47.76	₹ 2,47.76 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2059-80-001-99- निदेशन	मूल	32,04.50	32,04.50	28,65.85	(-)3,38.65	₹ 3,38.65 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2059-80-052-96- मशीनरी	मूल	5,56.00	5,56.00	4,89.98	(-)66.02	₹ 66.02 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2059-80-799- उचन्त	मूल	11,00.00	11,00.00	5,18.84	(-)5,81.16	₹ 5,81.16 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-08-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2216-05-053-99- अन्य मरम्मत खर्च (99-न्याय प्रशासन)	मूल	4,00.00	4,00.00	1,03.81	(-)2,96.19	₹ 2,96.19 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3054-01-337-98- हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क उपयोग कर्ताओं हेतु टोल प्रभार हेतु राहत	मूल	2,50.00	2,50.00	67.07	(-)1,82.93	₹ 1,82.93 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3054-01-337-99- राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों का रख रखाव	मूल	2,50.00	2,50.00	38.62	(-)2,11.38	₹ 2,11.38 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

पूँजीगत

दत्तमत अनुदान

- (6) ₹ 14,97,82.78 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 4,59,76.47 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
- (7) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

अनुदान संख्या-08-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051-63- खाद्य एवं औषधि प्रशासन भवन का निर्माण	मूल	13,30.50	13,30.50	7.48	(-)13,23.02	₹ 13,23.02 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4059-01-051-64- निदेशालय अग्नि शमन हरियाणा (पंचकूला) के कार्यालय हेतु जमीन की खरीद व निर्माण कार्य	मूल	5,00.00	5,00.00	1,61.71	(-)3,38.29	₹ 3,38.29 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4059-01-051-65- चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय का निर्माण कार्य हरियाणा (पंचकूला)	मूल	11,00.00	11,00.00	7,45.58	(-)3,54.42	₹ 3,54.42 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4059-01-051-66- पंचकूला में कार्यालय भवन और श्रम शक्ति भवन का निर्माण करने के लिए प्लॉट की खरीद	मूल	5,00.00	5,00.00	2,90.41	(-)2,09.59	₹ 2,09.59 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-08-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051-68- रोजगार भवन का निर्माण	मूल	5,00.00	5,00.00	3,45.64	(-)1,54.36	₹ 1,54.36 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4059-01-051-69- राज्य चौकसी ब्यूरो के कार्यालय निर्माण हेतु	मूल	20,00.00	20,00.00	0,00	(-)20,00.00	₹ 20,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4059-01-051-99- जिला प्रशासन	मूल	2,00,00.00	2,00,00.00	1,52,67.54	(-)47,32.46	₹ 47,32.46 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4059-01-201-99- कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि की खरीद (गृहक्षी तथा सिविल रक्षी)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-07-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4059-60-051-60-रेवाड़ी में बावल में न्यायिक परिसर का निर्माण	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-)4,00.00	₹ 4,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4059-60-051-61-सैक्टर-27 पिंजौर कालका में प्रशासनिक परिसर और न्यायिक परिसर कालका का निर्माण	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-)4,00.00	₹ 4,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4059-60-051-62-अम्बाला शहर में न्यायिक अधिकारियों के लिए निःशुल्क होल्डिंग आधार पर आवासीय परिसर का निर्माण	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-)4,00.00	₹ 4,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4059-60-051-63-करनाल में वकील चैंबर परिसर का निर्माण	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-)4,00.00	₹ 4,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-08-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4059-60-051-64- विधायकों के फ्लैट्स का निर्माण	मूल	1,00.00	1,00.00	50.08	(-)49.92	₹ 49.92 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4059-60-051-72- खजाना तथा लेखा प्रशासन	मूल	5,00.00	5,00.00	0	(-)5,00.00	₹ 5,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4059-60-051-96- जेलें	मूल	70,00.00	70,00.00	51,96.27	(-)18,03.73	₹ 18,03.73 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4059-60-051-97- आबकारी व कराधान	मूल	20,00.00	20,00.00	10,41.55	(-)9,58.45	₹ 9,58.45 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-08-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4059-60-051-98- न्याय प्रशासन	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	45,42.77	(-)54,57.23	₹ 54,57.23 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4059-80-001-98- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) विभाग पी डब्ल्यू डी (भवन और सड़कें) (BAR-PLO-CAP)	मूल	5,20,00.00	9,53,76.47	0	(-)9,53,76.47	₹ 9,53,76.47 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	4,33,76.47				
4202-01-201-99- विद्यालय भवन का निर्माण	मूल	25,00.00	25,00.00	22,01.09	(-)2,98.91	₹ 2,98.91 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4202-02-789-99- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए बहुतकनीकियों में छात्रावास का निर्माण	मूल	5,00.00	5,00.00	35.31	(-)4,64.69	₹ 4,64.69 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-08-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4202-04-106-99- भवन (पुरातत्व)	मूल	0.00	20,00.00	8,19.14	(-)11,80.86	₹ 11,80.86 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	20,00.00				
4210-03-101-90- स्वर्ण जयंती योजना के तहत भवन का निर्माण	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4210-03-101-91- राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/हस्पताल के भवन का निर्माण	मूल	30,50.00	30,50.00	14,59.41	(-)15,90.59	₹ 15,90.59 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4210-03-101-92- राजकीय आयुर्वेदिक/ यूनानी/होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों के भवन निर्माण/मुरम्मत करने बारे	मूल	5,00.00	5,00.00	2,90.59	(-)2,09.41	₹ 2,09.41 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-08-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4210-03-101-98- राजकीय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं अनुसंधान संस्थान पंचकूला तथा इसी प्रांगण में निदेशालय आयुर्वेद हरियाणा का भवन निर्माण	मूल	50.00	50.00	0	(-)50.00	₹ 50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4216-01-106-76- स्वर्ण जयंती योजना के अन्तर्गत उपमंडल स्तर पर आवासीय परिसर/ट्रांजिट फ्लैटों का निर्माण	मूल	10,00.00	10,00.00	48.97	(-)9,51.03	₹ 9,51.03 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4216-01-106-96- लोक निर्माण कार्य	मूल	15,00.00	15,00.00	8,88.64	(-)6,11.36	₹ 6,11.36 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4216-01-106-97- जेलें	मूल	51,20.00	51,20.00	42,10.35	(-)9,09.65	₹ 9,09.65 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-08-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4216-01-106-98- जिला प्रशासन	मूल	30,00.00	30,00.00	24,32.78	(-)5,67.22	₹ 5,67.22 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4216-01-106-99- न्याय प्रशासन	मूल	62,00.00	62,00.00	19,61.42	(-)42,38.58	₹ 42,38.58 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4235-02-101-93- संस्थान के लिए प्लाट व निदेशालय तथा हरियाणा के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए भवन का निर्माण। नाम बदलकर संस्थान के लिए प्लाट व निदेशालय कार्यालयों के लिए भवन का निर्माण (स्वर्ण जयंती)	मूल	15,00.00	15,00.00	23.89	(-)14,76.11	₹ 14,76.11 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4235-02-103-99- परित्यक्त स्त्रियों, विधवाओं नवयुवतियों के लिए गृह तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण उत्थान केन्द्र	मूल	8,00.00	8,00.00	6.49	(-)7,93.51	₹ 7,93.51 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-08-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4235-02-104-99- अनाथ एवं बूढ़ों के लिए कल्याण गृह का नाम बदलकर अशक्त एवं बूढ़ों के लिए गृह, रिवाड़ी (स्वर्ण जयंती परियोजना)	मूल	10.00	6,10.00	3,85.24	(-)2,24.76	₹ 2,24.76 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	6,00.00				
4250-51-789-98- अनुसूचित जातियों के लिए प्रशिक्षण भवन	मूल	15,00.00	15,00.00	7,34.91	(-)7,65.09	₹ 7,65.09 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4250-51-800-90- नए आई टी आई का निर्माण (स्वर्ण जयंती)	मूल	30,00.00	30,00.00	5,39.58	(-)24,60.42	₹ 24,60.42 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4401-51-113-97- कृषि कार्यालय भवन का निर्माण	मूल	10,00.00	10,00.00	2,70.06	(-)7,29.94	₹ 7,29.94 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-08-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5053-60-800-96- स्वर्ण जयंती एकीकृत हिसार में एविएशन हब	मूल	1,20,00.00	1,20,00.00	12,10.32	(-)1,07,89.68	₹ 1,07,89.68 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
5053-60-800-99- हवाई अड्डों का रख रखाव	मूल	50,00.00	50,00.00	3,23.55	(-)46,76.45	₹ 46,76.45 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
5054-04-101-84- हरियाणा राज्य में सेतुओं एवं रेलवे उपरगामी सेतुओं का निर्माण (97- नाबार्ड योजना के अन्तर्गत सेतु और रेलवे उपरगामी सेतुओं का निर्माण हेतु स्कीम)	मूल	15,00.00	15,00.00	10,09.32	(-)4,90.68	₹ 4,90.68 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
5054-04-101-84- हरियाणा राज्य में सेतुओं एवं रेलवे उपरगामी सेतुओं का निर्माण (98-सेतु और रेलवे उपरगामी सेतु का निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना)	मूल	60,00.00	60,00.00	25,82.20	(-)34,17.80	₹ 34,17.80 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-08-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5054-04-337-98- ग्रामीण सड़कें (97- नाबार्ड योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण/ सुदृढीकरण/ चौड़ा करना तथा सड़कों का बाईपास)	मूल	1,70,00.00	1,70,00.00	1,38,43.67	(-)31,56.33	₹ 31,56.33 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
5054-04-337-98- ग्रामीण सड़कें (98- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना हेतु सड़कों का निर्माण/ सुदृढीकरण/ चौड़ा करना तथा सड़कों का बाईपास)	मूल	75,00.00	75,00.00	41,78.14	(-)33,21.86	₹ 33,21.86 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
5054-04-337-99- जिला सड़कें (98- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत निर्माण/सुदृढीकरण/ चौड़ा करना)	मूल	80,00.00	80,00.00	36,58.85	(-)43,41.15	₹ 43,41.15 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
5054-04-337-99- जिला सड़कें (99-राज्य योजना हेतु सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण/ चौड़ा करना तथा उन्नयन)	मूल	70,00.00	70,00.00	37,77.75	(-)32,22.25	₹ 32,22.25 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-08-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5054-04-789-99- अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में सड़कों का निर्माण चौड़ा पक्का करने एवं विशेष मरम्मत (97-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अंशदान)	मूल	23,00.00	23,00.00	2,21.32	(-)20,78.68	₹ 20,78.68 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
5054-04-789-99- अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में सड़कों का निर्माण चौड़ा पक्का करने एवं विशेष मरम्मत (98-नाबार्ड अंशदान)	मूल	55,00.00	55,00.00	31,61.19	(-)23,38.81	₹ 23,38.81 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
5054-04-789-99- अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में सड़कों का निर्माण चौड़ा पक्का करने एवं विशेष मरम्मत (99-राज्य अंशदान)	मूल	65,00.00	65,00.00	13,25.02	(-)51,74.98	₹ 51,74.98 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(8) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4059-60-051-99- लोक निर्माण कार्य	मूल	60,00.00	60,00.00	70,77.23	(+)10,77.23	₹ 10,77.23 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1- 4/हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

68
अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4202-03-101-99- भवन (युवा छात्रावास)	मूल	0	0.00	4,74.48	(+)4,74.48	₹ 4,74.48 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4202-01-110-99- भवन	मूल	1,12,00.00	1,12,00.00	1,70,09.31	(+)58,09.31	₹ 58,09.31 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/18-19/19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4250-51-800-94- औद्योगिक प्रशिक्षण के विकास हेतु आधारभूत संरचना का सृजन करना	मूल	40,00.00	40,00.00	60,55.96	(+)20,55.96	₹ 20,55.96 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
5054-03-101-81- हरियाणा राज्य में सेतुओं का निर्माण (99-सेतु एवं रेलवे उपरगामी सेतु का राज्य योजना के अन्तर्गत निर्माण)	मूल	10,00.00	10,00.00	27,49.41	(+)17,49.41	₹ 17,49.41 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

69
अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5054-03-337-88- हरियाणा राज्य में सेतुओं का निर्माण (99-राज्य योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण-पक्का- चौड़ा और सुधार करना)	मूल	1,10,00.00	1,10,00.00	1,55,39.44	(+)45,39.44	₹ 45,39.44 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
5054-04-337-49- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कें (99-अम्बाला सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण)	मूल	1.00	1.00	48,72.04	(+)48,71.04	₹ 48,71.04 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
5054-80-800-98- हरियाणा राज्य में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए राज्य के हिस्से को उपलब्ध कराना	मूल	2,00,00.00	2,00,00.00	2,56,22.14	(+)56,22.14	₹ 56,22.14 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 08/ 699-700 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

अनुदान संख्या 8-जारी

- (9) लोक निर्माण-कार्य विभाग, भवन तथा सड़कें शाखा-मुख्य शीर्ष-2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 3054-सड़कें तथा सेतु, 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय में निदेशन तथा प्रशासन/मशीनरी तथा उपकरण प्रभारों की समीक्षा:-

वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान निर्माण-कार्य परिव्यय पर निदेशन तथा प्रशासन/मशीनरी तथा उपकरण प्रभारों की प्रतिशतता की निम्न प्रकार से तुलना की गई है:-

वर्ष	निर्माण-कार्य परिव्यय	निदेशन तथा प्रशासन प्रभार	मशीनरी तथा उपकरण प्रभार	प्रतिशतता	
				निर्माण-कार्य परिव्यय पर निदेशन तथा प्रशासन प्रभार	निर्माण-कार्य पर मशीनरी तथा उपकरण प्रभार
(₹लाख में)					
2017-18	25,84,58.81	5,55,21.08	44,63.33	21.48	1.73
2018-19	26,57,76.50	5,84,10.43	47,70.37	21.98	1.79
2019-20	29,29,74.86	6,39,80.52	49,90.90	21.84	1.70

- (10) उच्चत लेन-देन:- अनुदान के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उच्चत' के अन्तर्गत ₹ 94,84.11 लाख शामिल है। शीर्ष 'उच्चत' अन्तिम लेखा शीर्ष नहीं है। इसमें अन्तरिम अस्थाई लेन-देन शामिल किए जाते हैं, जिसके लिए लेन-देन को पूर्ण तथा अन्तिम रूप से लेखांकित किया हुआ समझने से पहले आगे भुगतान अथवा मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन, यदि अन्तिम लेखा शीर्ष में समायोजित नहीं किए गए हों, तो वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। शीर्ष 'उच्चत' के चार उपभाग हैं, अर्थात्
- क्रय,
 - स्टाक,
 - विविध लोक निर्माण-कार्य पेशगियां और,
 - वर्कशाप उच्चत
- इन उप-भागों में से प्रत्येक के अन्तर्गत लेन-देनों का स्वरूप और लेखांकन नीचे स्पष्ट किया गया है:-
- क्रय:- यह उप-शीर्ष बकाया मदों के समायोजन को छोड़कर क्रियाशील नहीं है और शेषों के समस्त समायोजन तक निरन्तर अलग ही दर्शाया जाएगा। इस शीर्ष के अन्तर्गत जमा शेष भण्डारों के मूल्यों का द्योतक है जो प्राप्त तो हो गए हैं परन्तु जिनका भुगतान नहीं किया गया है।
 - स्टाक:- यह उप-शीर्ष भण्डार सामग्रियों की अधिप्राप्ति और विनिर्माण संक्रियाओं से संबंधित सकल व्यय से प्रभारित किया जाता है। इसमें निर्माण-कार्य को जारी की गई अथवा बेची गई अथवा अन्य रूप से निपटाई गई सामग्रियों का मूल्य और उत्पादन का मूल्य जमा (क्रेडिट) किया जाता है और लेखाओं में शेष स्टाक में सामग्रियों के खाता मूल्य जमा विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभारों आदि, यदि कोई हो तो, का द्योतक है।
 - विविध लोक निर्माण-कार्य पेशगियां:- यह उप-शीर्ष अभिलिखित करता है:-

अनुदान संख्या 8-समाप्त

- (क) सामग्रियों का उधार विक्रय,
 (ख) जमा निर्माण-कार्यों पर अंशदान की प्राप्ति से पहले या प्राप्त अंशदान से अधिक किया गया व्यय।
 (ग) हानियां तथा कटौतियों, और
 (घ) अन्य मदें जिनका समायोजन प्रतीक्षित हैं इसलिए इस शीर्ष के अंतर्गत नामें शेष प्रायः वसूली योग्य राशि का द्योतक होगा।
 (iv) वर्कशाप उचन्त:- विभागीय वर्कशापों में अन्य संक्रियाओं के लिए निष्पादित कार्यों के प्रभार, उनकी वसूली या समायोजन अनिर्णित होने पर इस उप शीर्ष को नामें (डेबिट) किए जाते हैं। इसलिए 'वर्कशाप उचन्त' के अन्तर्गत शेष लोक निर्माण-कार्य वर्कशापों में वर्ष के अन्त में चल रहे कार्यों पर व्यय का द्योतक हैं।
 वर्ष 2019-20 के दौरान अनुदान में 'उचन्त' के अन्तर्गत आदि और अन्त शेषों सहित लेन-देनों के ब्यौरे निम्न प्रकार थे :-

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष डेबिट (+) क्रेडिट (-)	डेबिट	क्रेडिट	अन्तः शेष डेबिट (+) क्रेडिट (-)
	(₹लाख में)			
क्रय	(-)21.18*	0	0	(-)21.18*
स्टाक	(+)1,31,66.15	(+)17,73.59	(-)12,47.97	(+)1,36,91.77
विविध लोक				
निर्माण-कार्य	(+)44,96.82	(+)4,88.60	(-)4,95.39	(+)44,90.03
पेशगियां	(-)86,76.51	0	0	(-)86,76.51
वर्कशाप उचन्त				
जोड़	(+)89,65.28	(+)22,62.19	(-)17,43.36	(+)94,84.11

*मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण में लघु शीर्ष उचन्त के अन्तर्गत उप-शीर्ष का परिचालन वित्त वर्ष 1982-83 से समाप्त कर दिया गया ।

(11) केन्द्रीय सड़क निधि से परिदान (सबवेंशन):-

मोटर स्पिरिट पर उत्पाद तथा आयात शुल्कों के आगम से प्राप्त किया गया राजस्व भारत सरकार द्वारा गठित निधि, 'केन्द्रीय सड़क निधि' में जमा किया जाता है। इस निधि में से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय के लिए राज्यों और संघ क्षेत्रों को परिदान किए जाते हैं, परिदान के रूप में प्राप्त राशि को केन्द्रीय सरकार से अनुदान के रूप में क्रेडिट किया जाता है और उतनी ही राशि इस अनुदान (अनुदान संख्या '8-भवन तथा सड़कें') के अन्तर्गत किए गए प्रावधान के समक्ष जमा लेखा 'केन्द्रीय सड़क निधि से परिदान' को अन्तरित कर दी जाती है।

योजना पर वास्तविक व्यय प्रारम्भ में इस अनुदान के अन्तर्गत लेखांकित किया जाता है और तत्पश्चात् जमा लेखाओं को अन्तरित किया जाता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 2,00,77 लाख का परिदान प्राप्त हुआ तथा वर्ष 2018-19 के अन्त तक ₹ 2,18,47.32 लाख का क्रेडिट शेष असमायोजित था। ₹ 4,19,24.32 लाख की कुल राशि के विरुद्ध वर्ष 2019-20 के दौरान जमा राशि के शेष में से ₹ 1,60,59.09 लाख की राशि व्यय की गई, जिससे 31 मार्च 2020 को शीर्ष 8449-अन्य जमा लेखे के अन्तर्गत ₹ 2,58,65.23 लाख का शेष था।

निधि के लेन-देनों का लेखा 2019-20 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 में दिया गया है ।

अनुदान संख्या 9-शिक्षा

(मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

शीर्ष		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,39,41,97,51	1,43,20,09,51	1,36,32,85,35	(-)6,87,24,16
पूरक	3,78,12,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत

दत्तमत

शीर्ष		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,00,00,01	1,00,00,01	0.00	(-)1,00,00,01
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

- (1) ₹ 6,87,24.16 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में लिया गया ₹ 3,78,12 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा ।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिए गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-01-001-93- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) मौलिक शिक्षा (EDP-PLO-REV)	मूल	0.01	1,05,00.01	0	(-)1,05,00.01	₹ 1,05,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 09/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	1,05,00.00				
2202-01-001-97- पर्यवेक्षण-प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त अमले की नियुक्ति (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	4,40.00	4,40.00	3,22.48	(-)1,17.52	₹ 1,17.52 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 09/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-01-053-96- सरकारी प्राइमरी स्कूलों के भवनों का रखरखाव	मूल	25,00.00	25,00.00	20,08.29	(-)4,91.71	₹ 4,91.71 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 09/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-01-101-95-सुविधाओं का विस्तार कक्षा छठी से आठवी (पूर्णकालीन)	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	0.00	(-)1,00,00.00	₹ 1,00,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 09/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-01-101-97-सुविधाओं का विस्तार कक्षा पहली से पांचवी (पूर्णकालीन)	मूल	2,00.00	2,00.00	86.96	(-)1,13.04	₹ 1,13.04 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 09/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-01-102-92-अराजकीय प्राथमिक पाठशालाओं को सहायतानुदान (वेतन-अनुदान)	मूल	20,00.00	20,00.00	97.91	(-)19,02.09	₹ 19,02.09 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 09/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-01-102-93-गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक पाठशालाओं हेतु पेंशन लागू करना	मूल	20,00.00	20,00.00	14,83.30	(-)5,16.70	₹ 5,16.70 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 09/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-01-109-84- कक्षाएँ पहली से आठवीं के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मासिक वजीफे	मूल	60,00.00	60,00.00	35,10.27	(-)24,89.73	₹ 24,89.73 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 09/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-01-109-85-कक्षाएँ पहली से आठवीं के गरीबी रेखा से नीचे के विद्यार्थियों को मासिक वजीफा	मूल	7,00.00	7,00.00	3,52.14	(-)3,47.86	₹ 3,47.86 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 09/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-01-111-99-सर्व शिक्षा अभियान	मूल	4,69,24.50	4,69,24.50	3,64,24.50	(-)1,05,00.00	₹ 1,05,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 09/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-01-112-99-प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिये मध्य दिवस योजना	मूल	3,21,15.00	3,21,15.00	2,70,31.32	(-)50,83.68	₹ 50,83.68 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 09/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-01-789-98-कक्षा पहली से आठवीं के अनुसूचित जाति हेतु नकद इनाम योजना	मूल	65,00.00	65,00.00	53,15.42	(-)11,84.58	₹ 11,84.58 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 09/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-01-789-99-कक्षा छठी के अनुसूचित जाति के छात्र विद्यार्थियों हेतु मुफ्त साइकलें प्रदान करना	मूल	3,50.00	3,50.00	1,69.75	(-)1,80.25	₹ 1,80.25 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 09/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-01-793-98-मध्यान्तर भोजन पाठशाला का राष्ट्रीय कार्यक्रम	मूल	50,00.00	50,00.00	27,98.75	(-)22,01.25	₹ 22,01.25 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 09/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-01-793-99-सर्व-शिक्षा अभियान	मूल	1,97,93.00	1,97,93.00	1,62,13.46	(-)35,79.54	₹ 35,79.54 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 09/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-01-800-91-स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (96-छात्रों का संस्कृति कार्यक्रम)	मूल	4,00.00	4,00.00	3,45.19	(-)54.81	₹ 54.81 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 09/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-01-800-91-स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (98-सुगम शिक्षा-सभी स्कूलों को अध्यापक प्रदान करना)	मूल	30,00.00	30,00.00	6,51.11	(-)23,48.89	₹ 23,48.89 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-01-800-91-स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (99-स्वच्छ प्रांगण)	मूल	20,00.00	20,00.00	5,14.52	(-)14,85.48	₹ 14,85.48 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-01-800-93-शिक्षा का अधिकार अधिनियम	मूल	1,01,20.00	1,01,20.00	72,26.30	(-)28,93.70	₹ 28,93.70 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-02-001-92-कार्यप्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) माध्यमिक शिक्षा (ई डी एस- पी एल ओ-आर ई वी)	मूल	0.01	30,12.01	0.20	(-)30,11.81	₹ 30,11.81 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	30,12.00				
2202-02-001-97-स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन	मूल	74,00.00	74,00.00	52,42.19	(-)21,57.81	₹ 21,57.81 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-02-001-99-प्रशासनिक अमला (97-सूचना संचार प्रदयोगिकी)	मूल	6,00.00	6,00.00	3,26.46	(-)2,73.54	₹ 2,73.54 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-02-001-99-प्रशासनिक अमला (98-जिला शिक्षा अधिकारी स्थापना) (क्षेत्रीय अमला)	मूल	69,28.00	69,28.00	52,14.84	(-)17,13.16	₹ 17,13.16 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-02-001-99-प्रशासनिक अमला (99-मुख्यालय अमला)	मूल	45,98.00	45,98.00	37,84.81	(-)8,13.19	₹ 8,13.19 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-02-004-99-राज्य अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् गुडगांव की स्थापना	मूल	13,32.00	13,32.00	9,42.05	(-)3,89.95	₹ 3,89.95 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-02-053-99-सरकारी स्कूलों में विस्तार तथा बदलाव	मूल	1,88,00.00	1,88,00.00	57,01.56	(-)1,30,98.44	₹ 1,30,98.44 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-02-105-91-शिक्षा एवं प्रशिक्षण खण्ड संस्थान की स्थापना (बी.आई.ई.टी.)	मूल	2,00.00	2,00.00	1,37.82	(-)62.18	₹ 62.18 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-02-105-92-जिला स्तर पर शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (डाईट्स)	मूल	73,55.00	73,55.00	61,58.47	(-)11,96.53	₹ 11,96.53 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-02-105-93-झज्जर में राज्य स्तर पर स्वायत्त प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	मूल	13,00.00	13,00.00	0.00	(-)13,00.00	₹ 13,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-02-105-98-जूनियर बेसिक प्रशिक्षण संस्थाएँ	मूल	3,76.00	3,76.00	1,69.79	(-)2,06.21	₹ 2,06.21 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-02-107-81-छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना	मूल	10,00.00	10,00.00	4,57.55	(-)5,42.45	₹ 5,42.45 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-02-107-83-बैंक पुस्तिका/पुस्तकालय	मूल	1,30.00	1,30.00	93.74	(-)36.26	₹ 36.26 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-02-107-86-कक्षा 9 से 12 तक के पिछड़े वर्ग श्रेणी- ए के विद्यार्थियों के लिए मासिक प्रोत्साहन	मूल	40,00.00	40,00.00	19,52.16	(-)20,47.84	₹ 20,47.84 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-02-107-87-कक्षा 9 से 12 तक के गरीबी रेखा से नीचे के विद्यार्थियों के लिए मासिक प्रोत्साहन	मूल	6,00.00	6,00.00	2,39.28	(-)3,60.72	₹ 3,60.72 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-02-107-90-छात्र सुरक्षा वीमा कीति	मूल	23.00	23.00	0.00	(-)23.00	₹ 23 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-02-107-99-छात्रवृत्तियाँ (माध्यमिक स्कूल)	मूल	1,60.00	1,60.00	1,38.83	(-)21.17	₹ 21.17 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-02-109-85-शिक्षा में पिछड़े- खण्डों में आदर्श स्कूल खोलने बारे	मूल	54,30.00	54,30.00	28,94.59	(-)25,35.41	₹ 25,35.41 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-02-109-86-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	मूल	3,12,40.00	3,12,40.00	2,43,96.48	(-)68,43.52	₹ 68,43.52 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-02-110-96-अराजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल हेतु पेंशन योजना का लागू करना	मूल	70,00.00	70,00.00	51,63.60	(-)18,36.40	₹ 18,36.40 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-02-110-98- अराजकीय माध्यमिक स्कूलों को सहायतानुदान (वेतन अनुदान)	मूल	20,00.00	20,00.00	7,83.65	(-)12,16.35	₹ 12,16.35 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-02-789-96-कक्षा 9 से 12 तक के अनुसूचित जाति हेतु मासिक वजीफा देना	मूल	75,00.00	75,00.00	47,02.73	(-)27,97.27	₹ 27,97.27 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-02-789-97-कक्षा 9 से 12 तक के अनुसूचित जाति हेतु नकद इनाम योजना	मूल	35,00.00	35,00.00	26,82.96	(-)8,17.04	₹ 8,17.04 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-02-789-99- अनुसूचित जाति के कक्षा 9 से 11 तक के विद्यार्थियों को मुफ्त साईकिल प्रदान करना	मूल	5,00.00	5,00.00	3,75.97	(-)1,24.03	₹ 1,24.03 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-02-793-98- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	80,29.30	(-)19,70.70	₹ 19,70.70 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-02-800-97-स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (96-विद्यार्थियों हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम)	मूल	2,00.00	2,00.00	1,59.97	(-)40.03	₹ 40.03 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-02-800-97-स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (97-सु-संस्कार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ) (बी0बी0बी0 पी0)	मूल	15,00.00	15,00.00	12,80.94	(-)2,19.06	₹ 2,19.06 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-02-800-97-स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (98-सभी स्कूलों में शिक्षकों को सुगम शिक्षा प्रदान करना)	मूल	30,00.00	30,00.00	6,67.04	(-)23,32.96	₹ 23,32.96 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-02-800-97-स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (99-स्वच्छ प्रांगण)	मूल	2,00.00	2,00.00	1,59.59	(-)40.41	₹ 40.41 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-03-001-96-कार्य प्रगति से जुड़ा परिव्यय (पी एल ओ) शिक्षा उच्च (ई डी एच-पी एल ओ-आर ई वी)	मूल	0.01	2,43,00.01	0	(-)2,43,00.01	₹ 2,43,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	2,43,00.00				
2202-03-001-99-प्रशासनिक अमला (99-मुख्यालय अमला स्थापना (एच.क्यू))	मूल	23,31.29	23,31.29	20,58.85	(-)2,72.44	₹ 2,72.44 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-03-105-87-लड़के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक व सैरसपाटा यात्रा	मूल	50.00	50.00	27.04	(-) 22.96	₹ 22.96 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-03-105-90-राजकीय महाविद्यालयों में खेलकूद क्रिया कलाप	मूल	2,20.00	2,20.00	1,41.69	(-)78.31	₹ 78.31 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-03-105-92-राजकीय महाविद्यालयों तथा मुख्यालयों पर शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों के लिए मानव संसाधन विकास	मूल	5,00.00	5,00.00	3,50.32	(-)1,49.68	₹ 1,49.68 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-03-105-93-राजकीय महाविद्यालयों में रोजगार सैल की स्थापना	मूल	1,50.00	1,50.00	80.39	(-)69.61	₹ 69.61 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-03-105-99-निदेशालय स्तर तथा महाविद्यालय स्तर पर महिला सैल की स्थापना	मूल	2,30.00	2,30.00	1,52.98	(-)77.02	₹ 77.02 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-03-107-98- छात्रवृत्तियाँ (महाविद्यालय)	मूल	2,25.00	2,25.00	1,00.31	(-)1,24.69	₹ 1,24.69 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-03-107-99-कला महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति	मूल	50.00	50.00	13.97	(-)36.03	₹ 36.03 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-04-200-98-अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	मूल	68.00	68.00	28.43	(-)39.57	₹ 39.57 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 9-जारी

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-02-107-84-माध्यमिक स्तर पर हरियाणा राज्य के मैरिट छात्रों को छात्रवृत्ति देने बारे	मूल	2,20.00	2,20.00	2,97.56	(+)77.56	₹ 77.56 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-03-001-99-प्रशासनिक अमला (97- सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	4,00.00	4,00.00	16,81.75	(+)12,81.75	₹ 12,81.75 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-03-102-92-भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुरकलां (सोनीपत) की स्थापना	मूल	50,00.00	50,00.00	84,00.00	(+)34,00.00	₹ 34.00 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-03-102-96-महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक को सहायता	मूल	28,00.00	28,00.00	53,00.00	(+)25,00.00	₹ 25,00 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-03-102-99-कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को सहायता	मूल	70,00.00	70,00.00	1,25,00.00	(+)55,00.00	₹ 55,00 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-03-103-98-राजकीय कालेज	मूल	2,27,50.00	2,27,50.00	2,96,22.88	(+)68,72.88	₹ 68,72.88 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2202-03-104-99-गैर सरकारी महाविद्यालयों का सहायतानुदान	मूल	3,94.00.00	3,94,00.00	4,90,00.00	(+)96,00.00	₹ 96,00 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ हरि/ 18-19/ 19-20/ अनु.सं. 09/-552-55 दिनांक 25-07-2019 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 9-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-03-190-99-गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम की स्थापना	मूल	20,00.00	20,00.00	40,00.00	(+)20,00.00	₹ 20,00 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

पूजीगत

दत्त अनुदान

(5) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4202-01-202-97-नाबार्ड के तहत वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च विद्यालय भवन का निर्माण	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	0.00	(-)1,00,00.00	₹ 1,00,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 9/615-18 दिनांक 11.08.2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-10-तकनीकी शिक्षा

(मुख्य शीर्ष- 2203 तकनीकी शिक्षा)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	4,82,72,00	5,87,72,00	5,29,49,12	(-)58,22,88
पूरक	1,05,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

- (1) ₹ 58,22.88 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 1,05,00 लाख का पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2203-51-001-89-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिचय (पी एल ओ) तकनीकी शिक्षा (TED-PLO-REV)	मूल	0.01	1,05,00.01	0	(-)1,05,00.01	₹ 1,05,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 10/ 613-14 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
	पूरक	1,05,00.00				

अनुदान संख्या-10-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2203-51-001-93- तकनीकी शिक्षा निदेशालय (मुख्यालय अमला)	मूल	7,62.00	7,62.00	6,50.50	(-)1,11.50	₹ 1,11.50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 10/ 613-14 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2203-51-001-97- हरियाणा तकनीकी शिक्षा निदेशालय का सुदृढीकरण (98-स्थापना व्यय)	मूल	4,00.00	4,00.00	2,38.76	(-)1,61.24	₹ 1,61.24 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 10/ 613-14 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2203-51-105-55- बहुतकनीकियों के माध्यम से सामुदायिक विकास	मूल	1,20.00	1,20.00	17.00	(-)1,03.00	₹ 1,03 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा निधियों को कम जारी करने के कारण हुई।
2203-51-105-61- राजकीय बहुतकनीकियों को जारी रखना	मूल	57,05.00	57,05.00	44,75.15	(-)12,29.85	₹ 12,29.85 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 10/ 613-14 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-10-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2203-51-105-82- वर्तमान बहुतकनीकियों का आधुनिकीकरण	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00	₹ 1,50 लाख की बचत भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई ।
2203-51-105-89- राज्य में नए राजकीय बहुतकनीकियों की स्थापना	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-)4,00.00	₹ 4,00 लाख की बचत भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई ।
2203-51-112-90- नीलोखेड़ी जिला करनाल में राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना	मूल	5,00.00	5,00.00	3,92.30	(-)1,07.70	₹ 1,07.70 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 10/ 613-14 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2203-51-112-91- किलोहार्ड सोनीपत में भारतीय सूचना तकनीकी संस्थान की स्थापना (आई.आई.आई. टी.)	मूल	10,00.00	10,00.00	5,79.83	(-)4,20.17	₹ 4,20.17 लाख की बचत आई आई आई टी किलोहार्ड के नाम भूमि के हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी न होने के कारण हुई ।
2203-51-112-93- चौ. देवी लाल अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना	मूल	7,00.00	7,00.00	5,29.00	(-)1,71.00	₹ 1,71 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 10/ 613-14 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

अनुदान संख्या-10-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2203-51-112-94- राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय रिवाड़ी की स्थापना	मूल	2,50.00	2,50.00	1,71.11	(-)78.89	₹ 78.89 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 10/ 613-14 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2203-51-112-95- राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय झज्जर की स्थापना	मूल	2,50.00	2,50.00	1,92.77	(-)57.23	₹ 57.23 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 10/ 613-14 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2203-51-199-99- सरकारी/सोसाइटी मोड़ बहुतकनीकी को मान्यता (स्वर्ण जयंती योजना के तहत)	मूल	6,00.00	6,00.00	4,24.09	(-)1,75.91	₹ 1,75.91 लाख की बचत बिलों को भुगतान के लिए वित्त विभाग को भेजा गया, कोविड-19 के कारण वित्त विभाग द्वारा बिल पास नहीं किए गए के कारण हुई।
2203-51-789-97- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मुफ्त पुस्तकें	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत टेंडर प्रक्रिया को अन्तिम रूप न देने के कारण हुई।

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

अनुदान संख्या-10-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2203-51-102-98- दीन बन्धू छोट्टू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुख्य (सोनीपत)	मूल	40,00.00	40,00.00	90,00.00	(+)50,00.00	₹ 50,00 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 10/ 613-14 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2203-51-102-99- गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हिसार	मूल	50,00.00	50,00.00	85,00.00	(+)35,00.00	₹ 35,00 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 10/ 613-14 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2203-51-104-73- मेवात इंजीनियरिंग कालेज गाँव पाला मेवात में लड़कों के नए हॉस्टल का निर्माण	मूल	0.00	0.00	50.00	(+)50.00	₹ 50 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 10/ 613-14 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2203-51-112-92- राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान पंचकूला की स्थापना	मूल	20,00.00	20,00.00	24,50.00	(+)4,50.00	₹ 4,50 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 10/ 613-14 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-11-खेलकूद तथा युवा कल्याण

(मुख्य शीर्ष-2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 4202 शिक्षा खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	3,82,94,02	4,07,01,03	2,92,08,12	(-)1,14,92,91
पूरक	24,07,01			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	50,00,01	70,00,01	55,39,42	(-)14,60,59
पूरक	20,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएँ-

राजस्व

- (1) ₹ 1,14,92.91 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 तथा मार्च 2020 में ₹ 24,07.01 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा ।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या-11-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2204-51-001-84- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) खेल और युवा कल्याण (SYW-PLO-REV)	मूल	0.01	19,70.01	0	(-)19,70.01	₹ 19,70.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20- 21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	19,70.00				
2204-51-001-91- नई कोचिंग योजना	मूल	1,45.00	1,45.00	1,17.11	(-)27.89	₹ 27.89 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2204-51-001-95- मोती लाल नेहरू खेल कूद स्कूल, राई तथा कमला नेहरू खेलकूद स्कूल, राई	मूल	50,61.50	50,61.50	20,47.98	(-)30,13.52	₹ 30,13.52 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20- 21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2204-51-001-98- खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	मूल	25,93.50	25,93.50	22,83.63	(-)3,09.87	₹ 3,09.87 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-11-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2204-51-001-99- खेलकूद निदेशालय हेतु आवश्यक अमले की नियुक्ति	मूल	6,75.00	6,75.00	5,36.55	(-)1,38.45	₹ 1,38.45 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2204-51-102-89- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) EDH शिक्षा (उच्चतर) (EDH-PLO-REV)	मूल	0.01	1,55.01	0	(-)1,55.01	₹ 1,55.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	1,55.00				
2204-51-102-91- नए बालिका बटालियन एन.सी.सी. यूनिट हिसार का खोलना	मूल	1,00.00	1,00.00	65.98	(-)34.02	₹ 34.02 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2204-51-102-93- डी.एच.ई. हरियाणा में एन.एस.एस. कक्ष का खोलना	मूल	1,50.00	1,50.00	43.10	(-)1,06.90	₹ 1,06.90 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-11-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2204-51-102-98- वार्षिक कैडेट कैम्पस पर व्यय	मूल	1,78.00	1,78.00	1,25.74	(-)52.26	₹ 52.26 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2204-51-102-99- राष्ट्रीय कैडेट कोर्पस पर व्यय	मूल	20,14.00	20,14.00	15,81.89	(-)4,32.11	₹ 4,32.11 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2204-51-104-48- पंचायत युवा क्रीडा एवं खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.) नया नाम खेलो इंडिया-खेलकूद के विकास हेतु कार्यक्रम- केन्द्रीय क्षेत्र योजना सहायतानुदान	मूल	8,00.00	8,00.00	0.00	(-)8,00.00	₹ 8,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2204-51-104-51- राज्य खेल परिषद योजना	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-11-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2204-51-104-52- खेलकूद ईनाम तथा प्रोत्साहन योजना (99-सामान्य योजना)	मूल	2,05.00	2,05.00	55.18	(-)1,49.82	₹ 1,49.82 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2204-51-104-53- सूचना पद्धति योजना का आधुनिकीकरण	मूल	35.00	35.00	12.83	(-)22.17	₹ 22.17 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2204-51-104-54- युवा विकास योजना	मूल	2,92.00	5,56.00	3,58.66	(-)1,97.34	₹ 1,97.34 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	2,64.00				
2204-51-104-55- खेलकूद का जनसमूह लोकप्रियता	मूल	90.00	90.00	16.11	(-)73.89	₹ 73.89 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-11-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2204-51-104-56- मानव संसाधन विकास योजना	मूल	50,00.00	50,00.00	42,71.57	(-)7,28.43	₹ 7,28.43 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2204-51-104-57- मूलभूत योजना	मूल	84,00.00	84,00.00	70,58.92	(-)13,41.08	₹ 13,41.08 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2204-51-104-69- खेल नर्सरी	मूल	23,28.00	23,33.00	8,12.07	(-)15,20.93	₹ 15,20.93 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	5.00				
2204-51-104-96- स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति	मूल	50.00	50.00	25.88	(-)24.12	₹ 24.12 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-11-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2204-51-104-99- खेलकूद छात्रावास	मूल	51.00	64.00	4.31	(-)59.69	₹ 59.69 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	13.00				
2204-51-800-96- खेलकूद एवं उपकरण का प्रावधान एवं विद्यालयों में खेलकूद मैदानों का विकास	मूल	2,00.00	2,00.00	84.05	(-)1,15.95	₹ 1,15.95 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2204-51-800-97- स्काउटिंग तथा गाइडिंग की सहायता	मूल	3,00.00	3,00.00	2,10.00	(-)90.00	₹ 90 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

पूँजीगत

दत्तमत अनुदान

- (4) ₹14,60.59 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 20,00 लाख का पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (5) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या-11-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4202-03-102-98- कार्य प्रगति से जुड़ा परिव्यय (पी एल ओ) खेल और युवा कल्याण (SYM-PLO-CAP)	मूल	0.01	20,00.01	0	(-)20,00.01	₹ 20,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	20,00.00				

(6) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4202-03-102-99- खेल मूलभूत योजना	मूल	50,00.00	50,00.00	55,39.42	(+)5,39.42	₹ 5,39.42 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 11/610-12 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(मुख्य शीर्ष-2205-कला एवं संस्कृति)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	38,42,00	1,34,13,00	11,75,50	(-)1,22,37,50
पूरक	95,71,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएँ-

राजस्व

- (1) ₹ 1,22,37.50 लाख की अन्तिम बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में ₹ 95,71 लाख का प्राप्त पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2205-51-102-99-राज्य अभिलेखाकार क्षेत्रीय संग्रहालयों की स्थापना तथा हरियाणा अभिलेखागार का विकास	मूल	2,43.00	2,43.00	1,87.81	(-)55.19	₹ 55.19 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 12/517-20 दिनांक 7-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

104
अनुदान संख्या-12-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2205-51-103-93- आंचलिक संग्रहालय की स्थापना	मूल	4,05.00	4,05.00	92.22	(-)3,12.78	₹ 3,12.78 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 12/517-20 दिनांक 7-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2205-51-103-94- राज्य पुरातत्व संग्रहालयों की स्थापना	मूल	10,00.00	10,00.00	15.58	(-)9,84.42	₹ 9,84.42 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 12/517-20 दिनांक 7-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2205-51-103-96- सुरक्षा/ परिक्षण प्राचीन स्मारक स्थलों का विकास	मूल	10,57.00	1,06,28.00	2,06.24	(-)1,04,21.76	₹ 1,04,21.76 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 12/517-20 दिनांक 7-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	95,71.00				
2205-51-103-97- प्रकाशन तथा प्रचार कार्यक्रम (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	1,50.00	1,50.00	13.91	(-)1,36.09	₹ 1,36.09 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 12/517-20 दिनांक 7-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2205-51-103-98- पुरातात्विक उत्खनन एवं अन्वेषण कार्यक्रम	मूल	2,00.00	2,00.00	26.23	(-)1,73.77	₹ 1,73.77 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 12/517-20 दिनांक 7-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

105
अनुदान संख्या-12-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2205-51-103-99- निदेशन तथा प्रशासन	मूल	2,01.00	2,01.00	1,69.02	(-)31.98	₹ 31.98 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 12/517-20 दिनांक 7-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2205-51-105-90- राजा राम मोहन राय (फाउण्डेशन) कलकत्ता को सहायतानुदान	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹ 30 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 12/517-20 दिनांक 7-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2205-51-105-99- जिला/ उपमण्डल पुस्तकालयों की स्थापना	मूल	5,08.69	5,08.69	4,45.72	(-)62.97	₹ 62.97 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 12/517-20 दिनांक 7-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

अनुदान संख्या-13-स्वास्थ्य

(मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	43,92,73,37	48,60,54,37	44,72,21,02	(-)3,88,33,35
पूरक	4,67,81,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

प्रभारित

मूल	25,00	25,00	21,54	(-)3,46
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	4,74,36,01	6,94,36,01	3,22,57,70	(-)3,71,78,31
पूरक	2,20,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

अनुदान संख्या-13-जारी

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹ 3,88,33.35 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 4,67,81 लाख का पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.4.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-01-001-92 कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) स्वास्थ्य विभाग (DHS-PLO-REV)	मूल	0.01	2,92,95.01	0	(-)2,92,95.01	₹ 2,92,95.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
	पूरक	2,92,95.00				
2210-01-110-35- स्वर्ण जयन्ती योजना का लागू करना	मूल	18,50.00	18,50.00	8,32.50	(-)10,17.50	₹ 10,17.50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-01-110-65- देवी रूपक राष्ट्र उत्थान एवं परिवार कल्याण योजना	मूल	80.00	80.00	57.27	(-)22.73	₹ 22.73 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-01-110-69- आप्रयुक्त बायोमेडिकल वस्तु प्रबन्ध के लिए वित्तिय सहायता	मूल	10,00.00	10,00.00	8,04.37	(-)1,95.63	₹ 1,95.63 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-01-110-73- रक्त संचालन केन्द्र	मूल	5,72.35	5,72.35	4,76.27	(-)96.08	₹ 96.08 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-01-192-99- स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थानों को अनुदान (पी आर आई)	मूल	6,02.00	6,02.00	0.00	(-)6,02.00	₹ 6,02 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-02-101-92- जिला आयुर्वेदिक कार्यालयों का सुदृढीकरण (98-स्थापना व्यय)	मूल	4,00.00	4,00.00	1,96.10	(-)2,03.90	₹ 2,03.90 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-02-101-92- जिला आयुर्वेदिक कार्यालयों का सुदृढीकरण (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	1,25.00	1,25.00	1,00.08	(-)24.92	₹ 24.92 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-02-101-93- मुख्यालय स्तर पर आयुष निदेशालय का सुदृढीकरण	मूल	1,18.00	1,18.00	73.98	(-)44.02	₹ 44.02 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-02-101-99- मुख्यालय अमला आयुर्वेदिक विभाग का पुनर्गठन	मूल	3,96.20	3,96.20	3,18.35	(-)77.85	₹ 77.85 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-02-102-99- होमियोपैथिक औषधालयों का खोलना/जारी रखना	मूल	50.00	50.00	28.25	(-)21.75	₹ 21.75 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-03-103-98- पी.एच.सी/सी.एच.सी ज के लिए औषधियों एवं सामग्री की खरीद	मूल	8,50.00	8,50.00	7,56.28	(-)93.72	₹ 93.72 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-03-789-99- जननी सुरक्षा योजना अनुसूचित जाति हेतु	मूल	5,00.00	5,00.00	3,84.04	(-)1,15.96	₹ 1,15.96 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-04-102-97- हौमियोपैथिक औषधालय का जारी रखना	मूल	5,15.80	5,15.80	3,55.97	(-)1,59.83	₹ 1,59.83 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-04-103-98- युनानी	मूल	4,88.90	4,88.90	4,13.06	(-)75.84	₹ 75.84 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-05-101-86- श्री कृष्ण आयुष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	11,92.72	(-)88,07.28	₹ 88,07.28 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-05-101-89- श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कुरुक्षेत्र तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान पंचकूला का सुदृढीकरण तथा सुधार	मूल	11,13.70	11,13.70	8,73.99	(-)2,39.71	₹ 2,39.71 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-05-105-71- नर्सिंग स्कूल/कालेज/ एम पी एच डब्ल्यू पुरुष की स्थापना	मूल	10,00.00	10,00.00	60.76	(-)9,39.24	₹ 9,39.24 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-05-105-72- कार्य प्रगति स जुड़ा हुआ परिषद (पी एल ओ) चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान (MER-PLO-REV)	मूल	0.01	1,42,82.01	0	(-)1,42,82.01	₹ 1,42,82.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	1,42,82.00				
2210-05-105-73- पंडित बी.डी.शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक हेतु मशीनरी एवं उपकरण की खरीद	मूल	15,00.00	15,00.00	13,50.00	(-)1,50.00	₹ 1,50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-05-105-74- कुटैल, करनाल में कल्पना चावला चिकित्सा विज्ञान नया नाम चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल की स्थापना	मूल	10,00.00	10,00.00	50.00	(-)9,50.00	₹ 9,50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-05-105-76- चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान हेतु मुख्यमन्त्री मुफ्त इलाज योजना (96-बी.पी.एस. राजकीय महिला चिकित्सा महाविद्यालय खानपुर कलां सोनीपत)	मूल	13,00.00	13,00.00	10,97.16	(-)2,02.84	₹ 2,02.84 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-05-105-76- चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान हेतु मुख्यमन्त्री मुफ्त इलाज योजना (99- कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, करनाल)	मूल	7,00.00	7,00.00	5,29.59	(-)1,70.41	₹ 1,70.41 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-05-105-77- राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान रोहतक की स्थापना	मूल	4,00.00	4,00.00	3,40.00	(-)60.00	₹ 60 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-05-105-83- अनुसन्धान एवं, चिकित्सा शिक्षा हरियाणा निदेशालय का कार्यालय की स्थापना	मूल	8,00.00	8,00.00	6,32.27	(-)1,67.73	₹ 1,67.73 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-06-003-93- चिकित्सा एवं पैरा चिकित्सा अमले को प्रशिक्षण	मूल	29,69.95	29,69.95	21,71.07	(-)7,98.88	₹ 7,98.88 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-06-101-91- निदेशालय स्तर पर नेत्र सेल की स्थापना	मूल	45.00	45.00	19.45	(-)25.55	₹ 25.55 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-06-102-99- जन विश्लेषक तथा खाद्य निरीक्षक	मूल	7,39.00	7,39.00	5,75.19	(-)1,63.81	₹ 1,63.81 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-06-104-45- खाद्य एवं ड्रग प्रशासन विभाग की स्थापना	मूल	6,53.00	6,53.00	4,40.90	(-)2,12.10	₹ 2,12.10 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-06-104-98- ड्रग नियंत्रण कार्यक्रम	मूल	9,97.00	9,97.00	8,78.71	(-)1,18.29	₹ 1,18.29 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-06-112-99- पौषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा	मूल	2,09.55	2,09.55	1,84.41	(-)25.14	₹ 25.14 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-06-199-99- केराटोप्लास्टी के लिए सहायतानुदान	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00	₹ 1,50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-80-004-93- स्वास्थ्य विभाग में कम्प्यूटर कक्ष की स्थापना	मूल	2,00.00	2,00.00	90.32	(-)1,09.68	₹ 1,09.68 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-80-004-97- चिकित्सा आंकड़े तथा मूल्यांकन	मूल	3,64.03	3,64.03	2,94.70	(-)69.33	₹ 69.33 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-80-199-98- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (98-अटल जननी वाहिनी सेवा)	मूल	30,00.00	30,00.00	21,00.00	(-)9,00.00	₹ 9,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-80-199-99- आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण मिशन	मूल	1,50,00.00	1,50,00.00	42,00.00	(-)1,08,00.00	₹ 1,08,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2211-51-001-97- शिशु जीवित सुरक्षित मातृत्व	मूल	9,47.00	9,47.00	6,57.33	(-)2,89.67	₹ 2,89.67 लाख की बचत पदों के रिक्त रहने, ठंडी साकल उपकरणों के रखरखाव पर कम व्यय तथा कार्यालय खर्च पर व्यय न होने के कारण हुई।
2211-51-001-98- जिला परिवार नियोजन ब्यूरो	मूल	19,00.00	19,00.00	10,89.14	(-)8,10.86	₹ 8,10.86 लाख की बचत पदों के रिक्त रहने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति तथा कार्यालय खर्च के अन्तर्गत व्यय न होने के कारण हुई।
2211-51-001-99- राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो	मूल	5,80.00	5,80.00	3,58.46	(-)2,21.54	₹ 2,21.54 लाख की बचत पदों के रिक्त रहने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति तथा कार्यालय खर्च के अन्तर्गत व्यय न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2211-51-003-95- एम. पी. डब्ल्यू. प्रशिक्षण पाठशाला (पुरुष), रोहतक	मूल	90.00	90.00	20.95	(-)69.05	₹ 69.05 लाख की बचत पदों के रिक्त रहने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति तथा कार्यालय खर्च के अन्तर्गत व्यय न होने के कारण हुई।
2211-51-003-98- ए.एन.एम. का प्रशिक्षण	मूल	9,35.00	9,35.00	5,83.29	(-)3,51.71	₹ 3,51.71 लाख की बचत पदों के रिक्त रहने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति तथा कार्यालय खर्च के अन्तर्गत व्यय न होने के कारण हुई।
2211-51-003-99- क्षेत्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र रोहतक	मूल	2,10.00	2,10.00	81.98	(-)1,28.02	₹ 1,28.02 लाख की बचत पदों के रिक्त रहने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति तथा कार्यालय खर्च के अन्तर्गत व्यय न होने के कारण हुई।
2211-51-102-99- शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	मूल	6,50.00	6,50.00	4,71.35	(-)1,78.65	₹ 1,78.65 लाख की बचत पदों के रिक्त रहने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति तथा कार्यालय खर्च के अन्तर्गत व्यय न होने के कारण हुई।
2211-51-200-99- परम्परागत गर्भ- निरोधक	मूल	2,90.00	2,90.00	1,54.78	(-)1,35.22	₹ 1,35.22 लाख की बचत पदों के रिक्त रहने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति तथा कार्यालय खर्च के अन्तर्गत व्यय न होने के कारण हुई।

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-01-001-99- मुख्यालय अमला स्वास्थ्य निदेशालय का सुधार तथा सुदृढीकरण	मूल	15,00.08	15,00.08	16,52.87	(+)1,52.79	₹ 1,52.79 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2210-01-110-38- मुख्यमन्त्री मुफ्त इलाज योजना	मूल	50,00.00	50,00.00	70,00.00	(+)20,00.00	₹ 20,00 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2210-01-110-40- शहरी स्वास्थ्य मिशन	मूल	25,00.00	25,00.00	27,51.10	(+)2,51.10	₹ 2,51.10 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2210-01-110-46- बाह्य साधनों से सहायता सेवाएं	मूल	1,50,00.00	1,50,00.00	2,07,04.73	(+)57,04.73	₹ 57,04.73 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-03-103-84- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सहायतानुदान	मूल	5,10,00.00	5,10,00.00	6,62,84.82	(+)1,52,84.82	₹ 1,52,84.82 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2210-03-103-99- पी.एच.सी. हेतु औषधियों की प्राथमिक स्वास्थ्य की खरीद का खोलना/ जारी रखना	मूल	2,50,00.00	2,50,00.00	2,86,56.18	(+)36,56.18	₹ 36,56.18 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2210-03-110-98- सन्दर्भित हस्पताल (एम. एन. पी.)	मूल	28,00.00	28,00.00	33,86.02	(+)5,86.02	₹ 5,86.02 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2210-04-101-81- राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए राज्य आयुष सोसाइटी, हरियाणा को सहायतानुदान	मूल	30,00.00	30,00.00	38,47.71	(+)8,47.71	₹ 8,47.71 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-05-105-76- चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान हेतु मुख्यमन्त्री मुफ्त इलाज योजना (97-पंडित बी.डी.शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय साईंस रोहतक)	मूल	20,00.00	20,00.00	22,00.00	(+)2,00.00	₹ 2,00 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2210-05-105-82- बी. पी. एस. महिला चिकित्सा महाविद्यालय खानपुर कलां (सोनीपत) की स्थापना	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	1,11,00.63	(+)11,00.63	₹ 11,00.63 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2210-05-105-94- महाराजा अग्रसेन इन्स्टीच्यूट आफ मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन, अगरोहा	मूल	70,00.00	70,00.00	80,00.00	(+)10,00.00	₹ 10,00 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2210-05-199-99- महाराजा अग्रसेन को मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च अगरोहा के लिए अनुदान सहायता	मूल	3,00.00	3,00.00	4,00.00	(+)1,00.00	₹ 1,00 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2210-06-101-58- अन्य बीमारियों का रोकथाम कार्यक्रम	मूल	14,55.78	14,55.78	17,19.99	(+)2,64.21	₹ 2,64.21 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2210-06-101-99- मलेरिया	मूल	1,77,66.60	1,77,66.60	2,10,18.93	(+)32,52.33	₹ 32,52.33 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2211-51-103-99- टीकाकरण कार्यक्रम	मूल	18,00.00	18,00.00	48.51.67	(+)30,51.67	₹ 30,51.67 लाख का आधिक्य वर्ष के दौरान भारत सरकार से (टीका तथा टंडी साकल उपकरण इत्यादि) की अधिक आपूर्ति की प्राप्ति के कारण हुई।

पूँजीगत

दत्तमत अनुदान

- (5) ₹ 3,71,78.31 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 2,20,00 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
- (6) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4210-03-105-86- कार्य प्रगति से जुड़ा परिव्यय (पी एल ओ) चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान (MER-PLO-CAP)	मूल	0.01	2,20,00.01	0	(-)2,20,00.01	₹ 2,20,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	2,20,00.00				
4210-03-105-87- एम्स, मनेठी (रिवाड़ी) का निर्माण कार्य	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4210-03-105-90- दन्त महाविद्यालय नलहार का निर्माण कार्य (99- भवन का निर्माण)	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	₹ 5,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4210-03-105-91- बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक का निर्माण कार्य (99- भवन का निर्माण)	मूल	60,00.00	60,00.00	15,00.00	(-)45,00.00	₹ 45,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-13-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4210-03-105-93- नए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय भिवानी का निर्माण कार्य	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	0.24	(-)99,99.76	₹ 99,99.76 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4210-03-105-94- नए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय जीन्द का निर्माण कार्य	मूल	30,00.00	30,00.00	5,00.00	(-)25,00.00	₹ 25,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4210-03-105-97- बी.पी.एस. महिला चिकित्सा महाविद्यालय खानपुर कलां (सोनीपत) का निर्माण (98-भवन निर्माण राज्य अंशदान)	मूल	5,00.00	5,00.00	42.62	(-)4,57.38	₹ 4,57.38 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4210-03-105-98- मेवात चिकित्सा महाविद्यालय नलहार का निर्माण (97-भवन का निर्माण)	मूल	70,00.00	70,00.00	12,80.00	(-)57,20.00	₹ 57,20 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-13-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4210-04-107-99- राज्य दवा नियामक प्रणाली को मजबूत बनाना	मूल	3,36.00	3,36.00	0.00	(-)3,36.00	₹ 3,36 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(7) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4210-03-105-92- स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल का निर्माण कार्य (99-भवन का निर्माण)	मूल	50,00.00	50,00.00	1,44,02.47	(+)94,02.47	₹ 94,02.47 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 13/608-09 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-14-नगर विकास

(मुख्य शीर्ष- 2217 शहरी विकास, 4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	5,83,02,01	5,83,02,01	1,05,68,62	(-)4,77,33,39
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	13,00,00,01	18,00,00,01	8,83,71,73	(-)9,16,28,28
पूरक	5,00,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

- (1) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिए गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (2) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2217-80-001-99- शहरी एवं ग्रामीण आयोजन (मुख्यालय अमला)	मूल	10,38.30	10,38.30	8,59.44	(-)1,78.86	₹ 1,78.86 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 14/552-53 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 14-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2217-80-800-87- दिल्ली के आसपास एन.सी.आर.सैटेलाइट हेतु हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को सहायतानुदान	मूल	5,20,00.00	5,20,00.00	43,06.10	(-)4,76,93.90	₹ 4,76,93.90 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1- 4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 14/552-53 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(3) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2217-80-001-95- नगर तथा ग्राम आयोजन (जिला अमला)	मूल	43,39.70	43,39.70	44,95.25	(+)1,55.55	₹ 1,55.55 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 14/552-53 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

पूँजीगत

दत्तमत अनुदान

(4) ₹ 9,16,28.28 लाख की अन्तिम बचत के दृष्टिगत अगस्त 2019 में ₹ 5,00,00 लाख का प्राप्त पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।

अनुदान संख्या 14-समाप्त

(5) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4217-60-051-88-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) शहरी एंड कन्ट्री प्लानिंग (टी सी पी-पी एल ओ-सी ए पी)	मूल	0.01	5,00,00.01	0	(-)5,00,00.01	₹ 5,00,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.14/552-53 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	5,00,00.00				
4217-60-051-89-स्वर्ण जयंती हरियाणा अर्बन इन्फ्रासट्रक्चर डिवलपमेंट स्कीम मंगलनगर विकास योजना के रूप में नामित	मूल	13,00,00.00	13,00,00.00	8,83,71.73	(-)4,16,28.27	₹ 4,16,28.27 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 14/552-53 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 15-स्थानीय शासन

(मुख्य शीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, 2217-शहरी विकास)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	40,21,68,01	54,60,02,85	31,96,37,27	(-) 22,63,65,58
पूरक	14,38,34,84			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

(1) टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

- (1) ₹ 22,63,65.58 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 14,38,34.84 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गये बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2070-51-108-99-निदेशन तथा प्रशासन (99-मुख्यालय अमला स्थापना)	मूल	1,73,00	1,73.00	1,26.14	(-)46.86	₹ 46.86 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 15-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2217-80-001-91- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) शहरी स्थानीय निकाय (डी एल बी-पी एल ओ- आर ई वी)	मूल	0.01	9,87,00.01	0	(-)9,87,00.01	₹ 9,87,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/20-21/अनु.सं.15/ 603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	9,87,00.00				
2217-80-001-96- स्थानीय निकाय निदेशालय (98-स्थापना खर्च)	मूल	10,69.20	10,69.20	8,82.20	(-)1,87.00	₹ 1,87 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2217-80-001-97- स्थानीय निकाय (चुनाव)	मूल	1,44.71	1,44.71	67.33	(-)77.38	₹ 77.38 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2217-80-191-96- स्टाम्प शुल्क की आय से नगर निगम के लिए स्थानीय निकायों के लिए योगदान	मूल	5,32,40.00	5,32,40.00	4,40,77.96	(-)91,62.04	₹ 91,62.04 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 15-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2217-80-191-97- नगर निगमों को केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर सहायतानुदान	मूल	4,07,45.00	5,76,90.82	4,52,54.59	(-)1,24,36.23	₹ 1,24,36.23 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	1,69,45.82				
2217-80-192-87 स्मार्ट शहर	मूल	4,00,00.00	4,00,00.00	7,00.00	(-)3,93,00.00	₹ 3,93,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2217-80-192-88- स्वच्छ भारत मिशन	मूल	60,00.00	60,00.00	0.00	(-)60,00.00	₹ 60,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2217-80-192-89- राष्ट्रीय शहरी आजिविका अभियान	मूल	20,00.00	70,00.00	38,26.61	(-)31,73.39	₹ 31,73.39 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	50,00.00				

अनुदान संख्या 15-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2217-80-192-90- प्राकृतिक आपदाओं के कारण छोटे दुकानदारों की वाणिज्यिक सम्पत्ति के नुकसान के मुआवजे के लिए योजना	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	₹ 5,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2217-80-192-91- राज्य के नगर पालिकाओं में चौपाल/सामुदायिक केन्द्रों के उन्नयन के लिए योजना	मूल	9,00.00	9,00.00	1,32.09	(-)7,67.91	₹ 7,67.91 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2217-80-192- 92- स्टाम्प शुल्क की आय से पालिकाओं/ नगर परिषदों के लिए स्थानीय निकायों के लिए योगदान	मूल	3,46,00.00	3,46,00.00	1,86,67.46	(-)1,59,32.54	₹ 1,59,32.54 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2217-80-192-93- पालिकाओं/ नगर परिषदों को केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारशों के आधार पर सहायतानुदान	मूल पूरक	2,29,00.00 99,36.02	3,28,36.02	2,77,56.09	(-)50,79.93	₹ 50,79.93 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/20- 21/अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 15-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2217-80-192-94- राजीव आवास योजना का नाम बदलकर प्रधान मंत्री आवास योजना (पी एम ए वाई-यू)	मूल	1,55,00.00	2,15,00.00	15,03.12	(-)1,99,96.88	₹ 1,99,96.88 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	60,00.00				
2217-80-192-97- राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹ 30 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2217-80-192-98- अग्नि शमन सेवाओं का सुदृढीकरण	मूल	25,00.00	25,00.00	0.00	(-)25,00.00	₹ 25,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2217-80-789-89- राज्य की नगरपालिकाओं में चौपाल/सामुदायिक केन्द्रों के उन्नयन के लिए योजना	मूल	7,40.00	7,40.00	0.00	(-)7,40.00	₹ 7,40 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 15-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2217-80-789-90- अनुसूचित जातियों हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान	मूल	5,40.00	17,93.00	11,10.93	(-)6,82.07	₹ 6,82.07 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	12,53.00				
2217-80-789-92- राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरपालिकाओं को अनुसूचित जातियों के लिय विशेष घटक योजना	मूल	4,30,00.00	4,30,00.00	3,01,00.00	(-)1,29,00.00	₹ 1,29,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2217-80-789-94- अनुसूचित जाति बस्ती का विकास नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय सेवा बस्ती उत्थान	मूल	50,00.00	50,00.00	22,50.00	(-)27,50.00	₹ 27,50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2217-80-789-98- शहरी ठोस कचरा प्रबन्धन	मूल	15,00.00	15,00.00	12,85.08	(-)2,14.92	₹ 2,14.92 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 15-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2217-80-793-99- राजीव आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना का नाम बदलकर प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	मूल	1,00,00.00	1,40,00.00	7,91.60	(-)1,32,08.40	₹ 1,32,08.40 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/20- 21/अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	40,00.00				
2217-80-800-76- दुग्ध डेयरियों का स्थानांतरण	मूल	6,00.00	6,00.00	0.00	(-)6,00.00	₹ 6,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/हरि/19-20/20- 21/अनु.सं.15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2217-80-800-83- राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरपालिकाओं को सहायतानुदान	मूल	7,70,00.00	7,70,00.00	6,35,42.00	(-)1,34,58.00	₹ 1,34,58 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11- 08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2217-80-800-86- शहरी ठोस कूड़ा प्रबन्धन (99-सामान्य योजना)	मूल	20,00.00	20,00.00	12,09.42	(-)7,90.58	₹ 7,90.58 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/20-21/ अनु. सं 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 15-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2217-80-800-99- कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को सहायता अनुदान	मूल	14,76.09	34,76.09	3,69.02	(-)31,07.07	₹ 31,07.07 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19- 20/20-21/अनु.सं. 15/ 603-05 दिनांक 11- 08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	20,00.00				

(4) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2217-80-192-86- नई शहरी नवीकरण मिशन (ए. एम. आर. यू. टी)	मूल	4,00,00.00	4,00,00.00	7,59,84.00	(+)3,59,84.00	₹ 3,59,84 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1- 2/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 15/603-05 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(मुख्य शीर्ष-2230 श्रम तथा रोजगार एवं कौशल विकास, 2852-उद्योग, 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय)
राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	54,58,01	58,58,01	51,89,51	(-)6,68,50
पूरक	4,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,00	1,00	0	(-)1,00
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

- (1) ₹ 6,68.50 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 4,00 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा ।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिए गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-01-001-94- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) एल ए बी - श्रम (LAB-PLO-REV)	मूल	0.01	4,00.01	0	(-)4,00.01	₹ 4,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 16/554-55 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
	पूरक	4,00.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-01-001-99- मुख्यालय अमला (98-स्थापना व्यय)	मूल	4,84.20	4,84.20	4,15.86	(-)68.34	₹ 68.34 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 16/554-55 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2230-01-102-92- गुडगांव एवं फरीदाबाद में दो औद्योगिक हाइजिन प्रयोगशालाओं (आई.एच.एल.) को स्थापित करना	मूल	40.00	40.00	4.81	(-)35.19	₹ 35.19 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 16/554-55 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2230-01-102-96- स्वास्थ्य	मूल	1,62.50	1,62.50	1,05.10	(-)57.40	₹ 57.40 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 16/554-55 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2230-01-103-99- श्रम कल्याण केन्द्र को स्थापित करना	मूल	2,64.50	2,64.50	35.60	(-)2,28.90	₹ 2,28.90 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 16/554-55 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)
राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	3,60,20,27	4,70,20,27	4,00,45,21	(-)69,75,06
पूरक	1,10,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

- (1) ₹ 69,75.06 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 1,10,00 लाख का पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिए गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2230-02-001-97- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) रोजगार (EMP-PLO-REV)	मूल	0.01	1,10.00.01	0	(-)1,10,00.01	₹ 1,10,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 17/508-09 दिनांक 7-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
	पूरक	1,10.00.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2230-02-001-99- निदेशालय में निरीक्षण एवं जांच कक्ष की स्थापना- (98-स्थापना खर्च)	मूल	3,39.00	3,39.00	2,75.61	(-)63.39	₹ 63.39 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 17/508-09 दिनांक 7-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2230-02-101-85- राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना	मूल	2,77.26	2,77.26	12.42	(-)2,64.84	₹ 2,64.84 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 17/508-09 दिनांक 7-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2230-02-101-87- निजी समायोजन परामर्श एवं भर्ती सेवा केन्द्र	मूल	1,00.00	1,00.00	13.94	(-)86.06	₹ 86.06 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 17/508-09 दिनांक 7-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2230-02-004-99- निदेशालय में राज्य रोजगार विपणन सूचना कार्यान्वयन इकाई	मूल	1,77.50	1,77.50	1,99.30	(+)21.80	₹ 21.80 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 17/508-09 दिनांक 7-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2230-02-101-92- रोजगार कार्यालय के लिए अमला तथा शिक्षित युवकों को बेरोजगारी भत्ता देना	मूल	3,47,93.30	3,47,93.30	3,92,19.13	(+)44,25.83	₹ 44,25.83 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 17/508-09 दिनांक 7-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-18-औद्योगिक प्रशिक्षण

(मुख्य शीर्ष-2230 श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	5,19,12,42	6,59,12,42	4,57,46,52	(-)2,01,65,90
पूरक	1,40,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	75,93,27	75,93,27	43,80,28	(-)32,12,99
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

- (1) ₹ 2,01,65.90 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 1,40,00 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिए गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2230-03-001-90- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण (ITV-PLO-REV)	मूल	0.01	1,40,00.01	0.00	(-)1,40,00.01	₹ 1,40,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-2/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 18/514-15 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	1,40,00.00				
2230-03-001-91- गांव दुधोला जिला पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय	मूल	1,20,00.00	1,20,00.00	1,05,50.00	(-)14,50.00	₹ 14,50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-2/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 18/514-15 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2230-03-001-92- हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना करना	मूल	17,00.00	17,00.00	3,40.00	(-)13,60.00	₹ 13,60 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-2/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 18/514-15 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2230-03-001-96-राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई पुनः नाम मुख्यालय अमले का सुदृढीकरण करना (98-स्थापना व्यय)	मूल	4,81.00	4,81.00	3,91.03	(-)89.97	₹ 89.97 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-2/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 18/514-15 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2230-03-003-60- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आदर्श प्रशिक्षण संस्थानों में उन्नयन	मूल	1,00.00	1,00.00	0	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-2/ हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं.18/514-15 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2230-03-003-61- कौशल औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए सुदृढीकरण	मूल	12,25.00	12,25.00	3,95.14	(-)8,29.86	₹ 8,29.86 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 18/514-15 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2230-03-003-96- अनुसूचित जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (अब एम.आई.टी में)	मूल	1,42.90	1,42.90	1,20.25	(-)22.65	₹ 22.65 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-2/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 18/514-15 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2230-03-003-99- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	मूल	1,18,49.30	1,18,49.30	1,04,44.89	(-)14,04.41	₹ 14,04.41 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 18/514-15 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

अनुदान संख्या 18-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2230-03-190-99- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना	मूल	32,33.41	32,33.41	0.00	(-)32,33.41	₹ 32,33.41 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-2/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 18/514-15 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2230-03-003-64- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास	मूल	1,72,53.00	1,72,53.00	1,97,05.64	(+)24,52.64	₹ 24,52.64 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-2/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 18/514-15 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2230-03-003-97-कुशल शिल्पियों का शिक्षता प्रशिक्षण	मूल	3,23.30	3,23.30	4,25.97	(+)1,02.67	₹ 1,02.67 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-2/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 18/514-15 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

पूँजीगत

दत्तमत अनुदान

(5) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 18-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4250-51-800-88- आई.टी.आई. को आदर्श आई.टी.आई. में उन्नयन	मूल	4,00.00	4,00.00	0,00	(-)4,00.00	₹ 4,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-2/हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 18/514-15 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4250-51-800-89- कौशल औद्योगिक मूल्य संबर्धन के लिए सुदृढीकरण	मूल	10,00.00	10,00.00	0,00	(-)10,00.00	₹ 10,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 18/514-15 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4250-51-800-92- आई.टी. आई. में आदर सत्कार शिक्षा	मूल	1,03.26	1,03.26	0.00	(-)1,03.26	₹ 1,03.26 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 18/514-15 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4250-51-800-97- मशीनरी एवं उपकरणों का आधुनिकीकरण	मूल	48,10.00	48,10.00	31,37.68	(-)16,72.32	₹ 16,72.32 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-2/हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 18/514-15 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 19-अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण

(मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	5,08,80,70	5,13,82,71	2,87,19,28	(-)2,26,63,43
पूरक	5,02,01			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	7,60,21	7,60,21	2,50,00	(-) 5,10,21
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

- (1) ₹ 2,26,63.43 लाख की अन्तिम बचत के दृष्टिगत अगस्त 2019 तथा मार्च 2020 में ₹ 5,02.01 लाख का प्राप्त पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिए गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2225-01-001-92- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति का कल्याण (WSB-PLO-REV)	मूल	0.01	3,00.01	0	(-)3,00.01	₹ 3,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं. 19/ 525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	3,00.00				

अनुदान संख्या 19-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2225-01-001-96- अस्वच्छ कार्यों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्री मैट्रिक मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम का अमला	मूल	1,06.24	1,06.24	75.66	(-)30.58	₹ 30.58 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2225-01-001-99- मुख्यालय अमला (98-स्थापना व्यय)	मूल	7,22.75	7,22.75	5,14.42	(-)2,08.33	₹ 2,08.33 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2225-01-001-99- मुख्यालय अमला (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	1,00.00	1,00.00	35.80	(-)64.20	₹ 64.20 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2225-01-102-97- एस सी/ बी सी विधवा/जिला महिला/गर्ल्स के लिए सिलाई प्रशिक्षण के रूप में नामित जिला स्टाफ का नाम	मूल	1,37.00	1,37.00	50.14	(-)86.86	₹ 86.86 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2225-01-190-98- हरियाणा केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड की स्थापना	मूल	2,00.00	2,00.00	1,00.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 19-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2225-01-277-68- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दसवीं पूर्व छात्रवृत्ति योजना	मूल	20,00.00	20,00.00	0,00	(-)20,00.00	₹ 20,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं. 19/ 525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2225-01-277-70- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	मूल	1,00.00	1,00.00	0,00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं. 19/ 525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2225-01-277-72- शोध एवं शिक्षा	मूल	30.00	30.00	0,00	(-)30.00	₹ 30 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2225-01-277-73- अनुसूचित जाति के बेरोजगार नवयुवकों में कम्प्यूटर के माध्यम से टंकण व डाटा इन्ट्री स्कील का अपग्रेडेशन	मूल	1,50.00	1,50.00	40.08	(-)1,09.92	₹ 1,09.92 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2225-01-277-77- डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना	मूल	40,00.00	40,00.00	34,88.19	(-)5,11.81	₹ 5,11.81 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 19-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2225-01-277-84- लड़कियों/ लड़कों का छात्रावास	मूल	2,00.00	2,00.00	0	(-)2,00.00	₹ 2,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2225-01-277-88- उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति के छात्राओं को वित्तीय सहायता	मूल	10,00.00	10,00.00	3,24.09	(-)6,75.91	₹ 6,75.91 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2225-01-277-99-अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति	मूल	1,72,30.8 0	1,72,30.80	30,29.88	(-)1,42,00.92	₹ 1,42,00.92 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2225-01-283-99- अनुसूचित जातियों के लिए आवास योजना/ डॉ. बी. आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के रूप में नामित	मूल	50,00.00	50,00.00	42,83.00	(-)7,17.00	₹ 7,17 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 19-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2225-01-789-94- रोजगार उन्मुख संस्थान की स्थापना द्वारा रोजगार सृजन अवसरों का सृजन	मूल	1,10.00	1,10.00	0,00	(-)1,10.00	₹ 1,10 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2225-01-793-79- अनुसूचित जातियों हेतु कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्र	मूल	12,00.00	12,00.00	1,68.00	(-)10,32.00	₹ 10,32 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2225-01-800-80- महान संतों डा. बी. आर. अम्बेडकर गुरु रविदास, महर्षि बाल्मीकि और संत कबीर दास जयंती समारोह योजना	मूल	1,00.00	1,00.00	39.56	(-)60.44	₹ 60.44 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2225-01-800-83- हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को प्रशासनिक खर्च हेतु अनुदान	मूल	6,75.00	6,75.00	4,75.00	(-)2,00.00	₹ 2,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 19-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2225-01-800-85- क्रूरता के शिकार व्यक्तियों को आर्थिक सहायता	मूल	14,00.00	16,00.00	13,66.57	(-)2,33.43	₹ 2,33.43 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	2,00.00				
2225-01-800-88- पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहन	मूल	50.00	50.00	9.00	(-)41.00	₹ 41 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 19/526-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2225-01-800-89-अन्तर्जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन नया नाम मुख्यमंत्री सामाजिक समरस्ता रूप अन्तर्जातीय विवाह शगुन योजना	मूल	12,00.00	12,00.00	6,48.18	(-)5,51.82	₹ 5,51.82 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2225-03-001-99- पिछड़े वर्ग के लिए अमला	मूल	2,22.50	2,22.50	99.34	(-)1,23.16	₹ 1,23.16 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 19-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2225-03-277-91- डॉ. अम्बेडकर मैट्रिक तथा पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा बजीफे	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	₹ 40 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2225-03-277-92- ओ.बी.सी. लड़के एवं लड़कियों हेतु छात्रावास का निर्माण	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	₹ 2,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2225-03-277-93- पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दसवीं पश्चात् छात्रवृत्ति	मूल	5,00.00	5,00.00	85.64	(-)4,14.36	₹ 4,14.36 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2225-03-277-95- बी. सी. विद्यार्थियों को दसवीं पूर्व छात्रवृत्ति	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	₹ 3,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 19-समाप्त

(4) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2225-01-001-90- स्थापना अंत्योदय भवन	मूल	0	0.01	1,10.36	(+),1,10.35	₹ 1,10.35 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	0.01				

पूँजीगत

दत्तमत अनुदान

(5) बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4225-03-800-99- छात्रावासों के निर्माण के लिए नाना जी देशमुख योजना	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	₹ 5,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 19/525-26 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-20-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	66,63,29,96	66,84,70,96	66,53,05,50	(-) 31,65,46
पूरक	21,41,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	18,92,01	18,92,01	0	(-) 18,92,01
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

- (1) ₹ 31,65.46 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 21,41 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा ।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिए गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या-20-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-02-001-93- कार्यप्रगति से जुड़ा परिव्यय (पी एल ओ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता (SJE-PLO-REV)	मूल	0.01	1,00.01	0.00	(-)1,00.01	₹ 1,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	1,00.00				
2235-02-101-71- दिव्यांगों के लिए अनुसंधान केन्द्र/विशेष स्कूल तथा मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	₹ 10,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-101-90- गूंगे तथा बहरों के लिए हरियाणा कल्याण समिति/विद्यालय	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹ 50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-101-91- हिन्द कुष्ठ निवारण संघ हरियाणा	मूल	1,10.00	1,10.00	59.48	(-)50.52	₹ 50.52 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-20-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-02-104-97- हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी जिलों तथा शहरों में क्लबों की स्थापना	मूल	1,00.00	1,00.00	12.80	(-)87.20	₹ 87.20 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-800-73- अल्पसंख्यक केन्द्रित जिलों मेवात तथा सिरसा के विकास हेतु योजना	मूल	30,00.00	30,00.00	5,39.00	(-)24,61.00	₹ 24,61 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-03-102-99- परिवार लाभ योजना	मूल	13,00.00	13,00.00	8,07.80	(-)4,92.20	₹ 4,92.20 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-60-102-94- राजीव गांधी परिवार बीमा योजना	मूल	7,50.00	7,50.00	2,11.55	(-)5,38.45	₹ 5,38.45 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-20-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-60-102-99- जिला स्तर पर वृद्धों, शारीरिक विकलांगों, परित्यक्त महिलाओं तथा विधवाओं के लिए पेंशन (98-स्थापना व्यय)	मूल	22,31.00	22,31.00	18,33.17	(-)3,97.83	₹ 3,97.83 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-60-110-99- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	मूल	20,00.00	20,00.00	0.00	(-)20,00.00	₹ 20,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-60-200-75- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) नाम बदलकर डॉ. स्यामा प्रशाद मुकरजी दुर्घटना सहायता योजना	मूल	15,00.00	35,00.00	30,47.50	(-)4,52.50	₹ 4,52.50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	20,00.00				
2235-60-789-95- अनुसूचित जाति के परिवारों को लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत जिनमें केवल लड़की/लड़कियां हैं, के तहत वित्तीय सहायता का नाम बदलकर अनुसूचित जाति की लाडली की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (एस.एस.पी.एस.)	मूल	22,00.00	22,00.00	19,54.55	(-)2,45.45	₹ 2,45.45 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-20-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-60-789-96- राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता नया नाम राजीव गांधी परिवार बीमा योजना (एस.सी.)	मूल	1,25.00	1,25.00	33.50	(-)91.50	₹ 91.50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2250-51-800-98- हज समिति को सहायतानुदान	मूल	51.00	51.00	12.75	(-)38.25	₹ 38.25 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2250-51-800-99- विविध व्यापार मेले	मूल	12,96.48	12,96.48	7,78.26	(-)5,18.22	₹ 5,18.22 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

अनुदान संख्या-20-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-02-101-67- जिला पुनर्वास केन्द्र भिवानी	मूल	77.55	77.55	1,03.28	(+)25.73	₹ 25.73 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-101-72- स्कूल न जाने वाले अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता नया नाम विभिन्न प्रकार से अक्षम बच्चों जो स्कूल नहीं जाते को वित्तीय सहायता	मूल	14,90.00	14,90.00	20,73.43	(+)5,83.43	₹ 5,83.43 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-101-93- विकलांग संस्थान के कार्यक्रमों का सुदृढीकरण	मूल	30.00	30.00	62.39	(+)32.39	₹ 32.39 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-102-99- निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता	मूल	2,00,00.00	2,00,00.00	2,48,71.76	(+)48,71.76	₹ 48,71.76 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-20-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-02-789-91- अनुसूचित जाति के परिवारों को निराश्रित बच्चे योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता	मूल	54,00.00	54,00.00	61,79.68	(+)7,79.68	₹ 7,79.68 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

पूँजीगत
दत्तमत अनुदान

(5) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4235-02-101-92- सुलभ भारत अभियान सुगमय भारत अभियान	मूल	18,00.00	18,00.00	0	(-)18,00.00	₹ 18,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4235-02-190-98- हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को अल्पसंख्यक कल्याण के लिए हिस्सा पूँजी	मूल	92.00	92.00	0.00	(-)92.00	₹ 92 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 20/606-07 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236-पोषण, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान (रुहजार में)	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (रुहजार में)
मूल	13,52,87,70	14,23,37,70	10,14,11,04	(-)4,09,26,66
पूरक	70,50,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (रुहजार में)	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (रुहजार में)
मूल	1,44,10,01	1,45,76,81	17,92,46	(-)1,27,84,35
पूरक	1,66,80			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

- (1) ₹ 4,09,26.66 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 70,50 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा ।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिए गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-02-001-95- संचार एवं प्रचार	मूल	35.00	35.00	12.21	(-)22.79	₹ 22.79 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-001-97- मुख्यालय हेतु अमला (डब्ल्यू. सी.डी.) (98-स्थापना व्यय)	मूल	6,65.14	6,65.14	5,53.19	(-)1,11.95	₹ 1,11.95 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-001-97- मुख्यालय हेतु अमला (डब्ल्यू. सी.डी.) (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	60.00	60.00	26.21	(-)33.79	₹ 33.79 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-102-69- राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रैच योजना	मूल	2,14.00	2,14.00	1,70.42	(-)43.58	₹ 43.58 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-21-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-02-102-70- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हेतु योजना	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	₹ 25 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-102-74- किशोर अवस्था लड़कियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (आर.जी.एस.ई.ए. जी.) सबला	मूल	73.70	73.70	15.51	(-)58.19	₹ 58.19 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-102-76- आंगनवाड़ी मजदूरों/ सहायकों को बीमा की भविष्य सुरक्षा योजना	मूल	5,30.00	5,30.00	3,23.91	(-)2,06.09	₹ 2,06.09 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-102-78- अपनी बेटियाँ अपना धन नया नाम आपकी बेटी हमारी बेटी (लाडली)	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	88,33.50	(-)11,66.50	₹ 11,66.50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-02-102-79- देहाती किशोरियों के लिए नाम बदलकर इनामी स्वर्ण जयंती पुरस्कार योजना	मूल	1,68.00	1,68.00	1,13.45	(-)54.55	₹ 54.55 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-102-87- किशोर अवस्था लड़कियाँ योजना नया नाम किशोरी शक्ति योजना	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹ 30 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-102-88- आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना (उदीशा परियोजना)	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	₹ 5,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-102-92- एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना (डब्ल्यू. सी. डी.)	मूल पूरक	6,75,00.00 7,50.00	6,82,50.00	5,66,72.86	(-)1,15,77.14	₹ 1,15,77.14 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-02-102-98- बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता अनुदान (95-राज्य निराश्रित गृह)	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹ 30 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-102-98- बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता अनुदान (96-एस. ओ. एस. बालक ग्राम)	मूल	35.00	35.00	0.00	(-)35.00	₹ 35 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-103-66- महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमिकरण	मूल	52.00	52.00	0.00	(-)52.00	₹ 52 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-103-67- स्वधर गृह योजना	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹ 30 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-02-103-69- महिलाओं के लिए संकट बंद करने के लिए एक केन्द्र की स्थापना स्कीम	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-103-73- तेजाब पीडित महिलाओं को राहत एवं पुर्नवास	मूल	30.00	30.00	6.55	(-)23.45	₹ 23.45 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-103-74- महिला शक्ति केन्द्र	मूल	5,60.00	5,60.00	25.46	(-)5,34.54	₹ 5,34.54 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-103-76- घरेलु हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा (कक्ष की स्थापना)	मूल	1,50.00	1,50.00	1,06.63	(-)43.37	₹ 43.37 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-02-103-89- महिला समूहों को प्रोत्साहन ईनाम	मूल	35.00	35.00	0.00	(-)35.00	₹ 35 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-103-96- राजकीय उत्तर रक्षा (कन्या) गृह करनाल	मूल	69.60	69.60	45.56	(-)24.04	₹ 24.04 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-104-98- लड़कों के लिए राजकीय उत्तर रक्षा गृह तथा उत्पादन इकाई	मूल	69.70	69.70	43.39	(-)26.31	₹ 26.31 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-789-90- अनुसूचित जाति के आंगनबाडी वर्कर- हैल्परों को वित्तीय सहायता	मूल	90,00.00	90,00.00	52,81.11	(-)37,18.89	₹ 37,18.89 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-02-789-98- अनुसूचित जाति के परिवारों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायक के लिए भविष्य सुरक्षा बीमा योजना स्कीम के तहत वित्तीय सहायता	मूल	2,50.00	2,50.00	2,14.69	(-)35.31	₹ 35.31 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-800-81- जे.जे. एक्ट को लागू करना (95-जे.जे. एक्ट के अन्तर्गत किशोर/निरीक्षण गृह स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान)	मूल	22.00	22.00	0.00	(-)22.00	₹ 22 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-800-81- जे. जे. एक्ट को लागू करना (98- जेल वापसी/ अवलोकन गृह)	मूल	3,32.70	3,32.70	2,12.16	(-)1,20.54	₹ 1,20.54 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-800-81- जे. जे. एक्ट को लागू करना (99-विशेष गृह/ स्कूल)	मूल	72.25	72.25	47.53	(-)24.72	₹ 24.72 निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-02-800-82- हरियाणा राज्य महिला आयोग (98-महिला चेतना एवं प्रबन्धन अकादमी को वित्तीय सहायता) (वामा))	मूल	40.00	40.00	16.00	(-)24.00	₹ 24 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-800-85- हरियाणा राज्य सामाजिक कल्याण सलाहकार मंडल को सहायता अनुदान (50 प्रतिशत अनुदान)	मूल	70.00	70.00	28.00	(-)42.00	₹ 42 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-02-800-87- हरियाणा महिला विकास निगम	मूल	6,50.00	6,50.00	3,82.00	(-)2,68.00	₹ 2,68 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2236-02-101-88- मातृत्व लाभ कार्यक्रम (एम बी पी) नाम बदलकर प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पी एम एम वी वाई)	मूल	50,00.00	50,00.00	27,52.39	(-)22,47.61	₹ 22,47.61 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2236-02-101-89- किशोर लड़कियों के लिए योजना	मूल	1,21.50	1,21.50	25.75	(-)95.75	₹ 95.75 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2236-02-101-95- पूरक पोषाहार कार्यक्रम	मूल	1,50,00.00	1,50,00.00	74,22.82	(-)75,77.18	₹ 75,77.18 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2236-02-101-97- पंजीरी प्लांट घरौंडा	मूल	96.85	96.85	60.11	(-)36.74	₹ 36.74 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2236-02-101-99- मुख्यालय के लिए अमला	मूल	36.40	36.40	16.10	(-)20.30	₹ 20.30 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2236-02-789-96- अनुसूचित जाति महिला (प्रधानमंत्री मात्रियु बंदना योजना) के लिए वित्तीय सहायता	मूल	15,00.00	15,00.00	6,36.90	(-)8,63.10	₹ 8,63.10 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2236-02-789-97- अनुसूचित जातियों की किशोर लड़कियों के लिए राजीव गांधी किशोर बालिका शक्तिकरण योजना (एस ए बी एल ए)	मूल	30.00	30.00	0.02	(-)29.98	₹ 29.98 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2236-02-789-98- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पोषाहरक कार्यक्रम	मूल	59,60.00	59,60.00	11,51.75	(-)48,08.25	₹ 48,08.25 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2236-80-102-99- पोषण अभियान के लिए योजना	मूल	60,00.00	98,00.00	42,91.04	(-)55,08.96	₹ 55,08.96 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	38,00.00				

पूँजीगत

दत्तमत अनुदान

- (4) ₹1,27,84.35 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹1,66.80 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
- (5) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4235-02-102-97- जे. जे. एक्ट को लागू करना (99-जेल वापसी/ अवलोकन गृह)	मूल	13,50.00	13,50.00	9,99.68	(-)3,50.32	₹ 3,50.32 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4235-02-102-99- आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण	मूल	20,00.00	20,00.00	0.00	(-)20,00.00	₹ 20,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4235-02-102-99- आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण (98-राज्य अंशदान)	मूल पूरक	80,00.00 1,00.00	81,00.00	6,42.14	(-)74,57.86	₹ 74,57.86 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4235-02-102-99- आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण (99-नाबार्ड अंशदान)	मूल	15,00.00	15,00.00	0.00	(-)15,00.00	₹ 15,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4235-02-103-96- महिलाओं के लिए संकट बंद एक केन्द्र हेतु भवन निर्माण योजना	मूल	60.00	60.00	0.00	(-)60.00	₹ 60 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4235-02-789-99- आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण	मूल	15,00.00	15,66.80	1,50.64	(-)14,16.16	₹ 14,16.16 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 21/647-48 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	66.80				

अनुदान संख्या 22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

(मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	2,42,02,00	2,98,57,00	1,22,86,12	(-)1,75,70,88
पूरक	56,55,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

- (1) ₹ 1,75,70.88 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 56,55 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा ।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिए गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-60-102-88- शुभ्र ज्योत्सना पेंशन योजना	मूल	14,00.00	14,00.00	5,50.00	(-)8,50.00	₹ 8,50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 22/601-02 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

अनुदान संख्या 22-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-60-200-72- कार्य प्रगति किए गए परिव्यय (पी एल ओ) सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण का प्रदर्शन (RSB-PLO-REV)	मूल	0.01	50,00.01	0.01	(-)50,00.00	₹ 50,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 22/601-02 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	50,00.00				
2235-60-200-73- भूत पूर्व सैनिकों व अर्ध सैन्य बलों के आश्रितों के लिए निशुल्क कोचिंग योजना	मूल	0.01	4,00.01	0	(-)4,00.01	₹ 4,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 22/601-02 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	4,00.00				
2235-60-200-77- केन्द्रीय अर्धसैनिक बल के आश्रितों को आतंकवादियों के साथ वीरतापूर्वक लड़ने पर अनुग्रहपूर्वक अनुदान	मूल	7,61.50	7,61.50	1,10.50	(-)6,51.00	₹ 6,51 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 22/601-02 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-60-200-78- सैनिकों के लिए कल्याण परिसर युद्ध समारक तथा अन्य सम्बन्धित भवनों का निर्माण	मूल	75,00.00	75,00.00	8,60.05	(-)66,39.95	₹ 66,39.95 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 22/601-02 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 22-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-60-200-82- राष्ट्रीय भारतीय सेना अदायगी को सहायता अनुदान	मूल	4,05.50	4,05.50	2,42.10	(-)1,63.40	₹ 1,63.40 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 22/601-02 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-60-200-83- दंगे फसाद से प्रभावित व्यक्तियों को राहत	मूल	1,25.00	1,25.00	0.00	(-)1,25.00	₹ 1,25 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 22/601-02 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-60-200-93- क्षेत्रीय सेना सजावट क्षेत्रिय सेना मंडल विजेताओं को नकद इनाम	मूल	40.50	40.50	8.62	(-)31.88	₹ 31.88 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 22/601-02 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-60-200-95- कश्मीर आंदोलन में बहादुरी के लिए सैनिकों, नाविकों तथा विमानकों को पुरस्कार	मूल	15,00.00	17,00.00	11,23.67	(-)5,76.33	₹ 5,76.33 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 22/601-02 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	2,00.00				

अनुदान संख्या 22-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-60-200-96- साठ वर्ष से अधिक आयु वाले भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता	मूल	17,76.00	17,76.00	13,04.23	(-)4,71.77	₹ 4,71.77 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 22/601-02 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-60-200-97- भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को जिन्हें पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही वित्तीय सहायता	मूल	53,00.00	53,00.00	40,12.33	(-)12,87.67	₹ 12,87.67 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 22/601-02 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2235-60-200-99- राष्ट्रीय कामगार राहत निधि में अंशदान	मूल	14,96.00	14,96.00	7,24.00	(-)7,72.00	₹ 7,72 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 22/601-02 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 22-समाप्त

(4) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2235-60-200-84- नई ग्रुप बीमा योजना में IV वर्ग कर्मचारियों हेतु सरकार से योगदान	मूल	51.00	51.00	1,93.43	(+)1,42.43	₹ 1,42.43 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 22/601-02 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

अनुदान संख्या 23-खाद्य एवं आपूर्ति

(मुख्य शीर्ष-2408-खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार, 3456-सिविल आपूर्ति, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4408-खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	4,30,83,57	4,32,33,57	4,58,73,22	(+)26,39,65
पूरक	1,50,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

प्रभारित

मूल	45,00	45,00	11,00	(-)34,00
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,35,96,40,49	1,51,05,86,30	1,41,07,10,16	(-)9,98,76,14
पूरक	15,09,45,81			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) व्यय अनुदान से ₹ 26,39,64,601 बढ़ गया, आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है ।
- (2) ₹ 26,39.65 लाख के समस्त आधिक्य के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 1,50 लाख का पूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।
- (3) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिए गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2408-01-001-88- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) खाद्य और आपूर्ति (FAS-PLO-REV)	मूल	0.01	0.01	21.46	(+)21.45	₹ 21.45 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 23/695-96 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2408-01-001-98- क्षेत्रीय अमला	मूल	1,94,56.00	1,94,56.00	2,42,77.80	(+)48,21.80	₹ 48,21.80 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 23/695-96 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(5) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2408-01-001-92- राज्य खाद्य आयोग	मूल	70.00	70.00	22.55	(-)47.45	₹ 47.45 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 23/695-96 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2408-01-001-94- पब्लिक डिस्ट्र्यूटर स्कीम (99-सूचना और प्रोद्योगिकी)	मूल	12,00.00	12,00.00	2.46	(-)11,97.54	₹ 11,97.54 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 23/695-96 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2408-01-001-96- जिला फोरम	मूल	20,77.00	20,77.00	17,77.00	(-)3,00.00	₹ 3,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 23/695-96 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2408-01-001-97- राज्य आयोग	मूल	3,38.56	3,38.56	2,42.90	(-)95.66	₹ 95.66 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 23/695-96 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2408-01-001-99- निदेशालय अमला (98-स्थापना व्यय)	मूल	17,43.00	17,43.00	13,12.61	(-)4,30.39	₹ 4,30.39 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 23/695-96 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

प्रभारित विनियोग

(6) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2408-01-001-98- क्षेत्रीय अमला	मूल	45.00	45.00	11.00	(-)34.00	₹34 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 23/695-96 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

पूँजीगत
दत्तमत अनुदान

- (7) ₹ 9,98,76.14 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत मार्च 2020 में प्राप्त ₹ 15,09,45.81 लाख का पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।
- (8) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4408-01-101-89- बाजरा की खरीद	मूल	80,00.00	80,00.00	0	(-)80,00.00	₹ 80,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 23/695-96 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
4408-01-101-97- पूँजी पर ब्याज	मूल	3,50,00.00	8,00,00.00	6,39,94.19	(-)1,60,05.81	₹ 1,60,05.81 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 23/695-96 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
	पूरक	4,50,00.00				
4408-02-101-99- गोदामों का निर्माण	मूल	15,00.00	15,00.00	13.69	(-)14,86.31	₹ 14,86.31 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 23/695-96 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
4408-02-101-99- गोदामों का निर्माण (98-राज्य योगदान)	मूल	1,00.00	1,00.00	0	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 23/695-96 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

अनुदान संख्या 23-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4408-02-101-99- गोदामों का निर्माण (99-नाबार्ड अंशदान)	मूल	19,00.00	19,00.00	0	(-)19,00.00	₹ 19,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 23/695-96 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-24-सिंचाई

(मुख्य शीर्ष-2700-मुख्य सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 2705-कमाण्ड क्षेत्र विकास, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	17,24,65,03	17,25,15,03	14,59,65,29	(-)2,65,49,74
पूरक	50,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	15,49,93,74	18,09,93,74	13,33,07,89	(-)4,76,85,85
पूरक	2,60,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

प्रभारित

मूल	70,00,00	1,05,00,00	67,73,64	(-)37,26,36
पूरक	35,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

अनुदान संख्या 24-जारी

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹ 2,65,49.74 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 50 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा ।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिए गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2700-01-001-89- विशेष राजस्व	मूल	24,70.00	24,70.00	1,04.71	(-)23,65.29	₹ 23,65.29 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2700-01-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	1,21,70.00	1,21,70.00	4,60.27	(-)1,17,09.73	₹ 1,17,09.73 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2700-01-001-92- अधीक्षक अभियंता	मूल	4,37.50	4,37.50	20.36	(-)4,17.14	₹ 4,17.14 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2700-01-101-98- अन्य रख रखाव व्यय (98-पंजाब भाग)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2700-02-001-89- विशेष राजस्व	मूल	46,02.00	46,02.00	3,09.77	(-)42,92.23	₹ 42,92.23 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2700-02-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	3,93,05.00	3,93,05.00	26,67.75	(-)3,66,37.25	₹ 3,66,37.25 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2700-02-001-92- अधीक्षक अभियंता	मूल	23,55.00	23,55.00	1,57.69	(-)21,97.31	₹ 21,97.31 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2700-02-101-98- अन्य रख रखाव व्यय	मूल	45,00.00	45,00.00	35,23.02	(-)9,76.98	₹ 9,76.98 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2700-03-101-98- अन्य संधारण कार्य	मूल	1,40.00	1,40.00	64.66	(-)75.34	₹ 75.34 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2700-05-101-98- अन्य संधारण कार्य	मूल	4,00.00	4,00.00	2,07.95	(-)1,92.05	₹ 1,92.05 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2700-18-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	63,56.00	63,56.00	12,23.92	(-)51,32.08	₹ 51,32.08 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2700-18-001-93- मुख्य अभियंता	मूल	7,00.00	7,00.00	1,48.46	(-)5,51.54	₹ 5,51.54 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2700-80-001-86- कार्य प्रगति से जुड़ा परिव्यय (PLO) सिंचाई और जल संसाधन विभाग (IRR-PLO-REV)	मूल	0.01	50.01	0	(-)50.01	₹ 50.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	50.00				
2700-80-001-93- मुख्य अभियंता	मूल	50,68.00	50,68.00	11,46.46	(-)39,21.54	₹ 39,21.54 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2700-80-190-96- ग्राम पॉन्डस का विकास	मूल	2,00.00	2,00.00	1,42.25	(-)57.75	₹ 57.75 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2700-80-800-95- नहर और नालियों पर पुलों और संरचना का संचालन और रख रखाव	मूल	25,00.00	25,00.00	0.00	(-)25,00.00	₹ 25,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2700-80-800-98- सुधारीकरण, अपग्रेडेशन परिचालन एवं रखरखाव	मूल	75,00.00	75,00.00	53,05.49	(-)21,94.51	₹ 21,94.51 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2701-08-101-98- अन्य रखरखाव कार्य	मूल	2,75.00	2,75.00	2,16.87	(-)58.13	₹ 58.13 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2701-08-800-98- उर्जा प्रभार	मूल	14,00.00	14,00.00	7,70.42	(-)6,29.58	₹ 6,29.58 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2701-10-101-98- अन्य संधारण कार्य	मूल	2,80.00	2,80.00	2,18.59	(-)61.41	₹ 61.41 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2705-51-190-95- नहरी क्षेत्र हेतु क्षेत्र विकास कार्यक्रम (50 प्रतिशत आधार)	मूल	2,05,00.00	2,05,00.00	90,75.00	(-)1,14,25.00	₹ 1,14,25 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2700-01-001-93- मुख्य अभियंता	मूल	0	0.00	41.24	(+)41.24	₹ 41.24 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2700-02-001-93- मुख्य अभियन्ता	मूल	0	0.00	3,51.61	(+)3,51.61	₹ 3,51.61 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2700-02-799- उचन्त	मूल	0	0.00	20.03	(+)20.03	₹ 20.03 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2700-02-800-99- ब्याज	मूल	1,55,00.00	1,55,00.00	2,55,20.17	(+)1,00,20.17	₹ 1,00,20.17 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2700-03-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	0	0.00	61.33	(+)61.33	₹ 61.33 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2700-04-001-89- विशेष राजस्व	मूल	0	0.00	21.36	(+)21.36	₹ 21.36 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2700-04-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	0	0.00	1,83.98	(+)1,83.98	₹ 1,83.98 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2700-04-001-93- मुख्य अभियन्ता	मूल	0	0.00	24.25	(+)24.25	₹ 24.25 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2700-05-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	0	0.00	1,53.32	(+)1,53.32	₹ 1,53.32 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2700-05-001-93- मुख्य अभियन्ता	मूल	0	0.00	20.21	(+)20.21	₹ 20.21 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2700-18-001-89- विशेष राजस्व	मूल	0	0.00	1,66.08	(+)1,66.08	₹ 1,66.08 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2700-80-001-89- विशेष राजस्व	मूल	0	0.00	4,73.14	(+)4,73.14	₹ 4,73.14 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2700-80-001-91- कार्यकारी अभियन्ता	मूल	0	0.00	53,73.01	(+)53,73.01	₹ 53,73.01 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2700-80-001-92- अधीक्षक अभियंता	मूल	0	0.00	4,67.16	(+)4,67.16	₹ 4,67.16 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2700-80-190-98- हिरमी को सहायता अनुदान	मूल	4,00.00	4,00.00	5,30.00	(+)1,30.00	₹ 1,30 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

पूँजीगत
दत्तमत अनुदान

- (5) ₹ 4,76,85.85 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 2,60,00 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
- (6) बचत मुख्यतः के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4700-05-800-98- नहर का निर्माण	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	₹ 10,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4700-07-800-98- नहर का निर्माण (एस.वाई.एल.)	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	0.00	(-)1,00,00.00	₹ 1,00,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4700-14-800-98- नहर का निर्माण	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹ 50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4700-15-800-97- बी.एम.एल.हान्सी शाखा बुटाना शाखा बहुदेशीय लिंक चैनल	मूल	1,00.00	1,00.00	6.98	(-)93.02	₹ 93.02 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4700-15-800-98- बी.एम.एल. की क्षमता को दोबारा से स्थापित करना	मूल	7,00.00	7,00.00	0.00	(-)7,00.00	₹ 7,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4700-16-001-89- विशेष राजस्व	मूल	6,01.00	6,01.00	76.06	(-)5,24.94	₹ 5,24.94 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4700-16-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	31,44.00	31,44.00	5,89.15	(-)25,54.85	₹ 25,54.85 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4700-16-001-92- अधीक्षक अभियंता	मूल	1,61.00	1,61.00	27.72	(-)1,33.28	₹ 1,33.28 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4700-16-001-93- मुख्य अभियंता	मूल	2,14.00	2,14.00	65.37	(-)1,48.63	₹ 1,48.63 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4700-16-789-99- निर्माण कार्यों में सुधारीकरण एवं राज्य में अनुसूचित जाति आबादी में जलप्रवाहों का पुनर्वास	मूल	18,00.00	18,00.00	3,31.93	(-)14,68.07	₹ 14,68.07 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4700-16-800-98- नहर का निर्माण	मूल	40,00.00	40,00.00	9,66.55	(-)30,33.45	₹ 30,33.45 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4700-26-800-99- सरस्वती नदी विरासत विकास परियोजना	मूल	1,00.00	1,00.00	39.23	(-)60.77	₹ 60.77 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4700-80-800-97- पुनर्निर्माण और नवीकरण/प्रतिस्थापन और नहरों और नालियों पर पुलों और संरचना का निर्माण	मूल	1,50,00.00	1,50,00.00	26,55.31	(-)1,23,44.69	₹ 1,23,44.69 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4700-80-800-98- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) सिंचाई और जल संसाधन विभाग (IRR-PLO-CAP)	मूल	0.01	2,60,00.01	0.00	(-)2,60,00.01	₹ 2,60,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	2,60,00.00				
4701-06-800-97- भूमि की वार्षिकी	मूल	15,00.00	15,00.00	8,93.31	(-)6,06.69	₹ 6,06.69 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4701-06-800-98- नहर का निर्माण	मूल	15,00.00	15,00.00	1,45.29	(-)13,54.71	₹ 13,54.71 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4701-07-789-99- राज्य में अनुसूचित जाति आबादी हेतु आर.आई.डी.एफ (नाबार्ड) के अन्तर्गत पुराने/ वर्तमान चैनलों का सुधारीकरण	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	70,77.68	(-)29,22.32	₹ 29,22.32 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4701-07-800-97- नाबार्ड के अन्तर्गत सिंचाई दक्षता योजना के तहत माइक्रो सिंचाई	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	₹ 10,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4701-07-800-98- नाबार्ड-नहर का निर्माण	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	86,80.19	(-)13,19.81	₹ 13,19.81 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4701-22-800-98- नहरों का निर्माण (मेवात)	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	₹ 10,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4701-23-800-98- जल निकाय-नहर का निर्माण	मूल	30,00.00	30,00.00	12,29.17	(-)17,70.83	₹ 17,70.83 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4701-80-001-89- विशेष राजस्व	मूल	1,77.00	1,77.00	1,03.52	(-)73.48	₹ 73.48 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4701-80-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	12,11.00	12,11.00	6,69.92	(-)5,41.08	₹ 5,41.08 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4701-80-001-92- अधीक्षक अभियंता	मूल	74.00	74.00	37.97	(-)36.03	₹ 36.03 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4701-80-001-93- मुख्य अभियंता	मूल	1,03.00	1,03.00	79.14	(-)23.86	₹ 23.86 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4701-80-002-99- सिंचाई परियोजना हेतु आंकड़ा संग्रह	मूल	35,00.00	35,00.00	11,60.21	(-)23,39.79	₹ 23,39.79 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4711-01-001-89- विशेष राजस्व	मूल	10,26.00	10,26.00	6,98.49	(-)3,27.51	₹ 3,27.51 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4711-01-201-98- शहरी बरसाती पानी निकासी नालें के कार्य	मूल	20,00.00	20,00.00	6,55.81	(-)13,44.19	₹ 13,44.19 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4711-01-789-99- अनुसूचित जाति आबादी क्षेत्र में बाढ़ रोकथाम तथा विपत्ति निवारण हेतु योजना	मूल	50,00.00	50,00.00	41,34.41	(-)8,65.59	₹ 8,65.59 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24-जारी

(7) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4700-13-001-89- विशेष राजस्व	मूल	20,03.62	20,03.62	22,51.43	(+)2,47.81	₹ 2,47.81 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4700-13-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	1,04,82.43	1,04,82.43	1,74,39.67	(+)69,57.24	₹ 69,57.24 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4700-13-001-92- अधीक्षक अभियंता	मूल	5,37.39	5,37.39	8,20.41	(+)2,83.02	₹ 2,83.02 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4700-13-001-93- मुख्य अभियंता	मूल	7,14.00	7,14.00	19,34.97	(+)12,20.97	₹ 12,20.97 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4700-13-800-97- पश्चिमी जमुना नहर व जवाहर लाल नेहरू प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना	मूल	80,00.00	80,00.00	1,00,70.53	(+)20,70.53	₹ 20,70.53 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4700-13-800-98- नहर का निर्माण	मूल	1,54,35.00	1,54,35.00	1,83,49.16	(+)29,14.16	₹ 29,14.16 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4700-80-001-89- विशेष राजस्व	मूल	0	0.00	1,55.60	(+)1,55.60	₹ 1,55.60 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4700-80-001-91- कार्यकारी अभियन्ता	मूल	0	0.00	12,05.26	(+)12,05.26	₹ 12,05.26 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4700-80-001-92- अधीक्षक अभियन्ता	मूल	0	0.00	56.70	(+)56.70	₹ 56.70 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4700-80-001-93- मुख्य अभियन्ता	मूल	0	0.00	1,33.73	(+)1,33.73	₹ 1,33.73 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4701-06-001-89- विशेष राजस्व	मूल	1,32.00	1,32.00	2,31.06	(+)99.06	₹ 99.06 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4701-06-001-91- कार्यकारी अभियन्ता	मूल	9,24.00	9,24.00	14,95.36	(+)5,71.36	₹ 5,71.36 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4701-06-001-92- अधीक्षक अभियंता	मूल	55.00	55.00	84.74	(+)29.74	₹ 29.74 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4701-06-001-93- मुख्य अभियंता	मूल	77.00	77.00	1,76.64	(+)99.64	₹ 99.64 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4701-07-001-89- विशेष राजस्व	मूल	12,41.00	12.41.00	14,04.86	(+)1,63.86	₹ 1,63.86 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4701-07-001-93- मुख्य अभियन्ता	मूल	7,25.00	7,25.00	10,73.98	(+)3,48.98	₹ 3,48.98 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4701-23-001-89- विशेष राजस्व	मूल	15.65	15.65	1,09.06	(+)93.41	₹ 93.41 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4701-23-001-91- कार्यकारी अभियन्ता	मूल	1,07.42	1,07.42	7,05.81	(+)5,98.39	₹ 5,98.39 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4701-23-001-92- अधीक्षक अभियंता	मूल	6.58	6.58	40.00	(+)33.42	₹ 33.42 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4701-23-001-93- मुख्य अभियंता	मूल	9.17	9.17	83.38	(+)74.21	₹ 74.21 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4711-01-001-91- कार्यकारी अभियन्ता	मूल	79,77.00	79,77.00	94,02.75	(+)14,25.75	₹ 1,63.86 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4711-01-001-92- अधीक्षक अभियन्ता	मूल	3,83.00	3,83.00	5,35.85	(+)1,52.85	₹ 1,52.85 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4711-01-001-93- मुख्य अभियन्ता	मूल	5,56.00	5,56.00	13,08.66	(+)7,52.66	₹ 7,52.66 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4711-01-201-99- बाढ़ रोकथाम तथा विपत्ति	मूल	70,00.00	70,00.00	1,26,01.27	(+)56,01.27	₹ 56,01.27 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 24/703-04 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 24- जारी

प्रभारित विनियोग

(8) ₹37,26.36 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत मार्च 2020 में ₹35,00 लाख का पूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा ।

(9) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4701-80-800- 98- न्यायालय आदेशों के अधीन बढ़े भू-मुआवजे की अदायगी	मूल	70,00.00	1,05,00.00	67,73.64	(-)37,26.36	₹ 37,26.36 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20- 21/ अनु.सं. 24/703- 04 दिनांक 21-08- 2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
	पूरक	35,00.00				

(10) लोक निर्माण-कार्य विभाग, सिंचाई शाखा-मुख्य शीर्ष 2700-मुख्य सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय में निदेशन तथा प्रशासन और मशीनरी तथा उपकरण प्रभारों की समीक्षा:-

अनुदान संख्या 24- जारी

निम्न तालिका वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान निदेशन तथा प्रशासन और मशीनरी तथा उपकरण प्रभारों के आंकड़ें तथा निर्माण कार्य परियोजना पर उनकी प्रतिशतता दर्शाती हैं:-

(₹लाख में)

योजना	परियोजना का नाम	वर्ष	निर्माण-कार्य परियोजना	निदेशन और प्रशासन प्रभार	मशीनरी तथा उपकरण प्रभार	प्रतिशतता	
						निर्माण कार्य परियोजना पर निदेशन तथा प्रशासन प्रभार	निर्माण कार्य परियोजना पर मशीनरी तथा उपकरण प्रभार
	1	2	3	4	5	6	7
1.	गुडगांव नहर परियोजना	2017-18	1,20.00	1,05.54	0	87.95	0
		2018-19	36.81	26.79	0	72.78	0
		2019-20	64.66	80.16	0	1,23.97	0
2.	लोहारू नहर परियोजना	2017-18	2,30.05	2,02.34	0	87.95	0
		2018-19	2,37.39	1,72.77	0	72.78	0
		2019-20	2,32.86	2,40.47	0	1,03.27	0
3.	जवाहर लाल नेहरू नहर परियोजना	2017-18	3,58.87	3,15.64	0	87.95	0
		2018-19	3,26.43	2,37.58	0	72.78	0
		2019-20	2,07.95	2,00.39	0	96.36	0
4.	दादुपुर नलवी परियोजना	2017-18	2,42.57	1,97.77	0	81.53	0
		2018-19	0	0	0	0	0
		2019-20	0	0	0	0	0
5.	पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार (नाबार्ड) परियोजना	2017-18	1,51,26.95	71,92.24	0	47.55	0
		2018-19	1,92,89.91	1,34,46.77	0	69.71	0
		2019-20	1,57,57.87	1,20,85.85	0	76.70	0
6.	पुनः स्थापना परियोजना	2017-18	23,69.93	19,32.28	0	81.53	0
		2018-19	15,28.29	8,63.10	0	56.47	0
		2019-20	12,98.48	7,58.29	0	58.40	0
7.	नवीन लघु परियोजना	2017-18	45,08.47	21,43.59	0	47.55	0
		2018-19	16,76.35	11,68.56	0	69.71	0
		2019-20	25,85.08	19,87.80	0	76.90	0
8.	पश्चिम यमुना नहर आवर्धन परियोजना	2017-18	41,73.00	36,70.32	0	87.95	0
		2018-19	45,16.93	32,87.40	0	72.78	0
		2019-20	35,23.02	34,86.83	0	98.97	0
9.	जुई नहर परियोजना	2017-18	2,24.57	0	0	0	0
		2018-19	1,82.82	0	0	0	0
		2019-20	2,16.87	0	0	0	0
10.	सिवानी नहर परियोजना	2017-18	2,50.00	0	0	0	0
		2018-19	2,60.02	0	0	0	0
		2019-20	2,18.00	0	0	0	0

अनुदान संख्या-24-जारी

निम्न तालिका वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान निदेशन तथा प्रशासन और मशीनरी तथा उपकरण प्रभारों के आंकड़ें तथा निर्माण कार्य परियोजना पर उनकी प्रतिशतता दर्शाती हैं:-

	1	2	3	4	5	6	7
11.	संस्थागत सुदृढीकरण	2017-18	15,08.23	34,56.17	0	2,29.15	0
	जैसे कि आंकड़े	2018-19	37,35.51	26,03.98	0	69.71	0
	एकड़करण	2019-20	11,60.21	8,90.54	0	76.76	0
12.	लाईनिंग ऑफ चैनल्स	2017-18	2,69.35	2,19.61	0	81.53	0
		2018-19	0	0	0	0	0
		2019-20	6.98	4.96	0	71.06	0
13.	नहर की लाईनिंग तथा आधुनिकीकरण	2017-18	1,73,73.79	1,41,65.41	0	81.53	0
		2018-19	3,43,26.90	1,93,85.96	0	56.47	0
		2019-20	3,84,48.08	2,24,46.49	0	58.38	0
14.	सरस्वती हेरीटेज परियोजना	2017-18	1.15	0.94	0	81.74	0
		2018-19	7.39	4.17	0	56.43	0
		2019-20	39.22	19.82	0	50.54	0
15.	जल निकायो का विकास	2017-18	3,17.07	1,50.75	0	47.54	0
		2018-19	21,78.05	15,18.29	0	69.71	0
		2019-20	12,29.17	9,38.24	0	76.33	0
16.	नहर पर बने पुलों का विकास	2017-18	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0
		2019-20	26,55.31	15,51.28	0	58.42	0

(11) उच्चत लेन-देन:-

शीर्ष 'उच्चत' अन्तिम लेखा शीर्ष नहीं हैं। इसमें अन्तरिम अस्थाई लेन-देन शामिल किए जाते हैं, जिसके लिए लेन-देन को पूर्ण तथा अन्तिम रूप से लेखांकित किया हुआ समझने से पहले आगे भुगतान अथवा मूल्य का समायोजन आवश्यक हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन, यदि अन्तिम लेखा शीर्ष में समायोजित नहीं किए गए व्रहों, तो वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। शीर्ष 'उच्चत' के चार उपभाग हैं, अर्थात्

(i) स्टॉक,

(ii) विविध लोक निर्माण-कार्य पेशगियां और,

(iii) वर्कशाप उच्चत

इन उप-भागों में से प्रत्येक के अन्तर्गत लेन-देनों का स्वरूप और लेखांकन नीचे स्पष्ट किया गया है:-

(i) **स्टॉक:-** यह उप-शीर्ष भण्डार सामग्रियों की अधिप्राप्ति और विनिर्माण संक्रियाओं से संबंधित सकल व्यय से प्रभारित किया जाता है। इसमें निर्माण-कार्य को जारी की गई अथवा बेची गई अथवा अन्य रूप से निपटाई गई। सामग्रियों का मूल्य और उत्पादन का मूल्य जमा (क्रेडिट) किया जाता है और लेखाओं में शेष स्टॉक में सामग्रियों के खाता मूल्य जमा विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभारों आदि, यदि कोई हो तो, का द्योतक है।

अनुदान संख्या-24-जारी

- (ii) **विविध लोक निर्माण-कार्य पेशगियां:-** यह उप-शीर्ष अभिलिखित करता है:-
 (क) सामग्रियों का उधार विक्रय,
 (ख) जमा निर्माण-कार्यों पर अंशदान की प्राप्ति से पहले या प्राप्त अंशदान से अधिक किया गया व्यय।
 (ग) हानियां तथा कटौतियों, और
 (घ) अन्य मदें जिनका समायोजन प्रतीक्षित हैं इसलिए इस शीर्ष के अंतर्गत नामें शेष प्रायः वसूली योग्य राशि का द्योतक होगा।
 इन शीर्षों के तहत डेबिट बैलेंस सामान्य रूप से वसूली योग्य राशि का प्रतिनिधित्व करेगा।
- (iii) **वर्कशाप उचन्त:-** विभागीय वर्कशापों में अन्य संक्रियाओं के लिए निष्पादित कार्यों के प्रभार, उनकी वसूली या समायोजन अनिर्णित होने पर इस उप शीर्ष को नामें (डेबिट) किए जाते हैं। इसलिए वर्कशाप उचन्त' के अन्तर्गत शेष लोक निर्माण-कार्य वर्कशापों में वर्ष के अन्त में चल रहे कार्यों पर व्यय का द्योतक हैं।
- बहुउद्देशीय नदी परियोजना' के लेखे पर मुख्य शीर्ष '2700- मुख्य सिंचाई' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत ₹ 63.76 लाख की राशि शामिल हैं।
- वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्य शीर्ष में उचन्त के अन्तर्गत आदि और अन्त शेष निम्न प्रकार से थे:-

(₹लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष नामें (+) जमा (-)	नामें	जमा	अन्तः शेष नामें + जमा (-)
स्टाक	(-)89.38	45.97	49.19	(-)92.60
विविध पेशगियां	(-) 24.39	17.79	2.07	(-) 8.67
जोड़.	(-)1,13.77	63.76	51.26	(-)1,01.27

- (12) 'सिंचाई' के लेखे पर मुख्य शीर्ष '2700-मुख्य सिंचाई' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत ₹ 1,20.10 लाख राशि शामिल हैं वर्ष 2019-20 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में 'उचन्त' के अन्तर्गत आदि और शेष निम्न प्रकार से थे:-

(₹लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	अन्तः शेष
स्टाक	(-)61.21	67.47	51.48	(-)45.22
विविध पेशगियां	(-)3,90.81	52.63	48.59	(-)3,86.77
जोड़	(-)4,52.02	1,20.10	1,00.07	(-)4,31.99

- (13) 'सिंचाई' के कारण मुख्य शीर्ष '2701-मध्यम सिंचाई' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत कोई भी राशि शामिल नहीं हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में उचन्त के अन्तर्गत आदि और शेष निम्न प्रकार से थे:-

(₹लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	अन्तः शेष
स्टाक	(-)77.02	0	0	(-)77.02
विविध पेशगियां	44.30	0	0	44.30
जोड़.	(-)32.72	0	0	(-)32.72

अनुदान संख्या-24-जारी

- (14) भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड के कारण मुख्य शीर्ष '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत ₹ 1,69.53 लाख व्यय लेखाबद्ध किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में शीर्ष उचन्त के अन्तर्गत आदि और शेष निम्न प्रकार से थे:-

(₹लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष नामें (+) जमा (-)	नामें	जमा	अन्तः शेष नामें(+) जमा (-)
स्टाक	2,36.72	29.30	48.98	2,17.04
खरीद	2,28.28	0	1.67	2,26.61
विविध लोक निर्माण पेशगियां	1,44.41	62.24	1,28.20	78.45
कार्यशाला उचन्त	(-)7.53	77.99	77.99	(-)7.53
जोड़	6,01.88	1,69.53	2,56.84	5,14.57

- (15) सिंचाई के कारण मुख्य शीर्ष '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत लेखाबद्ध ₹ 2,99.76 लाख शामिल हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में 'उचन्त' के अन्तर्गत लेन-देनों आदि और अन्तः शेष सहित निम्न प्रकार से थे:-

(₹लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष नामें(+) जमा (-)	नामें	जमा	अन्तः शेष नामें(+) जमा (-)
स्टाक	8,11.79	2,68.39	2,18.97	8,61.21
विविध पेशगियां	(-)88,39.59	31.37	66.61	(-)88,74.83
जोड़	(-)80,27.80	2,99.76	2,85.58	(-)80,13.62

- (16) भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड के कारण मुख्य शीर्ष '4801-विद्युत परियोजनाओं सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत ₹ 0.98 लाख व्यय लेखाबद्ध किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में शीर्ष उचन्त के अन्तर्गत आदि और शेष निम्न प्रकार से थे:-

(₹लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष नामें (+) जमा (-)	नामें	जमा	अन्तः शेष नामें(+) जमा (-)
स्टाक	(-)10,94.77	0	0	(-)10,94.77
विविध लोक निर्माण पेशगियां	(-)5,80.24	0.98	0.52	(-)5,79.78
जोड़	(-)16,75.01	0.98	0.52	(-)16,74.55

अनुदान संख्या-24- समाप्त

- (17) मुख्य शीर्ष '4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत कोई व्यय लेखाबद्ध नहीं किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में उचन्त के अन्तर्गत आदि और अन्त शेष निम्न प्रकार से थे।

(₹लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष नामें(+) जमा (-)	नामें	जमा	अन्तः शेष नामें(+) जमा (-)
स्टाक	25,73.82	0	0	25,73.82
विविध पेशगियां	1,04,83.90	0	0	1,04,83.90
जोड़	1,30,57.72	0	0	1,30,57.72

- (18) मुख्य शीर्ष '4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत कोई व्यय लेखाबद्ध नहीं किया गया। इस मुख्य शीर्ष में 'उचन्त' शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान आदि और अन्त शेष निम्न प्रकार से थे:-

(₹लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष नामें(+) जमा (-)	नामें	जमा	अन्तः शेष नामें(+) जमा (-)
स्टाक	(-)1,80.70	0	0	(-)1,80.70
विविध पेशगिया	(-)27.54	0	0	(-)27.54
जोड़	(-)2,08.24	0	0	(-)2,08.24

अनुदान संख्या 25-उद्योग

(मुख्य शीर्ष-2057-पूर्ति तथा निपटान, 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4851-ग्रामीण तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 4885-उद्योगों तथा खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	3,25,06,01	3,25,46,86	2,64,63,70	(-)60,83,16
पूरक	40,85			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

प्रभारित

मूल	10	10	0	(-)10
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	15,01,00	15,01,01	13,07,46	(-)1,93,55
पूरक	1			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹ 60,83.16 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 40.85 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या-25-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2851-51-101-97- औद्योगिक संसाधन का सृजन उन्नयन एवं रखरखाव नया नाम नई उद्यमी उन्नयन नीति 2015 के अन्तर्गत संसाधनों का विकास	मूल	1,50,00.00	1,50,00.00	1,02,74.55	(-)47,25.45	₹ 47,25.45 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 25/530-31 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2851-51-102-71- एम.एस.एम.ई. कलस्टर विकास कार्यक्रम	मूल	3,00.00	3,00.00	2,49.76	(-)50.24	₹ 50.24 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 25/530-31 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2851-51-102-72- बन्द हुई कारपोरेशन के बन्दीकरण खर्च (एच.एच.एस. आई. एवं ई. सी./ एच.एस.एच. एवं एच. सी./ एच. टी. एल.)	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹ 30 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 25/530-31 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2851-51-102-74- हथकरधा, हस्तशिल्प तथा निर्यात का उन्नयन	मूल	50.00	50.00	0.76	(-)49.24	₹ 49.24 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 25/530-31 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-25-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2851-51-102-76- लघु उद्योगों की स्थापना तथा प्रशासन क्यू एम सी, एच टी सी, आई डी सी हेतु (98-स्थापना खर्च)	मूल	4,60.20	4,60.20	3,72.10	(-)88.10	₹ 88.10 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 25/530-31 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2851-51-103-89- व्यापक हथकरघा विकास योजना	मूल	24.00	24.00	0.00	(-)24.00	₹ 24 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 25/530-31 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2851-51-105-96- हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड को सहायता अनुदान देने बारे	मूल	1,00.00	1,00.00	45.50	(-)54.50	₹ 54.50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 25/530-31 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2851-51-105-99- खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड को सहायतानुदान	मूल	10,00.00	10,00.00	7,50.00	(-)2,50.00	₹ 2,50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 25/530-31 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-25-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2851-51-190-99-हरियाणा उद्यम संवर्धन केन्द्र को सहायतानुदान (एच ई पी सी)	मूल	10,00.00	10,00.00	8,00.00	(-)2,00.00	₹ 2,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 25/530-31 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2852-80-001-89-योजनागत स्कीमों के अन्तर्गत उद्योग विभाग के अमले की स्थापना (98-स्थापना व्यय)	मूल	3,50.00	3,50.00	2,22.50	(-)1,27.50	₹ 1,27.50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 25/530-31 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2852-80-001-98-स्थापना एवं प्रशासन (क्षेत्रीय कार्यालय)	मूल	21,77.00	21,98.00	19,18.87	(-)2,79.13	₹ 2,79.13 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 25/530-31 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	21.00				
2852-80-001-99-स्थापना एवं प्रशासन (मुख्यालय)	मूल	11,95.50	11,95.50	9,55.75	(-)2,39.75	₹ 2,39.75 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 25/530-31 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-25-समाप्त

(4) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2851-51-102-78- औद्योगिक नीति और संवर्धन ब्यूरो (बी आई पी पी)	मूल	2,50.00	2,50.00	3,50.00	(+)1,00.00	₹ 1,00 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 25/530-31 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

पूँजीगत

दत्तमत अनुदान

(5) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4851-51-102-95- क्षेत्रीय कार्यालयों/ निदेशालय कार्यालय परिसर का आधुनिकीकरण	मूल	15,00.00	15,00.00	13,06.46	(-)1,93.54	₹ 1,93.54 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 25/530-31 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(मुख्य शीर्ष-2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,30,15,01	1,34,90,11	1,12,52,72	(-)22,37,39
पूरक	4,75,10			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

- (1) ₹ 22,37.39 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 4,75.10 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा ।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2853-02-001-94- खानों एवं खनिजों का विकास (98-स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	5,67.10	1,02.55	(-)4,64.55	₹ 4,64.55 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 26/532-33 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
	पूरक	4,67.10				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2853-02-001-99- क्षेत्रीय अमला खानों तथा खनिजों का विकास (98-स्थापना व्यय)	मूल	10,26.50	10,27.50	9,20.00	(-)1,07.50	₹ 1,07.50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 26/532-33 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	1.00				
2853-02-102-99- खनन के बाद बहाली के काम के लिए खर्च	मूल	28,60.00	28,60.00	12,11.84	(-)16,48.16	₹ 16,48.16 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19- 20/20-21/अनु.सं. 26/ 532-33 दिनांक 07-08- 2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(4) खानों और खनिजों का विकास, बहाली तथा पुनर्वास निधि:-

खनन क्षेत्र, संरक्षण, पुनर्वास और राज्य में खनन स्थलों की बहाली के लिए हरियाणा सरकार की दिनांक 10 जुलाई 2015 की अधिसूचना के माध्यम से और पारिस्थितिकी और क्षेत्र के पर्यावरण के संरक्षण और संरक्षण के समग्र हित में अन्य संबंधित कार्यों को करने के लिए इस निधि की स्थापना की गई।

निधि के संविधान के अनुसार, राज्य को भुगतान किए गए 'मृत किराए/रॉयल्टी/अनुबंध धन' के 10 प्रतिशत के बराबर राशि खनिज रियायती धारकों से बहाली और पुनर्वास के लिए 'अन्य प्रभारों' के रूप में निधि में जमा किया जाता है। साथ ही, वित्तीय वर्ष में 'मृत किराए/रॉयल्टी/अनुबंध धन' के कारण राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि का 5 प्रतिशत के बराबर राशि को निधि में सरकारी योगदान के रूप में जमा/स्थानांतरित किया जाना है।

1 अप्रैल 2019 को निधि में ₹ 1,70,52.30 लाख की शेष राशि थी। वर्ष के दौरान राज्य सरकार को मृत किराए आदि के कारण ₹ 5,82,32.77 लाख की राशि प्राप्त हुई। ₹ 85,50 लाख की राशि (छूट धारक योगदान ₹ 52,58.15 लाख तथा राज्य हिस्सा ₹ 32,91.85 लाख) निधि में स्थानांतरित हुई, जहां तक मृत किराए का 10 प्रतिशत ₹ 58,23.28 लाख रियायत धारक हिस्से के रूप में तथा मृत किराए का 5 प्रतिशत ₹ 29,11.64 लाख राज्य के हिस्से के रूप में अर्थात् ₹ 87,34.92 लाख को निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी, जिससे राज्य सरकार द्वारा निधि में ₹ 1,84.92 लाख कम योगदान किया गया। वर्ष 2019-20 में ब्याज का समायोजन नहीं किया गया तथा वर्ष 2018-19 की ₹ 3,25.11 लाख की ब्याज के कम भुगतान का समायोजन नहीं किया गया।

वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत खानों तथा खनिजों निधि में किए लेन देन इस प्रकार है।

अनुदान संख्या 26-समाप्त

01.04.2019 को आदि-शेष	वर्ष के दौरान निधि में स्थानांतरण	वर्ष के दौरान निधि में व्यय	31.03.2020 को अन्तिम शेष
17052.30	8550.00 (5258.15 + 3291.85)	3559.18	22043.12

निधि में लेनदेन का विवरण वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे की विवरण संख्या 21 और 22 में दिया गया है ।

अनुदान संख्या-27-कृषि

(मुख्य शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2435-अन्य कृषि कार्यक्रम, 2702-लघु सिंचाई)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	27,21,80,28	30,56,80,31	15,13,83,74	(-)15,42,96,57
पूरक	3,35,00,03			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

प्रभारित

मूल	8,00	8,00	94	(-)7,06
पूरक				

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹ 15,42,96.57 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 तथा मार्च 2020 में प्राप्त ₹ 3,35,00.03 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2401-51-001-94- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) कृषि और किसान कल्याण विभाग (AGR-PLO-REV)	मूल	30,00.00	3,30,00.00	0	(-)3,30,00.00	₹ 3,30,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	3,00,00.00				

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2401-51-001-96- कृषि (एन.ई.जी.पी.ए.) के लिए राष्ट्रीय ई-शासन योजना	मूल	7,50.00	7,50.00	2,62.10	(-)4,87.90	₹ 4,87.90 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-105-86- खाद एवं उर्वरक के भण्डार व आबटन की योजना	मूल	25,00.00	25,00.00	12,03.00	(-)12,97.00	₹ 12,97 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-105-94- बायोगैस प्लांट को स्थापित करना	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00	₹ 1,50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-105-95- किसानो को भूमि तथा जल प्रशिक्षण सेवा सुविधा प्रदान करना (99-सामान्य योजना)	मूल	3,99.00	3,99.00	3,40.10	(-)58.90	₹ 58.90 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-105-96- कृषि सामग्री पर गुणवत्ता नियंत्रण हेतु योजना	मूल	2,65.00	2,65.00	2,02.14	(-)62.86	₹ 62.86 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2401-51-107-99- पौधा सुरक्षा परिचालन	मूल	14,76.05	14,76.05	13,14.87	(-)1,61.18	₹ 1,61.18 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-108-80- हरियाणा में कपास की खेती के विकास हेतु योजना	मूल	5,00.00	5,00.00	3,95.22	(-)1,04.78	₹ 1,04.78 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-108-81- गन्ना तकनीकी उद्देश्य प्रयोजन	मूल	1,06,60.00	1,06,60.00	57,38.23	(-)49,21.77	₹ 49,21.77 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-108-83- हरियाणा राज्य में फसल विविधीकरण के बढ़ावा देने की योजना	मूल	30,00.00	30,00.00	9,00.00	(-)21,00.00	₹ 21,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-108-94- हरियाणा में गन्ने का विकास	मूल	11,41.50	11,41.50	9,55.63	(-)1,85.87	₹ 1,85.87 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2401-51-109-76- हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के सुदृढीकरण करने के लिए योजना	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	₹ 2,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-109-77- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल	35,50.00	35,50.00	8,64.97	(-)26,85.03	₹ 26,85.03 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-109-78- कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन	मूल	2,00,00.00	2,00,00.00	36,69.05	(-)1,63,30.95	₹ 1,63,30.95 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-109-79- हरियाणा किसान आयोग के संविधान हेतु योजना	मूल	5,00.00	5,00.00	1,70.19	(-)3,29.81	₹ 3,29.81 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-109-80- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	3,50,00.00	3,50,00.00	92,36.55	(-)2,57,63.45	₹ 2,57,63.45 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2401-51-109-81- निरन्तर कृषि सामरिक महत्व को बढ़ावा देने हेतु पहला कदम तथा किसान कल्याण कोष	मूल	20,00.00	20,00.00	13,09.00	(-)6,91.00	₹ 6,91 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-109-85- एक्सटेंशन सुधार कार्यक्रम के विस्तार हेतु केन्द्रीय समर्थन	मूल	36,00.00	36,00.00	20,27.02	(-)15,72.98	₹ 15,72.98 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-109-93- कृषि का सुदृढीकरण तथा संरचना विस्तार योजना	मूल	13,00.00	13,00.00	5,89.47	(-)7,10.53	₹ 7,10.53 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-109-97- किसानों को कृषि विस्तार प्रशिक्षण सेवा के लिए योजना	मूल	3,02.00	3,02.00	2,21.21	(-)80.79	₹ 80.79 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-111-96- फसल सांख्यिकी विकास योजना	मूल	90.00	90.00	54.76	(-)35.24	₹ 35.24 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2401-51-111-97- हरियाणा में मुख्य फसलों के उत्पादन क्षेत्र की समय पर रिपोर्ट	मूल	75.00	75.00	36.18	(-)38.82	₹ 38.82 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-111-99- सांख्यिकीय कक्ष	मूल	2,55.50	2,55.50	2,29.01	(-)26.49	₹ 26.49 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-113-96- कृषि अभियांत्रिकी सेवाओं हेतु योजना	मूल	13,00.00	13,00.00	3,69.30	(-)9,30.70	₹ 9,30.70 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-119-51- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) बागवानी के लिए (HOR-PLO-REV)	मूल	0.01	1,00.01	0	(-)1,00.01	₹ 1,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	1,00.00				
2401-51-119-53- बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	3,15.00	(-)96,85.00	₹ 96,85 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2401-51-119-54- बागवानी किसानों के लिए खेत पर मदद व विपणन प्रोत्साहन	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	0.00	(-)1,00,00.00	₹ 1,00,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-119-58- बागवानी क्षेत्र में उन्नत अन्तर्राष्ट्रीय तकनीक के उन्नयन हेतु योजना	मूल	21,56.00	21,56.00	14,74.90	(-)6,81.10	₹ 6,81.10 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-119-60- उदयान में सूचना तकनीक के लिए योजना	मूल	1,95.00	1,95.00	1,40.71	(-)54.29	₹ 54.29 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-119-61- फलों व सब्जियों में उत्तम कृषि अभ्यास तथा कीटनाशी के अवशेषों की योजना	मूल	1,67.00	1,67.00	96.20	(-)70.80	₹ 70.80 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-119-65- हरियाणा राज्य में उद्यान विकास समेकित योजना लागू करने बारे	मूल	50,09.00	50,09.00	33,93.37	(-)16,15.63	₹ 16,15.63 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2401-51-119-66- हरियाणा राज्य में बागवानी जैव केन्द्र हेतु योजना	मूल	1,41.00	1,41.00	1,16.61	(-)24.39	₹ 24.39 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-119-69- राष्ट्रीय बागवानी मिशन	मूल	1,15,72.12	1,15,72.12	77,18.59	(-)38,53.53	₹ 38,53.53 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-119-72- सूक्ष्म सिंचाई योजना	मूल	30,00.00	30,00.00	5,07.40	(-)24,92.60	₹ 24,92.60 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-119-92- कृषि मानव संसाधन विकास हेतु योजना (98-स्थापना व्यय)	मूल	4,23.00	4,23.00	2,12.91	(-)2,10.09	₹ 2,10.09 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-119-94- हरियाणा राज्य में बागवानी निदेशालय की स्थापना	मूल	3,20.00	3,20.00	1,32.12	(-)1,87.88	₹ 1,87.88 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2401-51-119-98- उद्यान निदेशालय की स्थापना (98-स्थापना व्यय)	मूल	4,97.00	4,97.00	3,79.86	(-)1,17.14	₹ 1,17.14 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-190-99- हरियाणा राज्य में भावतर भरपाई योजना	मूल	25,00.00	25,00.00	5,00.00	(-)20,00.00	₹ 20,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-789-85- अनुसूचित जातियों हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल	8,80.00	8,80.00	34.19	(-)8,45.81	₹ 8,45.81 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-789-87- अनुसूचित जाति के किसानों हेतु सूक्ष्म सिंचाई योजना/स्थाई कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन	मूल	3,00.00	3,00.00	1,15.00	(-)1,85.00	₹ 1,85 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-789-88- अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन	मूल	21,00.00	21,00.00	15,48.50	(-)5,51.50	₹ 5,51.50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2401-51-789-89- किसानों तथा अनुसूचित जाति के किसानों को सब्सिडी पर औजार मशीनरी प्रदान करने हेतु स्कीम	मूल	50.00	50.00	1.94	(-)48.06	₹ 48.06 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-789-90- अनुसूचित जाति के किसानों हेतु राज्य के विकास हेतु सुधार कार्यों में विकास के लिए केन्द्रीय समर्थन	मूल	8,00.00	8,00.00	2,57.14	(-)5,42.86	₹ 5,42.86 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-789-97- अनुसूचित जातियों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सहायता	मूल	20,00.00	20,00.00	16,64.16	(-)3,35.84	₹ 3,35.84 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2401-51-789-98- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए समेकित बागवानी विकास हेतु योजना	मूल	5,00.00	5,00.00	3,01.56	(-)1,98.44	₹ 1,98.44 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2402-51-101-95- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	मूल	16,49.68	16,49.68	5,10.45	(-)11,39.23	₹ 11,39.23 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2402-51-102-77- स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन	मूल	1,60,25.50	1,60,25.50	79.60	(-)1,59,45.90	₹ 1,59,45.90 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2402-51-102-80- जल बचत तकनीक पर सहायता प्रदान करने हेतु योजना	मूल	3,50.00	3,50.00	2,07.48	(-)1,42.52	₹ 1,42.52 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2402-51-102-86- राज्य में लवणीय मिट्टी तथा जलाक्रान्त जमीन के सुधार हेतु मार्गदर्शन परियोजना हेतु योजना (99-सामान्य योजना)	मूल	5,00.00	5,00.00	3,47.78	(-)1,52.22	₹ 1,52.22 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2402-51-789-98- अनुसूचित जाति के किसानों हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	मूल	3,16.52	3,16.52	1,86.79	(-)1,29.73	₹ 1,29.73 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2402-51-789-99- अनुसूचित जाति के किसानों के लिए स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन	मूल	30,00.00	30,00.00	0	(-)30,00.00	₹ 30,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2415-01-277-99- हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायतानुदान	मूल	1,50,00.00	1,50,00.00	1,28,89.24	(-)21,10.76	₹ 21,10.76 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2415-01-277-99- हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायतानुदान (99-सामान्य योजना)	मूल	3,53,31.45	3,87,31.45	3,46,10.95	(-)41,20.50	₹ 41,20.50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	34,00.00				
2435-01-101-99- कृषि उत्पादन का विकास एवं ग्रेडिंग (98-स्थापना व्यय)	मूल	1,57.00	1,57.00	1,33.02	(-)23.98	₹ 23.98 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2401-51-108-98- हरियाणा में अधिक उत्पाद किस्मों सम्बंधी कार्यक्र	मूल	20,01.50	20,01.50	23,62.23	(+)3,60.73	₹ 3,60.73 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 27/599-600 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 27-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2402-51-101-97- समेकित जल- विभाजकों के विकास तथा परियोजना प्रबन्धन हेतु प्लान स्कीम	मूल	15,00.00	15,00.00	20,20.77	(+)5,20.77	₹ 5,20.77 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/हरि/19-20/20- 21/ अनु.सं. 27/599- 600 दिनांक 11-08- 2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-28-पशुपालन तथा डेयरी विकास

(मुख्य शीर्ष-2403-पशु-पालन, 2404- डेयरी विकास, 4403-पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	10,06,48,00	10,06,48,01	8,23,36,82	(-)1,83,11,19
पूरक	1			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

प्रभारित

मूल	20,00	20,00	6,84	(-)13,16
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	20,00,01	20,00,01	5,00,00	(-)15,00,01
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (2) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2403-51-001-95- डी.डी.एस.डी.ओ. के कार्यालय को सुदृढीकरण करना तथा नये पदों का गठन नाम बदलकर मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के सुदृढीकरण के लिए योजना (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	1,00.00	1,00.00	27.37	(-)72.63	₹ 72.63 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 28/597-98 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2403-51-001-99- निदेशालय पशुपालन एवं डेयरी की स्थापना	मूल	8,28.60	8,28.60	6,77.65	(-)1,50.95	₹ 1,50.95 लाख की बचत रिक्त पदों के न भरने, अमले की कम नियुक्ति, विदेशी यात्रा कार्यक्रम न करने तथा कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।
2403-51-101-61- क्रूरता निवारण के लिए समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना	मूल	4,40.00	4,40.00	1,83.55	(-)2,56.45	₹ 2,56.45 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 28/597-98 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2403-51-101-62- पशु चिकित्सा संस्थाओं का खोलना, उन्नयन व सुदृढीकरण	मूल	1,14,80.00	1,14,80.00	83,58.61	(-)31,21.39	₹ 31,21.39 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 28/597-98 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2403-51-101-63- पशुधन स्वास्थ्य एवं पशुरोग नियंत्रण	मूल	13,50.00	13,50.00	9,39.56	(-)4,10.44	₹ 4,10.44 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 28/597-98 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2403-51-101-67- लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार की स्थापना (98-नाबार्ड सहायता)	मूल	50,00.00	50,00.00	30,93.75	(-)19,06.25	₹ 19,06.25 लाख की बचत निर्माण कार्य को अन्तिम रूप न देने के कारण हुई।
2403-51-101-67- लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार की स्थापना (99-राज्य द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय)	मूल	1,65,00.00	1,65,00.00	1,15,61.75	(-)49,38.25	₹ 49,38.25 लाख की बचत निर्माण कार्य को अन्तिम रूप न देने तथा रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।
2403-51-101-96- पशु हस्पताल तथा डिस्पेंसरियाँ	मूल	66,70.80	66,70.80	57,03.87	(-)9,66.93	₹ 9,66.93 लाख की बचत रिक्त पदों के न भरने, दैनिक भुगतान मजदूरों की नियुक्ति न करने तथा दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।
2403-51-102-65- डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय योजना	मूल	2,20.00	2,20.00	0.00	(-)2,20.00	₹ 2,20 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 28/597-98 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2403-51-102-66- संरक्षण और स्वदेशी पशुओं के विकास के लिए योजना	मूल	4,00.00	4,00.00	2,42.17	(-)1,57.83	₹ 1,57.83 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 28/597-98 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2403-51-102-67- राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन के लिए योजना	मूल	3,50.00	3,50.00	0.00	(-)3,50.00	₹ 3,50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 28/597-98 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2403-51-102-69- गौ सेवा आयोग की स्थापना की योजना	मूल	30,00.00	30,00.00	21,00.00	(-)9,00.00	₹ 9,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 28/597-98 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2403-51-102-70- हाइटैक डेयरी के स्थापना के लिए योजना	मूल	10,00.00	10,00.00	2,13.45	(-)7,86.55	₹ 7,86.55 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 28/597-98 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2403-51-102-73- एकीकृत मुराह विकास कार्यक्रम	मूल	5,00.00	5,00.00	92.55	(-)4,07.45	₹ 4,07.45 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 28/597-98 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2403-51-102-76- पशुधन गणना हेतु राज्यों को सहायता स्कीम	मूल	3,00.00	3,00.00	2,59.71	(-)40.29	₹ 40.29 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 28/597-98 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2403-51-102-81- हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना	मूल	40,00.00	40,00.00	0.00	(-)40,00.00	₹ 40,00 लाख की बचत योजना के लागू न करने के कारण हुई।
2403-51-102-91- गौशालाओं और गौसदनों का विकास	मूल	88.95	88.95	55.07	(-)33.88	₹ 33.88 लाख की बचत रिक्त पदों के न भरने तथा दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।
2403-51-104-87- बकरी और भेड़ इकाईयों की स्थापना हेतु योजना	मूल	50.00	50.00	3.94	(-)46.06	₹ 46.06 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 28/597-98 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2403-51-104-94- भेड़, बकरी प्रजनन फार्म और ऊा ग्रेडिंग केंद्र की स्थापना	मूल	6,90.30	6,90.30	5,57.22	(-)1,33.08	₹ 1,33.08 लाख की बचत रिक्त पदों के न भरने, दैनिक भुगतान मजदूरों की नियुक्ति न करने तथा दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई ।
2403-51-105-97- सुअर प्रजनन की स्थापना	मूल	2,17.60	2,17.60	1,74.55	(-)43.05	₹ 43.05 लाख की बचत रिक्त पदों के न भरने तथा दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई ।
2403-51-106-95- जिला/राज्य/अखिल भारतीय स्तर पर पशुधन तथा मुर्ग फार्म की स्थापना	मूल	2,00.00	2,00.00	1,74.16	(-)25.84	₹ 25.84 लाख की बचत मित्तव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुई ।
2403-51-113-96- दूध, अण्डे, ऊा तथा मीट/पशुचारा, तथा घास के उत्पादन का नमूना सर्वेक्षण अनुमान हेतु योजना तथा घास एसैसमेंट विकास परियोजना	मूल	1,80.00	1,80.00	1,00.79	(-)79.21	₹ 79.21 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 28/597-98 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2403-51-789-88- डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय योजना	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹ 30 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 28/597-98 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2403-51-789-89- अनुसूचित जाति हेतु राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन हेतु योजना	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00	₹ 1,50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 28/597-98 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2403-51-789-94- अनुसूचित जाति के लाभ प्राप्त कर्ताओं को पशुधन ईकाईयों की स्थापना से रोजगार के अवसर प्रदान करने की स्कीम	मूल	17,00.00	17,00.00	14,46.24	(-)2,53.76	₹ 2,53.76 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 28/597-98 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(3) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2403-51-001-95- डी.डी.एस. डी. ओ. के कार्यालय को सुदृढ़ करना तथा नए पदों का गठन नाम बदलकर मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना (98-स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	5,00.00	6,88.72	(+)1,88.72	₹ 1,88.72 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 28/597-98 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 28-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2403-51-789-92- पशुधन स्वास्थ्य एवं पशुरोग नियंत्रण	मूल	2,50.00	2,50.00	4,40.26	(+)1,90.26	₹ 1,90.26 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 28/597-98 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

प्रभारित विनियोग

(4) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2403-51-101-96- पशु हस्पताल तथा डिस्पेंसरियाँ	मूल	20.00	20.00	6.84	(-)13.16	₹ 13.16 लाख की बचत न्यायालय मामलों के दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

पूँजीगत

दत्तमत अनुदान

(5) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4403-51-101-99- राज्य के अधीन आर आई डी एफ आठवीं में पशु चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पुनः निर्माण	मूल	20,00.00	20,00.00	5,00.00	(-)15,00.00	₹ 15,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 28/597-98 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-29- मत्स्य पालन

(मुख्य शीर्ष-2405 मछली पालन, 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	73,25,99	74,25,99	51,75,49	(-)22,50,50
पूरक	1,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

राजस्व

- (1) ₹ 22,50.50 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 100 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा ।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2405-51-001-95- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) मछली पालन (FIS-PLO-REV)	मूल	0.01	1,00.01	0	(-)1,00.01	₹ 1,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 29/561-62 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
	पूरक	1,00.00				

अनुदान संख्या 29-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2405-51-101-72- ताजे पानी में एक्वाकल्वर का विकास	मूल	17,60.35	17,60.35	4,95.60	(-)12,64.75	₹ 12,64.75 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 29/561-62 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2405-51-101-73- सजावटी मछलियों के लिए योजना	मूल	5,00.00	5,00.00	2,36.40	(-)2,63.60	₹ 2,63.60 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 29/561-62 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2405-51-101-82- अन्देशीय नदियां एवं जलाशय में मछली पकड़ना/नाम बदलकर अन्देशीय मछली पकड़ना (ग्राम, तालाब, टैंक आदि)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	₹ 40 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 29/561-62 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2405-51-101-83- जलीय क्षेत्रों में जल सम्पदा का विकास योजना/ नाम बदलकर जल भराव क्षेत्र के विकास के रूप में	मूल	1,45.60	1,45.60	53.96	(-)91.64	₹ 91.64 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 29/561-62 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 29-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2405-51-101-96- मछली कल्चर के लिए स्कीम	मूल	3,77.50	3,77.50	3,14.51	(-)62.99	₹ 62.99 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 29/561-62 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2415-05-004-98- मत्स्य हेतु क्षरीय भू- जल के प्रयोग की योजना/नाम बदलकर कर एक्वाकल्चर के लिए खारा/ क्षारीय जल के उत्पादक उपयोग	मूल	3,09.03	3,09.03	1,46.75	(-)1,62.28	₹ 1,62.28 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 29/561-62 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-30-वन तथा वन्य प्राणी

(मुख्य शीर्ष-2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	5,05,63,95	5,12,17,91	3,33,78,92	(-)1,78,38,99
पूरक	6,53,96			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

प्रभारित

मूल	80,00	80,00	70,71	(-)9,29
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹ 1,78,38.99 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 6,53.96 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा ।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 30-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2402-51-001-99-परिमण्डल/मण्डल अमला	मूल	22,65.70	22,65.70	17,63.79	(-)5,01.91	₹ 5,01.91 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2402-51-102-90-जल विभाजको के भूमि संरक्षण हेतु विशेष स्थलों पर वन रोपण	मूल	10,85.00	10,85.00	1,53.58	(-)9,31.42	₹ 9,31.42 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2402-51-102-91-सूखा नियंत्रित करने हेतु विशेष स्थलों का वनारोपण	मूल	1,36.50	1,36.50	69.54	(-)66.96	₹ 66.96 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2406-01-001-99-मुख्यालय अमला (98-स्थापना व्यय)	मूल	15,25.00	15,25.00	12,51.45	(-)2,73.55	₹ 2,73.55 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 30-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2406-01-001-99- मुख्यालय अमला (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	3,50.00	3,50.00	2,74.93	(-)75.07	₹ 75.07 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2406-01-003-97- वन्य प्रचार लोक सम्पर्क तथा विस्तार	मूल	2,51.60	2,51.60	1,51.72	(-)99.88	₹ 99.88 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2406-01-005-98- जैव विविधता और परिस्थितिकीय उत्थान की स्थापना	मूल	6,92.00	6,92.00	3,11.40	(-)3,80.60	₹ 3,80.60 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2406-01-070-97- भवन	मूल	9,00.00	9,00.00	4,87.71	(-)4,12.29	₹ 4,12.29 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 30-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2406-01-101-96- स्थाई कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत कृषि वानिकी (एन एम एस ए)	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00	₹ 1,50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2406-01-101-97- वनों की सुरक्षा	मूल	2,12.70	2,12.70	88.05	(-)1,24.65	₹ 1,24.65 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2406-01-101-98- परिभ्रष्ट वनों का पुनर्वास	मूल	10,83.10	10,83.10	7,71.01	(-)3,12.09	₹ 3,12.09 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2406-01-101-99- वनों का संगठन सुधार तथा विस्तार	मूल	1,50.00	1,50.00	14.03	(-)1,35.97	₹ 1,35.97 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 30-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2406-01-102-64- राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (ग्रीन भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन)	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	₹ 3,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2406-01-102-68- अरावली पहाड़ियों पर संस्थानों का पुनर्उत्थान	मूल	19,00.00	19,00.00	10,18.86	(-)8,81.14	₹ 8,81.14 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2406-01-102-71- हर्बल प्राकृतिक पार्क	मूल	16,50.00	16,50.00	9,72.22	(-)6,77.78	₹ 6,77.78 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2406-01-102-74- एकीकृत वन्य सुरक्षा	मूल	2,00.00	2,00.00	24.46	(-)1,75.54	₹ 1,75.54 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 30-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2406-01-102-78- कृषि वानिकी का क्लोन/गैर क्लोन विकास	मूल	90,00.00	90,00.00	75,77.08	(-)14,22.92	₹ 14,22.92 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2406-01-102-88- बेकार एवं कृषि भूमि पर पौधा रोपण योजना	मूल	46,90.00	46,90.00	38,81.53	(-)8,08.47	₹ 8,08.47 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2406-01-102-90- शहरी क्षेत्रों में हरी पट्टी	मूल	12,00.00	12,00.00	6,96.64	(-)5,03.36	₹ 5,03.36 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2406-01-102-92- शीघ्र बढ़ने वाले पौधे लगाना	मूल	2,56.50	2,56.50	1,11.39	(-)1,45.11	₹ 1,45.11 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 30-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2406-01-102-94- वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण सरहदबन्दी एवं निपटारा	मूल	1,11.50	1,11.50	53.12	(-)58.38	₹ 58.38 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2406-01-102-97- वन्य किनारों का विस्तार (नहरों, सड़कों तथा रेलवे पथ के साथ -साथ खाली भूमि पर पौधा रोपण)	मूल	4,57.70	4,57.70	3,55.44	(-)1,02.26	₹ 1,02.26 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2406-01-102-98- औद्योगिक तथा वाणिज्यक उपयोग के लिए पौधारोपण	मूल	1,35.20	1,35.20	85.12	(-)50.08	₹ 50.08 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2406-01-102-99- पौधा उगना तथा लगाना	मूल	40.00	40.00	14.69	(-)25.31	₹ 25.31 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 30-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2406-01-105-99- सरकारी एजेंसी द्वारा वनों से लकड़ी तथा अन्य उपजों को हटाना	मूल	1,51.00	1,51.00	32.12	(-)1,18.88	₹ 1,18.88 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2406-02-110-87- एक्वाटिक इको- सिस्टम के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना के तहत हरियाणा में वटलैंड का संरक्षण और प्रबन्धन	मूल	3,20.00	3,20.00	1,33.12	(-)1,86.88	₹ 1,86.88 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2406-02-110-93- बहुउद्देशीय क्षेत्रों में वन्य प्राणियों का संरक्षण	मूल	10,00.00	10,00.00	5,04.56	(-)4,95.44	₹ 4,95.44 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2406-02-110-99- मुख्यालय अमला	मूल	10,77.60	10,77.60	9,34.69	(-)1,42.91	₹ 1,42.91 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 30-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2406-02-800-98- चिड़िया घरों एवं हिरण पार्कों का विस्तार	मूल	6,50.00	6,50.00	4,50.91	(-)1,99.09	₹ 1,99.09 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2406-04-103-96- वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य	मूल	48,00.27	48,00.27	10,00.00	(-)38,00.27	₹ 38,00.27 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2406-04-103-99- मुआवजा वनीकरण	मूल	43,04.92	43,04.92	10,00.00	(-)33,04.92	₹ 33,04.92 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 30/595-96 दिनांक 11-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-31-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण

(मुख्य शीर्ष-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	13,09,01	13,09,01	11,60,99	(-)1,48,02
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

- (1) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (2) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3435-03-001-99-संदर्भित प्रयोगशाला सहित निदेशन तथा प्रशासन (98-स्थापना व्यय)	मूल	2,44.70	2,44.70	1,89.62	(-)55.08	₹ 55.08 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 31/534-35 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 31-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3435-03-800-84- जलवायु बदलाव मंडल	मूल	25.00	25.00	6.94	(-)18.06	₹ 18.06 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 31/534-35 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3435-03-800-88- राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (98-स्थापना व्यय)	मूल	1,35.00	1,35.00	1,15.26	(-)19.74	₹ 19.74 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 31/534-35 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3435-03-800-95- पर्यावरण प्रशिक्षण शिक्षा जागरूक कार्यक्रम	मूल	50.00	50.00	10.51	(-)39.49	₹ 39.49 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 31/534-35 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-32-ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास

(मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505-ग्राम रोजगार, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2553-संसद सदस्यों को स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	48,98,60,02	52,81,74,02	39,40,38,17	(-)13,41,35,85
पूरक	3,83,14,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

प्रभारित

मूल	40,00	40,00	8,29	(-)31,71
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	3,00,00,02	3,00,00,02	28,58,97	(-)2,71,41,05
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹ 13,41,35.85 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 3,83,14 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2501-03-001-99- डी.डी.पी./डी.पी.ए.पी के अन्तर्गत निदेशालय ग्रामीण विकास को जारी रखना नाम बदल कर ग्रामीण विकास के लिए मुख्यालय के स्थापना खर्च हेतु योजना	मूल	5,50.00	5,50.00	3,16.21	(-)2,33.79	₹ 2,33.79 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2501-05-101-99- समेकित बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना	मूल	30,00.00	30,00.00	17,82.00	(-)12,18.00	₹ 12,18 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2501-05-789-99- समेकित बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना	मूल	10,00.00	10,00.00	4,25.00	(-)5,75.00	₹ 5,75 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2501-06-101-99- स. ग्रा. रो. यो. सहित समेकित ग्रामिण विकास कार्यक्रम नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम/ आजीविका) (99-सामान्य योजना)	मूल	75,00.00	75,00.00	32,33.86	(-)42,66.14	₹ 42,66.14 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 32-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2501-06-789-99- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम/ आजीविका)	मूल	75,00.00	75,00.00	32,33.86	(-)42,66.14	₹ 42,66.14 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2501-06-800-97- डी आर डी ए प्रशासन	मूल	35,00.00	35,00.00	24,85.00	(-)10,15.00	₹ 10,15 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2501-06-800-98- डी.डब्लू.सी.आर.ए. योजना नाम बदलकर ग्रामीण विकास स्थापना व्यय फील्ड स्टाफ के लिए योजना	मूल	4,00.00	4,00.00	1,36.84	(-)2,63.16	₹ 2,63.16 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2505-01-702-88- राष्ट्रीय सम विकास योजना/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के रूप में नाम बदलकर स्वर्ण जयंती उत्थान योजना (99-सामान्य योजना भाग)	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	₹ 3,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 32-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2505-01-702-93- इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बन्धुआ मजदूरों अनुसूचित जनजातियों के लिए मकान का निर्माण एवं कोटि उन्नयन नाम बदलकर प्रधान मंत्री आवास योजना (99-सामान्य योजना)	मूल	30,00.00	30,00.00	0.00	(-)30,00.00	₹ 30,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2505-01-789-98- इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बन्धुवा मजदूरों अनुसूचित जाति एवं जन जातियों के लिए मकान का निर्माण एवं कोटि उन्नयन नाम बदलकर प्रधान मंत्री आवास योजना (पी एम ए वाई)	मूल	45,00.00	45,00.00	0.00	(-)45,00.00	₹ 45,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2505-01-789-99- अनुसूचित जातियों हेतु पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत योजना नाम बदलकर स्वर्ण जयंती उत्थान योजना	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2505-02-101-99- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) (99-सामान्य योजना)	मूल	2,20,00.00	2,20,00.00	1,10,13.58	(-)1,09,86.42	₹ 1,09,86.42 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 32-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2505-02-789-99- अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत सहायता	मूल	53,50.00	53,50.00	0.00	(-)53,50.00	₹ 53,50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2515-51-001-96- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) ग्रामीण विकास तथा पंचायत (RUD-PLO-REV)	मूल	0.01	3,72,34.01	0	(-)3,72,34.01	₹ 3,72,34.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	3,72,34.00				
2515-51-001-98- सामुदायिक विकास (96-जिला तथा खण्ड अमला)	मूल	1,62,05.00	1,62,05.00	1,41,42.34	(-)20,62.66	₹ 20,62.66 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2515-51-001-98- समुदायिक विकास (98-स्थापना व्यय) (मुख्यालय अमला)	मूल	6,64.50	6,64.50	5,93.23	(-)71.27	₹ 71.27 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2515-51-001-99- पंचायत विभाग (95-जिला अमला) (पंचायती राज संस्था से सम्बन्धित प्रभार)	मूल	16,96.00	16,96.00	13,81.04	(-)3,14.96	₹ 3,14.96 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2515-51-001-99- पंचायत विभाग (98-स्थापना खर्च (मुख्यालय अमला))	मूल	7,56.00	18,36.00	6,13.44	(-)12,22.56	₹ 12,22.56 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	10,80.00				
2515-51-003-98- सामुदायिक विकास (98-हरियाणा ग्रामीण विकास संस्था नीलोखेड़ी की स्थापना नाम बदलकर-प्रशिक्षण एवं योग्यता निर्माण हेतु योजना-हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी)	मूल	3,10.00	3,10.00	2,29.47	(-)80.53	₹ 80.53 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2515-51-003-98- सामुदायिक विकास (99-राजीव गाँधी राज्य प्रशिक्षण केन्द्र नीलोखेड़ी नाम बदलकर सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण करना)	मूल	3,76.15	3,76.15	1,99.98	(-)1,76.17	₹ 1,76.17 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 32-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2515-51-101-81- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आर.जी.पी.एस. ए.) नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी. एस. ए.)	मूल	40,00.00	40,00.00	0.00	(-)40,00.00	₹ 40,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2515-51-101-83- राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के तहत गावों में विशेष विकास कार्य योजना	मूल	3,06,00.00	3,06,00.00	2,38,92.55	(-)67,07.45	₹ 67,07.45 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2515-51-101-93- विकास कार्यो के लिए लोगों को समानुपातिक सहायता योजना (राज्य अंश)	मूल	1,00.00	1,00.00	58.00	(-)42.00	₹ 42 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2515-51-101-95- विकास कार्यो के लिए लोगों को समानुपातिक सहायता अनुदान (लोक अंश)	मूल	1,00.00	1,00.00	31.50	(-)68.50	₹ 68.50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2515-51-102-83- ग्रामीण विकास के युवा स्वयं सेवकों में जागरूकता	मूल	5,00.00	5,00.00	3,36.12	(-)1,63.88	₹ 1,63.88 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2515-51-102-93- स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत स्वच्छता निर्मल भारत अभियान नया नाम स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण (99-सामान्य योजना)	मूल	1,20,00.00	1,20,00.00	87,67.05	(-)32,32.95	₹ 32,32.95 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2515-51-102-94- हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एच जी वी वाई)	मूल	2,50,00.00	2,50,00.00	1,75,19.65	(-)74,80.35	₹ 74,80.35 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2515-51-102-96- स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना (एस एम ए जी आई) के लिए योजना (99-सामान्य योजना)	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	₹ 10,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2515-51-102-97- पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों की नई निर्माण नवीनीकरण/मरम्मत	मूल	30,00.00	30,00.00	15,46.05	(-)14,53.95	₹ 14,53.95 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2515-51-106-99- विधायक आदर्श ग्राम योजना (वी ए जी वाई)	मूल	1,80,20.00	1,80,20.00	66,35.44	(-)1,13,84.56	₹ 1,13,84.56 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19- 20/20-21/ अनु.सं. 32/ 536-37 दिनांक 07-08- 2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2515-51-196-99- जिला परिषद के लेखे बनाना नाम बदलकर पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को मानदेय तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को वेतन अदायगी हेतु योजना	मूल	1,08,93.35	1,08,93.35	95,41.45	(-)13,51.90	₹ 13,51.90 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2515-51-198-98- 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्राम पंचायत को सहायतानुदान	मूल	11,76,68.00	11,76,68.00	10,48,53.00	(-)1,28,15.00	₹ 1,28,15 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2515-51-789-86- राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए गावों में विशेष कार्य योजना	मूल	54,00.00	54,00.00	38,55.89	(-)15,44.11	₹ 15,44.11 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2515-51-789-88- महात्मा गाँधी ग्रामीण बस्ती योजना	मूल	50,00.00	50,00.00	43,99.28	(-)6,00.72	₹ 6,00.72 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2515-51-789-97- अनुसूचित जाति के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एच जी वी वाई) के लिए योजना	मूल	2,50,00.00	2,50,00.00	1,74,80.41	(-)75,19.59	₹ 75,19.59 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2515-51-789-98- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत अनुसूचित जातियों के लिए स्वच्छता योजना	मूल	50,00.00	50,00.00	33,05.41	(-)16,94.59	₹ 16,94.59 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 32-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2553-51-101-98- सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई)	मूल	2,50.00	2,50.00	0.00	(-)2,50.00	₹ 2,50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2515-51-106-97- श्यामा प्रसाद मुखरर्जी रुर्बन मिशन (एस पी एम आर एम)	मूल	45,00.00	45,00.00	79,14.00	(+)34,14.00	₹ 34,14 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2515-51-789-96- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रोजगार योजना	मूल	1,30,00.00	1,30,00.00	1,47,45.75	(+)17,45.75	₹ 17,45.75 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

प्रभारित विनियोग

(5) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2515-51-001-98- सामुदायिक विकास (96-जिला तथा खण्ड अमला)	मूल	40.00	40.00	8.29	(-)31.71	₹ 31.71 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

पूंजीगत

दत्तमत अनुदान

(6) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4515-51-101-99- बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए हरियाणा ग्राम उदय योजना नाम बदलकर दीन बन्धु हरियाणा ग्राम उदय योजना	मूल	3,00,00.00	3,00,00.00	28,58.97	(-)2,71,41.03	₹ 2,71,41.03 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे / 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 32/536-37 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(मुख्य शीर्ष-2425-सहकारिता, 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	3,32,00,49	3,32,00,49	2,84,67,46	(-)47,33,03
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

प्रभारित

मूल	5,00	5,00	4,45	(-)55
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,54,90,01	1,54,90,01	67,64,24	(-)87,25,77
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (2) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2425-51-001-97- मुख्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियों की विभिन्न शाखाओं हेतु योजना (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	1,50.00	1,50.00	97.36	(-)52.64	₹ 52.64 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2425-51-001-99- जिला स्तर पर आर.सी.एस. कार्यालय का सुदृढीकरण	मूल	6,18.70	6,18.70	4,86.70	(-)1,32.00	₹ 1,32 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2425-51-105-98- सहकारी विकास फेडरेशन, हरियाणा द्वारा प्रचार तथा प्रोपेगंडा (हरकोफैड)	मूल	1,60.00	1,60.00	1,12.00	(-)48.00	₹ 48 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2425-51-107-76- हरियाणा में मुख्य मन्त्री दुग्ध उद्योग प्रोत्साहन योजना	मूल	33,30.00	33,30.00	23,14.72	(-)10,15.28	₹ 10,15.28 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2425-51-107-83- मशीनरी एवं औजारों की खरीद हेतु श्रम संगठन को सहायता	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	₹ 25 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2425-51-107-85- हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एवं हरको बैंक को वसूली प्रोत्साहन हेतु एक मुश्त योजना	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2425-51-107-89- अल्पविधि कर्ज फसल पर ब्याज दर में छूट हेतु	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	76,89.45	(-)23,10.55	₹ 23,10.55 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2425-51-107-94- महिला सहकारी समितियों को सहायता	मूल	50.00	50.00	0.85	(-)49.15	₹ 49.15 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2425-51-107-97- एकीकृत सहकारिता विकास कार्यक्रम	मूल	1,95.00	1,95.00	64.93	(-)1,30.07	₹ 1,30.07 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2425-51-108-93- डेयरी प्रसंस्करण और अव संरचना विकास निधि (DIDF) योजना के तहत दुग्ध संयंत्रों के नवीकरण के लिए ब्याज उपलब्ध	मूल	1,06.00	1,06.00	0.00	(-)1,06.00	₹ 1,06 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2425-51-108-94- डबवाली में मिल्क चिलिंग सेंटर की स्थापना	मूल	1,80.00	1,80.00	0.00	(-)1,80.00	₹ 1,80 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2425-51-108-95- दूध सहकारी समितियाँ (99- प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियाँ)	मूल	1,22.50	1,22.50	85.75	(-)36.75	₹ 36.75 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2425-51-108-96- हरियाणा में दूध सहकारी समितियों में खरीद और विपणन बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना	मूल	5,66.50	5,66.50	3,96.55	(-)1,69.95	₹ 1,69.95 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2425-51-108-97- सहकारी समितियों को फल तथा सब्जियां उगाने हेतु (सब्सिडी) अनुदान प्रदान करना	मूल	50.00	50.00	0.96	(-)49.04	₹ 49.04 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2425-51-277-98- सदस्य शिक्षा तथा नेतृत्व	मूल	4,00.00	4,00.00	2,80.00	(-)1,20.00	₹ 1,20 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2425-51-789-99- प्राथमिक उधार व औद्योगिक सहकारिताओं के अनुसूचित जाति के सदस्यों को दिये गए कर्ज पर ब्याज	मूल	50.00	50.00	21.17	(-)28.83	₹ 28.83 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

**पूँजीगत
दत्तमत अनुदान**

(3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4425-51-107-85- शहरी सहकारी बैंको को हिस्सा पूंजी	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4425-51-107-86- आवासीय फेडरेशन के लिए हिस्सा पूंजी	मूल	2,50.00	2,50.00	2,00.00	(-)50.00	₹ 50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4425-51-107-93- हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक चण्डीगढ़	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4425-51-107-96- प्राथमिक सहकारी समिति तथा कृषि ग्रामीण विकास को हिस्सा पूंजी के लिए सरकारी अनुदान	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4425-51-107-99- केन्द्रीय सहकारी बैंक में सूची लगाना	मूल	90,00.00	90,00.00	10,00.00	(-)80,00.00	₹ 80,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4425-51-108-74- राष्ट्रीय सहकारी समिति विकास निगम से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को हिस्सा पूंजी	मूल	2,00.00	2,00.00	1,58.00	(-)42.00	₹ 42 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4425-51-108-88- विपणन सहकारिताओं की हिस्सा पूंजी में सरकारी योगदान	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹ 50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4425-51-108-94- एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना	मूल	6,00.00	6,00.00	3,37.44	(-)2,62.56	₹ 2,62.56 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 33/538-39 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-34-परिवहन

(मुख्य शीर्ष-2041-वाहन कर, 3053-नागर विमानन, 3055-सड़क परिवहन, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	23,87,01,60	24,37,01,60	20,49,85,31	(-)3,87,16,29
पूरक	50,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	2,97,11,01	5,52,11,01	64,03,58	(-)4,88,07,43
पूरक	2,55,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

- (1) ₹ 3,87,16.29 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 50,00 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 34-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2041-51-102-98- रेगुलेटरी विंग की सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं कम्प्यूटरीकरण	मूल	46,00.00	46,00.00	28,65.23	(-)17,34.77	₹ 17,34.77 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 34/549-51 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3053-01-190-99- विजिविलिटी गैप फंडिंग के लिए योजना (आर सी एस उड़ान) (98-एन एस ओ पी उड़ान (गैर अनुसूचित ऑपरेटर परमिट)	मूल	10,00.00	10,00.00	0	(-)10,00.00	₹ 10,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 34/549-51 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3053-01-190-99- विजिविलिटी गैप फंडिंग के लिए योजना (आर सी एस उड़ान) (99-आर सी एस उड़ान (क्षेत्रिय कनेक्टिविटी योजना)	मूल	47.00	47.00	0	(-)47.00	₹ 47 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 34/549-51 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3053-02-001-99- हिसार में एकीकृत विमानन हब के लिए स्थापना व्यय के लिए योजना	मूल	3,74.60	3,74.60	2,43.33	(-)1,31.27	₹ 1,31.27 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 34/549-51 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 34-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3053-80-003-98- उड्डयन क्लब तथा संस्थाओं को सहायतानुदान	मूल	1,00.00	1,00.00	34.79	(-)65.21	₹ 65.21 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 34/549-51 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3055-51-001-97- कार्य प्रगति किए गए परिव्यय (पी एल ओ) परिवहन (TRA-PLO-REV)	मूल	0.01	50,00.01	0	(-)50,00.01	₹ 50,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 34/549-51 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	50,00.00				
3055-51-001-99- केन्द्रीय कार्यालय (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	2,00.00	2,00.00	17.65	(-)1,82.35	₹ 1,82.35 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 34/549-51 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3055-51-201-98- बी-कार्यान्वयन	मूल	18,05,13.00	18,05,13.00	15,06,41.37	(-)2,98,71.63	₹ 2,98,71.63 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 34/549-51 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 34-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3055-51-800-97- सी-मुरम्मत तथा रख रखाव	मूल	14,11.00	14,11.00	11,65.52	(-)2,45.48	₹ 2,45.48 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 34/549-51 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3055-51-800-99- ए-प्रबन्धन	मूल	2,57.00	2,57.00	2,23.24	(-)33.76	₹ 33.76 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 34/549-51 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(4) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3053-80-001-99- मुख्यालय अमला	मूल	1,48.00	1,48.00	1,76.71	(+)28.71	₹ 28.71 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 34/549-51 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

पूँजीगत

दत्तमत अनुदान

- (5) ₹ 4,88,07.43 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में ₹ 2,55,00 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
- (6) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5053-60-052-99- स्पेयर पार्ट्स हवाई जहाज तथा अन्य उपस्करों की खरीद	मूल	15,16.00	15,16.00	33.55	(-)14,82.45	₹ 14,82.45 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 34/549-51 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
5055-51-050-76- कार्य प्रगति किए गए परिव्यय (पी एल ओ) परिवहन (TRA-PLO-CAP)	मूल	0.01	2,55,00.01	0	(-)2,55,00.01	₹ 2,55,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 34/549-51 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	2,55,00.00				
5055-51-050-77- भूमि की खरीद तथा रेगुलेटरी विंग हेतु भवन का निर्माण	मूल	30,00.00	30,00.00	14.86	(-)29,85.14	₹ 29,85.14 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 34/549-51 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 34- जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5055-51-050-78- हरियाणा परिवहन डिपो	मूल	1,50,00.00	1,50,00.00	59,32.87	(-)90,67.13	₹ 90,67.13 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 34/549-51 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
5055-51-102-77- हरियाणा परिवहन डिपो	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	4,07.61	(-)95,92.39	₹ 95,92.39 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 34/549-51 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
5055-51-103-76- हरियाणा परिवहन डिपो	मूल	1,00.00	1,00.00	1.31	(-)98.69	₹ 98.69 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 34/549-51 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
5055-51-800-77- चालक प्रशिक्षण स्कूल	मूल	50.00	50.00	0	(-)50.00	₹ 50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 34/549-51 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 34-जारी

(6) अनुदान के अन्तर्गत व्यय में अंशदित किए ₹ 4,375 लाख और आरक्षित निधि में से लिए गए ₹ 6,000 लाख शामिल हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:-

1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित निधि तथा प्रयोजन	1.4.2019 के दौरान आदिशेष	वर्ष 2019-20 के दौरान अंशदान	वर्ष 2019-20 के दौरान निधि के अन्तर्गत ब्याज का संचय	वर्ष 2019-20 के दौरान निधि में जमा की गई कुल राशि	वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय	31 मार्च 2020 को शेष
(₹लाख में)						
(1) '8115' मूल्य ह्रास/आरक्षित/निधि नवीनीकरण '103' मूल्य ह्रास/आरक्षित/निधि (मोटर वाहन) बसों, मशीनरी, फर्नीचर आदि के नवीनीकरण और प्रतिस्थापना की लागत को पूरा करने के लिए	4,56,92.38	43,75.00	50,26.16	5,50,93.54	60,00.00	4,90,93.54
(2) '8121' सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि '101' सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि सरकार व्यावसायिक विभाग सेवारत गाड़ियों को दुर्घटनाओं के कारण तीसरी पार्टी के दावों और भारी मरम्मत की लागत को पूरा करने के लिए	3,39.58	25.00	37.35	4,01.93	25.00	3,76.93

मूल्य ह्रास आरक्षित निधि (मोटर परिवहन) में अंशदान प्रत्येक वर्ष स्थायी परिसम्पत्ति के अंकित मूल्य पर निर्दिष्ट दरों से किए जाते हैं। निधि में संचित राशि पर ब्याज को भी मोटर परिवहन (दुर्घटना) आरक्षित निधि में जमा जाता है।

निधियों में से वास्तविक व्यय को पहले इस अनुदान के नामें डाला जाता है। बाद में, वर्ष के लेखे बन्द करने से पहले व्यय निधियों को अन्तरित कर दिया जाता है।

निधियों के लेन देन का लेखा वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 एवं 22 में दिया गया है।

अनुदान संख्या 35-पर्यटन

(मुख्य शीर्ष-3452-पर्यटन, 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	9,12,01	24,12,01	22,63,49	(-)1,48,52
पूरक	15,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	39,40,01	39,40,01	28,84,72	(-)10,55,29
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियाँ एवं टीकाएँ:-

राजस्व

- (1) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (2) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 35-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3452-80-001-96- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) पर्यटन (TOR-PLO-REV)	मूल	0.01	15,00.01	0	(-)15,00.01	₹ 15,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 35/540-41 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	15,00.00				
3452-80-800-99- कैटरिंग संस्थान पानीपत	मूल	39.00	39.00	27.30	(-)11.70	₹ 11.70 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 35/540-41 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(3) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3452-01-101-99- पर्यटन गतिविधियों में विस्तार तथा एतिहासिक स्मारकों का प्रकाशीकरण	मूल	4,00.00	4,00.00	7,97.52	(+)3,97.52	₹ 3,97.52 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 35/540-41 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 35-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3452-80-001-99- मुख्यालय अमला (98-स्थापना खर्च)	मूल	4,03.85	4,03.85	13,79.75	(+)9,75.90	₹ 9,75.90 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 35/540-41 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

पूँजीगत

दत्तमत अनुदान

(4) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5452-80-800-93- स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थान का आधुनिकीकरण/ उन्नयन	मूल	6,00.00	6,00.00	5,32.35	(-)67.65	₹ 67.65 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 35/540-41 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
5452-80-800-95- नए पर्यटन परिसरों का वातानुकूलन तथा साज सज्जा	मूल	2,00.00	2,00.00	1,33.04	(-)66.96	₹ 66.96 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 35/540-41 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 35-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5452-80-800-96- हरियाणा में मुख्य राजमार्गों के साथ पर्यटक सुविधाओं का विकास	मूल	13,00.00	13,00.00	5,58.36	(-)7,41.64	₹ 7,41.64 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 35/540-41 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
5452-80-800-98- सूरजकुंड में पर्यटक सुविधाएं	मूल	5,00.00	5,00.00	2,33.86	(-)2,66.14	₹ 2,66.14 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 35/540-41 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(5) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5452-80-800-99- बड़खल झील पर होलीडे तथा मनोरंजन रिसोर्ट	मूल	2,50.00	2,50.00	3,80.83	(+)1,30.83	₹ 1,30.83 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 35/540-41 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-36-गृह

(मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	46,63,39,01	47,63,39,01	44,47,93,71	(-)3,15,45,30
पूरक	1,00,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

प्रभारित

मूल	80,00	80,00	46,83	(-)33,17
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	4,10,00,01	4,10,00,01	2,29,69,62	(-)1,80,30,39
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियाँ व टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹ 3,15,45.30 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 1,00,00 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा ।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2055-51-001-97- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) पुलिस (POL-PLO-REV)	मूल	0.01	1,00,00.01	0	(-)1,00,00.01	₹ 1,00,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/ हरि/ 19-20/20- 21/ अनु.सं. 36/645-46 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
	पूरक	1,00,00.00				
2055-51-001-99- केन्द्रीय पुलिस कार्यालय तथा रेंजिज	मूल	63,65.01	63,65.01	40,70.84	(-)22,94.17	₹ 22,94.17 लाख की बचत रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2055-51-003-97- भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र सुनारिया (रोहतक)	मूल	9,51.00	9,51.00	6,98.68	(-)2,52.32	₹ 2,52.32 लाख की बचत रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई ।
2055-51-003-98- पुलिस खोज तथा प्रशिक्षण	मूल	11,09.00	11,09.00	8,38.98	(-)2,70.02	₹ 2,70.02 लाख की बचत रिक्त पदों के न भरने तथा चतुर्थ श्रेणी अमले की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई ।
2055-51-101-95- विशेष कार्य बल	मूल	6,00.00	6,00.00	3,59.42	(-)2,40.58	₹ 2,40.58 लाख की बचत रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई ।
2055-51-101-96- साइबर अपराध पुलिस थाने/सेल	मूल	1,55.99	1,55.99	88.64	(-)67.35	₹ 67.35 लाख की बचत रिक्त पदों के न भरने तथा आउट सोर्सिंग कर्मचारियों की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई ।
2055-51-101-97- राज्य पुलिस शिकायत अथोरिटी	मूल	1,21.00	1,21.00	40.93	(-)80.07	₹ 80.07 लाख की बचत रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई ।
2055-51-101-98- अपराध सम्बंधी कानून	मूल	52,35.00	52,35.00	47,01.41	(-)5,33.59	₹ 5,33.59 लाख की रिक्त पदों के न भरने, विशेष वस्तुओं की कम खरीद तथा विभाग द्वारा मित्तव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुई ।

अनुदान संख्या 36-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2055-51-101-99- खूफिया एवं एस सी आर बी	मूल	1,72,54.00	1,72,54.00	1,54,19.45	(-)18,34.55	₹ 18,34.55 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 36/645-46 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2055-51-109-94- सामुदायिक पुलिस	मूल	3,00.00	3,00.00	2,02.95	(-)97.05	₹ 97.05 लाख की बचत विभाग द्वारा मित्तव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुई।
2055-51-109-95- हरियाणा राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00 लाख की बचत खरीद को अन्तिम रूप न देने के कारण हुई।
2055-51-109-96- हरियाणा कैडेट कोर	मूल	6,68.00	6,68.00	1,90.94	(-)4,77.06	₹ 4,77.06 लाख की बचत विभाग द्वारा मित्तव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुई।
2055-51-109-97- विशेष महिला पुलिस स्वयंसेवक	मूल	1,15.00	1,15.00	67.35	(-)47.65	₹ 47.65 लाख की बचत विभाग द्वारा मित्तव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 36-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2055-51-111-99- रेलवे तथा कमान्डो बल	मूल	1,43,93.00	1,43,93.00	1,19,73.33	(-)24,19.67	₹ 24,19.67 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 36/645-46 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2055-51-114-96- अपराध और अपराधी खोज नेटवर्क और सिस्टम	मूल	5,00.00	5,00.00	3,88.84	(-)1,11.16	₹ 1,11.16 लाख की बचत खरीद को अन्तिम रूप न देने के कारण हुई।
2055-51-114-99- बेतार तथा कम्प्युटर (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	1,30,00.00	1,30,00.00	48,96.98	(-)81,03.02	₹ 81,03.02 लाख की बचत खरीद को अन्तिम रूप न देने के कारण हुई।
2055-51-115-99- उपकरणों की खरीद	मूल	34,00.00	34,00.00	7,47.45	(-)26,52.55	₹ 26,52.55 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 36/645-46 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2055-51-116-98- क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला स्टाफ	मूल	3,69.00	3,39.00	69.11	(-)2,69.89	₹ 2,69.89 लाख की बचत चतुर्थ श्रेणी अमले की स्वीकृति प्राप्त न होने तथा रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 36-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2055-51-116-99- फोरेंसिक विज्ञान- प्रयोगशाला स्टाफ	मूल	26,84.00	26,84.00	17,25.07	(-)9,58.93	₹ 9,58.93 लाख की बचत चतुर्थ श्रेणी अमले की स्वीकृति प्राप्त न होने तथा रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई ।
2055-51-800-98- हरियाणा पुलिस आवास निगमों को ब्याज तथा सहायता अनुदान की अदादयगी	मूल	1,55,00.00	1,55,00.00	70,33.84	(-)84,66.16	₹ 84,66.16 लाख की बचत स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई ।
2070-51-106-99- निदेशन तथा प्रशासन	मूल	2,75.00	2,75.00	2,29.69	(-)45.31	₹ 45.31 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 36/645-46 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2070-51-107-99- निदेशन तथा प्रशासन	मूल	28,74.00	28,74.00	22,38.35	(-)6,35.65	₹ 6,35.65 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 36/645-46 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

(4) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

अनुदान संख्या 36-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2055-51-113-99- पुलिस कल्याण	मूल	8,00.00	8,00.00	14,85.08	(+)6,85.08	₹ 6,85.08 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 36/645-46 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

प्रभारित विनियोग

(5) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2055-51-109-99- जिला पुलिस बल	मूल	80.00	80.00	46.83	(-)33.17	₹ 33.17 लाख की बचत एन एच आर सी तथा माननीय न्यायालय द्वारा कम शुल्क लगाने के कारण हुई।

पूजीगत

दत्तमत अनुदान

(6) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4055-51-207-97- पुलिस स्टेशन	मूल	3,00,00.00	3,00,00.00	1,69,05.42	(-)1,30,94.58	₹ 1,30,94.58 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 36/645-46 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 36-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4055-51-207-99- कार्यालय भवन	मूल	1,10,00.00	1,10,00.00	60,64.20	(-)49,35.80	₹ 49,35.80 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 36/645-46 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-37-निर्वाचन

(मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,75,63,91	3,05,03,91	1,33,92,56	(-)1,71,11,35
पूरक	1,29,40,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

- (1) ₹ 1,71,11.35 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 1,29,40 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2015-51-101-97- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) एस ई सी- राज्य चुनाव आयोग हरियाणा (SEC-PLO-REV)	मूल	0.01	1,29,40.01	0	(-)1,29,40.01	₹ 1,29,40.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/ हरि/ 19-20/20- 21/ अनु.सं. 37/556- 57 दिनांक 10-08- 2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	1,29,40.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2015-51-101-98- पंचायत चुनाव कराने हेतु जिला अमला	मूल	3,15.90	3,15.90	1,06.35	(-)2,09.55	₹ 2,09.55 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 37/556-57 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2015-51-101-99- पंचायत चुनाव कराने हेतु मुख्यालय अमला	मूल	6,02.50	6,02.50	4,61.05	(-)1,41.45	₹ 1,41.45 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 37/556-57 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2015-51-103-98- मतदाता सूचियों का मुद्रण	मूल	3,15.00	3,15.00	2,74.80	(-)40.20	₹ 40.20 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति न देने से खजाना द्वारा बिलों के भुगतान न करने के कारण हुई।
2015-51-103-99- मतदाता सूचियाँ तैयार करना	मूल	23,75.00	23,75.00	17,16.25	(-)6,58.75	₹ 6,58.75 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 37/556-57 दिनांक 10-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 37-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2015-51-105-98- उप चुनाव	मूल	3,65.00	3,65.00	0.00	(-)3,65.00	₹ 3,65 लाख की बचत वर्ष के दौरान राज्य में लोक सभा के उप चुनाव न होने के कारण हुई ।
2015-51-105-99- आम चुनाव	मूल	58,45.00	58,45.00	48,59.69	(-)9,85.31	₹ 9,85.31 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति न देने से खजाना द्वारा बिलों के भुगतान न करने के कारण हुई ।
2015-51-106-98- उप चुनाव	मूल	4,70.00	4,70.00	11.73	(-)4,58.27	₹ 4,58.27 लाख की बचत वर्ष के दौरान राज्य में लोक सभा के उप चुनाव न होने के कारण हुई ।
2015-51-106-99- आम चुनाव	मूल	55,00.00	55,00.00	42,95.70	(-)12,04.30	₹ 12,04.30 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति न देने से खजाना द्वारा बिलों के भुगतान न करने के कारण हुई ।

अनुदान संख्या-38-लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति

(मुख्य शीर्ष-2215-जलापूर्ति तथा सफाई, 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	21,36,73,46	21,52,79,46	18,07,77,59	(-)3,45,01,87
पूरक	16,06,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	14,70,58,26	14,70,58,26	11,73,72,23	(-)2,96,86,03
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

- (1) ₹ 3,45,01.87 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 16,06 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा ।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2215-01-001-89- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (PLO) सार्वजनिक स्वास्थ्य (PUH- PLO-REV)	मूल	0.01	16,06.01	0	(-)16,06.01	₹ 16,06.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	16,06.00				
2215-01-001-96- कार्यकारी अभियन्ता तथा उनकी स्थापना नियमित/स्थाई किया गया मकैनिकल अमला	मूल	6,46,60.50	6,46,60.50	5,08,80.47	(-)1,37,80.03	₹ 1,37,80.03 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19- 20/20-21/ अनु.सं. 38/ 662-63 दिनांक 18-08- 2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2215-01-001-97- कार्यकारी अभियन्ता एवं उनकी स्थापना	मूल	1,45,00.60	1,45,00.60	1,18,86.29	(-)26,14.31	₹ 26,14.31 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2215-01-001-99- मुख्यालय अमला- मुख्य अभियन्ता तथा उसकी स्थापना (98-स्थापना व्यय)	मूल	25,78.05	25,78.05	18,60.18	(-)7,17.87	₹ 7,17.87 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 38-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2215-01-003-99- सूचना शिक्षा संचार गतिविधियां	मूल	1,20.00	1,20.00	89.13	(-)30.87	₹ 30.87 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2215-01-101-96- आपरेशन तथा मेंटीनेंस शहरी जल सप्लाई तथा निकासी	मूल	7,00.00	7,00.00	5,31.26	(-)1,68.74	₹ 1,68.74 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2215-01-101-99- शहरी जल सप्लाई तथा मल निकास का रख-रखाव (97-नहरी जल प्रभार)	मूल	3,00.00	3,00.00	74.55	(-)2,25.45	₹ 2,25.45 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2215-01-101-99- शहरी जल सप्लाई तथा मल निकास का रख रखाव (98-रख रखाव प्रभार)	मूल	1,75,00.00	1,75,00.00	1,46,58.80	(-)28,41.20	₹ 28,41.20 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 38-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2215-01-101-99- शहरी जल सप्लाई तथा मल निकास का रख रखाव (99-उर्जा प्रभार)	मूल	3,00,00.00	3,00,00.00	2,46,41.74	(-)53,58.26	₹ 53,58.26 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2215-01-789-98- शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी पीने वाले जल आपूर्ति योजना के तहत बनाई प्रतिष्ठानों का रख रखाव	मूल	6,90.00	6,90.00	4,33.89	(-)2,56.11	₹ 2,56.11 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2215-01-789-99- ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति योजना पीने इंदिरा गांधी के तहत बनाई प्रतिष्ठानों का रखरखाव	मूल	17,25.00	17,25.00	10,26.50	(-)6,98.50	₹ 6,98.50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(4) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2215-01-799- उचन्त	मूल	6,80.00	6,80.00	19,46.28	(+)12,66.28	₹ 12,66.28 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

पूँजीगत

दत्तमत अनुदान

(5) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4215-01-101-94- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	मूल	30,00.00	30,00.00	7,54.86	(-)22,45.14	₹ 22,45.14 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4215-01-101-99- शहरी जल आपूर्ति (99-जल आपूर्ति बढ़ौतरी)	मूल	1,47,06.00	1,47,06.00	1,03,15.32	(-)43,90.68	₹ 43,90.68 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4215-01-102-86- ग्रामीण एवं शहरी जल आपूर्ति तथा सीवरेज कार्यों के लिए अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजा	मूल	50,00.00	50,00.00	23,25.29	(-)26,74.71	₹ 26,74.71 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 38-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4215-01-102-93- ग्रामीण जलापूर्ति (90-गाँव में पीने के पानी की आपूर्ति के महाग्राम योजना)	मूल	50,00.00	50,00.00	23,07.69	(-)26,92.31	₹ 26,92.31 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4215-01-102-93- ग्रामीण जलापूर्ति (93-नाबार्ड)	मूल	2,55,00.00	2,55,00.00	2,18,98.65	(-)36,01.35	₹ 36,01.35 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4215-01-102-98- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति (91-एन आर डी. डब्ल्यू. पी.- राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मिशन)	मूल	10,00.00	10,00.00	6,07.69	(-)3,92.31	₹ 3,92.31 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4215-01-102-98- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति (93-एन.आर.डी. डब्ल्यू.पी -जल गुणवत्ता अनुश्रवण निगरानी डब्ल्यू.क्यू.एम. एस.)	मूल	8,00.00	8,00.00	3,62.50	(-)4,37.50	₹ 4,37.50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4215-01-102-98 त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति (94- राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना सहायता गतिविधियाँ)	मूल	8,00.00	8,00.00	5,19.93	(-)2,80.07	₹ 2,80.07 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4215-01-102-98 त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति (96- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना- आपदायें)	मूल	1,00.00	1,00.00	59.29	(-)40.71	₹ 40.71 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4215-01-102-98- त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति (99-राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना अधिकृत केन्द्रीय)	मूल	1,60,00.00	1,60,00.00	86,49.08	(-)73,50.92	₹ 73,50.92 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4215-01-789-93- एन आर डी डब्ल्यू पी के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	मूल	40,00.00	40,00.00	28,41.09	(-)11,58.91	₹ 11,58.91 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4215-01-789-96- ग्रामीण जलपूर्ती में वृद्धि के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	71,84.33	(-)28,15.67	₹ 28,15.67 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4215-01-789-98- ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति का प्रभुत्व बस्ती को पानी की आपूर्ति	मूल	15,00.00	15,00.00	12,02.55	(-)2,97.45	₹ 2,97.45 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4215-01-789-99- शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों का प्रभुत्व बस्ती को आपूर्ति	मूल	2,94.00	2,94.00	2,23.63	(-)70.37	₹ 70.37 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4215-01-799-99- स्टाक (98-क्रेडिट स्टॉक)	मूल	5,00.00	5,00.00	0	(-)5,00.00	₹ 5,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 38-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4215-01-800-98- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अधिगृहित भूमि का वार्षिक भुगतान	मूल	4,00.00	4,00.00	2,29.95	(-)1,70.05	₹ 1,70.05 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4215-02-101-90- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	मूल	4,38.25	4,38.25	0.00	(-)4,38.25	₹ 4,38.25 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
4215-02-102-98- ग्रामीण सफाई (97-गांव में सीवरेज सिस्टम प्रदान करने के लिए महा ग्राम योजना)	मूल	50,00.00	50,00.00	18,66.83	(-)31,33.17	₹ 31,33.17 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(6) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4215-01-789-97- नाबार्ड के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	मूल	45,00.00	45,00.00	54,53.46	(+)9,53.46	₹ 9,53.46 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08- 2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 38-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4215-01-800-99- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का सांस्थानिक सुदृढीकरण	मूल	5,00.00	5,00.00	6,19.95	(+)1,19.95	₹ 1,19.95 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे /1-4/ हरि/ 19-20/20-21/ अनु.सं. 38/662-63 दिनांक 18-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

अनुदान संख्या-39-सूचना तथा प्रचार

(मुख्य शीर्ष- 2205-कला तथा संस्कृति, 2220 सूचना तथा प्रचार, 4220-सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,86,10,01	2,61,10,01	2,30,42,41	(-)30,67,60
पूरक	75,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	50,00,01	50,30,01	40,30,00	(-)10,00,01
पूरक	30,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियाँ एवं टीकाएँ

राजस्व

- (1) ₹ 30,67.60 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 75,00 लाख का पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.4.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसीलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2220-01-001-97- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) जन सम्पर्क विभाग (PUR-PLO-REV)	मूल	0.01	75,00.01	0	(-)75,00.01	₹ 75,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 39/649-50 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	75,00.01				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2220-01-105-99- फिल्मों का निर्माण (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	2,45.00	2,45.00	2,13.53	(-)31.47	₹ 31.47 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या वनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 39/649-50 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2220-60-199-99- सम्वाद सोसाइटी को अनुदान सहायता	मूल	2,50.00	2,50.00	1,75.00	(-)75.00	₹ 75 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 39/649-50 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2220-60-800-91- आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्य का उन्नयन (95-हरियाणा एवं साहित्य इतिहास की स्थापना)	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00	₹ 1,50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 39/649-50 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-39-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2220-60-800-91- आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्य का उन्नयन (96-हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना)	मूल	1,00.00	1,00.00	45.00	(-)55.00	₹ 55 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 39/649-50 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2220-60-800-91- आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्य का उन्नयन (97-पंजाबी अकादमी की स्थापना)	मूल	1,00.00	1,00.00	70.00	(-)30.00	₹ 30 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 39/649-50 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2220-60-800-91- आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्य का उन्नयन (98-हाली उर्दू अकादमी की स्थापना)	मूल	1,00.00	1,00.00	45.00	(-)55.00	₹ 55 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 39/649-50 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2220-60-800-91- आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्य का उन्नयन (99-हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना)	मूल	6,00.00	6,00.00	3,35.00	(-)2,65.00	₹ 2,65 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 39/649-50 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-39-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2220-60-800-97- सांस्कृतिक क्रिया-कलापों का विकास	मूल	15,64.00	15,64.00	3,72.96	(-)11,91.04	₹ 11,91.04 लाख के बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 39/649-50 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2220-01-105-99- फिल्मों का निर्माण (98-स्थापना खर्च)	मूल	5,00.00	5,00.00	10,89.04	(+)5,89.04	₹ 5,89.04 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 39/649-50 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2220-60-003-99- अनुसंधान एवं रैफरैन्स अनुभाग	मूल	5,67.00	5,67.00	8,35.49	(+)2,68.49	₹ 2,68.49 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 39/649-50 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-39-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2220-60-101-97- प्रदर्शनी	मूल	4,41.00	4,41.00	12,09.06	(+)7,68.06	₹ 7,68.06 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 39/649-50 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2220-60-103-98- सूचना केन्द्र	मूल	85,05.00	85,05.00	1,35,21.10	(+)50,16.10	₹ 50,16.10 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 39/649-50 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

पूंजीगत

दत्तमत अनुदान

(5) ₹ 10,00.01 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 30 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।

(6) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या-39-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4220-60-001-99- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) जन सम्पर्क (PUR-PLO-CAP)	मूल	0.01	30.01	0	(-)30.01	₹ 30.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/हरि/18-19/19-20/ अनु.सं. 39/634-35 दिनांक 29-07-2019 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	30.00				
4220-60-101-97- पंचकूला में सूचना भवन के निर्माण के लिए आबंटित भूखंड का भुगतान	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	₹ 10,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/हरि/18-19/19-20/ अनु.सं. 39/634-35 दिनांक 29-07-2019 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(7) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4220-60-101-96- मीडिया केन्द्रों का निर्माण और स्थापना (99-पानीपत)	मूल	0.00	0.00	30.00	(+)30.00	₹ 30 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/ 20-21/अनु.सं.39/ 649-50 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-40-ऊर्जा तथा विद्युत

(मुख्य शीर्ष-2801-विद्युत, 2810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय, 5425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजीगत पूंजीव्यय)

राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	73,66,92,49	88,66,92,49	70,28,67,12	(-) 18,38,25,37
पूरक	15,00,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	58,57,69,04	58,57,69,04	58,41,13,28	(-) 16,55,76
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹ 18,38,25.37 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 15,00,00 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा था।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिए गए बचत तथा आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या-40-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2801-80-001-98- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) शक्ति (POW-PLO-REV)	मूल	0.01	15,00,00.01	0	(-)15,00,00.01	₹ 15,00,00.01 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.40/653-56 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	15,00,00				
2810-51-001-99- नई और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रशासनिक सेटअप	मूल	3,05.00	3,05.00	2,59.36	(-)45.64	₹ 45.64 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.40/653-56 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2810-51-101-98-राज्य में सौर जल पंपिंग प्रणाली की स्थापना	मूल	4,00,00.00	4,00,00.00	10,91.61	(-)3,89,08.39	₹ 3,89,08.39 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.40/653-56 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-40-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2810-51-101-99- ग्रीड कनेक्टेड स्फटाप एस पी वी पावर प्लांट प्रोग्राम	मूल	50,00.00	50,00.00	16,02.25	(-)33,97.75	₹ 33,97.75 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/ 20-21/अनु.सं.40 /653-56 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2810-51-103-99- शहरी औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए नई और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रचार	मूल	1,30.00	1,30.00	38.54	(-)91.46	₹ 91.46 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/ 20-21/अनु.सं.40 /653-56 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2810-51-104-99- अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान डिजाइन और विकास	मूल	2,55.00	2,55.00	1,03.54	(-)1,51.46	₹ 1,51.46 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/ 20-21/अनु.सं.40 /653-56 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2810-51-190-98- ऊर्जा कुशल निर्माण कार्यक्रम	मूल	1,05.00	1,05.00	37.89	(-)67.11	₹ 67.11 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/ 20-21/अनु.सं.40 /653-56 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-40-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2810-51-190-99-नई और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और उर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सहायक कार्यक्रम	मूल	1,50.00	1,50.00	67.50	(-)82.50	₹ 82.50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.40/653 - 56 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3425-60-001-87-ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (99-राज्य अंश)	मूल	6,96.00	6,96.00	5,76.94	(-)1,19.06	₹ 1,19.06 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.40/653 -56 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3425-60-001-88-कार्यालय स्वचालित कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी (99-सूचना प्रौद्योगिकी)	मूल	40.00	40.00	3.00	(-)37.00	₹ 37 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.40/653 - 56 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3425-60-001-93-टिशू कल्चर तकनीक द्वारा उच्च स्तरीय पौधों की सामग्री के लिए माइक्रो प्रोपेगेशन	मूल	2,47.46	2,47.46	0.00	(-)2,47.46	₹ 2,47.46 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.40/653 -56 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-40-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3425-60-001-95-हरसक (हिसार) को सहायता अनुदान	मूल	6,19.00	6,19.00	3,48.66	(-)2,70.34	₹ 2,70.34 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/ 20-21/अनु.सं.40/653 -56 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3425-60-001-97-विज्ञान तथा तकनीकी परिषद् को सहायतानुदान	मूल	7,00.00	7,00.00	65.59	(-)6,34.41	₹ 6,34.41 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/ 20-21/अनु.सं.40/653 -56 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
3425-60-001-99-वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्यक्रम	मूल	5,08.00	5,08.00	2,97.51	(-)2,10.49	₹ 2,10.49 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/ 20-21/अनु.सं.40/653 -56 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-40-जारी

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2810-51-102-99-नई और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रचार	मूल	30.00	30.00	4,53.68	(+)4,23.68	₹ 4,23.68 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/हरि/19-20/ 20-21/ अनु.सं.40/653 -56 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2810-51-789-99-अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए एल ई डी आधारित सौर परिवर्तन पर शिक्षा दर्शक योजना	मूल	1.00	1.00	35.55	(+)34.55	₹ 34.55 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं.40/653-56 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

**पूंजीगत
दत्तमत अनुदान**

(5) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4810-51-101-99-सौर पैनल और सहयोगी उपकरणों की खरीद और स्थापना (99-राज्य में गौशाला में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना)	मूल	9,19.00	9,19.00	4,63.28	(-)4,55.72	₹ 4,55.72 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं.40/653-56 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5425-51-600-99- सोनीपत में विज्ञान शहर की स्थापना	मूल	20,00.00	20,00.00	0.00	(-)20,00.00	₹ 20,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.40/653-56 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(6) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5425-51-600-98-अम्बाला छावनी में विज्ञान केन्द्र की स्थापना	मूल	3,50.00	3,50.00	11,50.00	(+)8,00.00	₹ 8,00 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ 1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.40/653-56 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-41-इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी

(मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,52,74,51	1,56,94,51	54,49,86	(-)1,02,44,65
पूरक	4,20,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियाँ एवं टीकाएँ

राजस्व

- (1) ₹ 1,02,44.65 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत अगस्त 2019 में प्राप्त ₹ 4,20 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा था।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.4.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2852-07-190-98-विभिन्न ई-गवर्नस सेवा के लिए काल सेटंर की स्थापना	मूल	2,00.00	2,00.00	1,40.00	(-)60.00	₹ 60 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 41/542-43 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2852-07-190-99-हरियाणा में चीजों के इंटरनेट के लिए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करना	मूल	2,00.00	6,20.00	1,80.00	(-)4,40.00	₹ 4,40 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 41/542-43 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
	पूरक	4,20.00				
2852-07-202-87-स्टार्ट-अप और आई.टी. और ई. एस.डी.एम. नीति के तहत इकाइयों की स्थापना के लिए सब्सिडी	मूल	20,00.00	20,00.00	0.00	(-)20,00.00	₹ 20,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 41/542-43 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2852-07-202-88-हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण की स्थापना	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹ 50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 41/542-43 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2852-07-202-89-राष्ट्रीय ई-शासन कार्य योजना	मूल	15,97.00	15,97.00	9,30.00	(-)6,67.00	₹ 6,67 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 41/542-43 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2852-07-202-91-हरियाणा के लिए आई.टी.योजना	मूल	67,50.00	67,50.00	13,50.00	(-)54,00.00	₹ 54,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 41/542-43 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2852-07-202-93-राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सैमिनार कार्यशाला प्रदर्शनी का आयोजन	मूल	50.00	50.00	35.00	(-)15.00	₹ 15 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 41/542-43 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 41-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2852-07-202-95-इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग का संगठन एवं प्रशासन (98-स्थापना व्यय)	मूल	11,77.00	11,77.00	5,39.45	(-)6,37.55	₹ 6,37.55 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 41/542-43 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2852-07-202-96-कम्प्युटर नेटवर्क	मूल	29,00.00	29,00.00	20,30.00	(-)8,70.00	₹ 8,70 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 41/542-43 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2852-07-202-98-यू0एन0डी0पी0 के अन्तर्गत अम्बाला में यंत्रों के डिजाइन के विकास एवं सुविधा केन्द्र की स्थापना	मूल	3,50.00	3,50.00	2,45.00	(-)1,05.00	₹ 1,05 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 41/542-43 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(मुख्य शीर्ष-2014 न्याय प्रशासन)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	8,70,31,62	9,10,54,24	6,24,08,81	(-)2,86,45,43
पूरक	40,22,62			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

प्रभारित

मूल	1,45,95,98	1,63,94,74	1,57,04,27	(-)6,90,47
पूरक	17,98,76			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹ 2,86,45.43 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 तथा मार्च 2020 में प्राप्त ₹ 40,22.62 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। पुनर्विनियोजन आदेशों में दिए गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2014-51-102-96- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (PLO) पी एच सी-उच्च न्यायालय (PHC-PLO-REV)	मूल	0.01	40,22.62	0	(-)40,22.62	₹ 40,22.62 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/हरि/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 42/544-45 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	40,22.61				

अनुदान संख्या-42- जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2014-51-105-94- केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत न्याय के वितरण में सुधार (94-तीव्र ट्रैक न्यायालय)	मूल	97,28.00	97,28.00	0.00	(-)97,28.00	₹ 97,28 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ हरि/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 42/544-45 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2014-51-105-94- केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत न्याय के वितरण में सुधार (95-परिवार न्यायालय)	मूल	46,82.50	46,82.50	0.00	(-)46,82.50	₹ 46,82.50 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ हरि/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 42/544-45 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2014-51-105-94- केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत न्याय के वितरण में सुधार (96-अतिरिक्त न्यायालय)	मूल	59,32.50	59,35.50	12,96.50	(-)46,36.00	₹ 46,36 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ हरि/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 42/544-45 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2014-51-105-97- अधीनस्थ न्यायाधीश	मूल	2,09,33.00	2,09,33.00	1,88,07.15	(-)21,25.85	₹ 21,25.85 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ हरि/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 42/544-45 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या-42- जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2014-51-105-98- आदेशवाहक स्थापना जिला तथा सत्र न्यायधीश न्यायालय	मूल	2,21.77	2,21.77	1,68.50	(-)53.27	₹ 53.27 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ हरि/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 42/544-45 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2014-51-110-99- महाप्रशासक और शासकीय न्यासी (98-स्थापना व्यय)	मूल	65.32	65.32	54.63	(-)10.69	₹ 10.69 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ हरि/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 42/544-45 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2014-51-114-95-मेडियेशन और कंसीलेशन प्रोग्राम	मूल	1,50.00	1,50.00	53.83	(-)96.17	₹ 96.17 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ हरि/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 42/544-45 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।
2014-51-114-96- हरियाणा राज्य विधि सेवा अधिकरण (805) जेल नियम, 1996 (93- कानून स्कूल)	मूल	2,00.00	2,00.00	8.59	(-)1,91.41	₹ 1,91.41 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है । संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ हरि/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 42/544-45 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ।

अनुदान संख्या-42-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2014-51-114-96- हरियाणा राज्य विधि सेवा अधिकरण (805) जेल नियम, 1996 (94-मध्यस्थों)	मूल	12,86.00	12,86.00	70.73	(-)12,15.27	₹ 12,15.27 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ हरि/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 42/544-45 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं ॥
2014-51-114-96- हरियाणा राज्य विधि सेवा अधिकरण (805) जेल नियम, 1996 (97-लोक अदालत तथा लीगल सहायता)	मूल	1,41.00	1,41.00	28.81	(-)1,12.19	₹ 1,12.19 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ हरि/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 42/544-45 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2014-51-114-96- हरियाणा राज्य विधि सेवा अधिकरण (805) जेल नियम, 1996 (98-स्थापना व्यय)	मूल	19,56.02	19,56.02	17,53.10	(-)2,02.92	₹ 2,02.92 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ हरि/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 42/544-45 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2014-51-114-98- निदेशक अभियोजन (97-लोक अभियोजकों का प्रशिक्षण)	मूल	80.00	80.00	68.64	(-)11.36	₹ 11.36 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ हरि/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 42/544-45 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(4) आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2014-51-114-96- हरियाणा राज्य विधि सेवा अधिकरण (805) जेल नियम, 1996 (96-ए. डी. आर. केन्द्र)	मूल	4,50.00	4,50.00	8,54.00	(+)4,04.00	₹ 4,04 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ हरि/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. 42/544-45 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

प्रभारित विनियोग

(5) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2014-51-102-99- न्यायाधीश	मूल	14,72.33	14,72.33	9,90.72	(-)4,81.61	₹ 4,81.61 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ हरि/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 42/544-45 दिनांक 07-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(मुख्य शीर्ष-2056-जेल)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	2,77,27,01	2,80,27,01	2,20,01,28	(-)60,25,73
पूरक	3,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

- (1) ₹ 60,25.73 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत अगस्त ₹ 3,00 लाख का अगस्त 2019 में प्राप्त पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक नहीं पहुँचा था।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.4.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। पुनर्विनियोजन आदेशों में दिए गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2056-51-001-97-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (PLO) जेल (PRI-PLO-REV)	मूल	0.01	3,00.01	0	(-)3,00.01	₹ 3,00.01 लाख की बचत निधियों के अपयोजन से सम्बन्धित मामले का अनुमोदन न होने के कारण हुई।
	पूरक	3,00.00				

अनुदान संख्या-43-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2056-51-001-99- मुख्यालय अमला- जेलें	मूल	6,58.00	6,58.00	5,85.47	(-)72.53	₹ 72.53 लाख की बचत पदों के रिक्त रहने तथा सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की खरीद को अन्तिम रूप न देने के कारण हुई।
2056-51-101-96- जेल भवनों का रखरखाव	मूल	75.00	75.00	42.95	(-)32.05	₹ 32.05 लाख की बचत लम्बित बिलों के आहरण न करने तथा मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुई।
2056-51-102-98- जिला जेलें	मूल	3,06.20	3,06.20	1,41.65	(-)1,64.55	₹ 1,64.55 लाख की बचत पदों के रिक्त रहने जिला जेल फैक्टरी में कम कैदियों को भगाने, जेल फैक्टरी पर अनुमान से कम आदेश प्राप्ति तथा फैक्टरी उपकरणों की कम स्थापना के कारण हुई।
2056-51-102-99-केन्द्रीय जेलें	मूल	2,05.80	2,05.80	75.05	(-)1,30.75	₹ 1,30.75 लाख की बचत पदों के रिक्त रहने तथा जेल फैक्टरी पर अनुमान से कम आदेश प्राप्ति के कारण हुई।
2056-51-800-99- जेलों का आधुनिकीकरण	मूल	35,00.00	35,00.00	2,05.27	(-)32,94.73	₹ 32,94.73 लाख की बचत अमले का प्रशिक्षण संचालन न करने, अनुबन्धित अमले को न लगाने तथा वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा 4जी जैमर्स की खरीद को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या-44- मुद्रण तथा लेखन सामग्री

(मुख्य शीर्ष-2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2202-सामान्य शिक्षा, 4058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिच्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	39,18,45	39,18,45	25,06,09	(-)14,12,36
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

प्रभारित

मूल	39,56	39,56	34,30	(-)5,26
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,50,01	1,50,01	1,49,91	(-)10
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (2) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या -44-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2058-51-001-99-नियंत्रक लेखन सामग्री तथा मुद्रण तथा उसका अमला	मूल	2,39.68	2,39.68	2,03.33	(-)36.35	₹ 36.35 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ हरि/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 44/651-52 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2058-51-101-99-लेखन सामग्री कार्यालय तथा भण्डार	मूल	9,91.35	9,91.35	1,00.33	(-)8,91.02	₹ 8,91.02 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ हरि/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 44/651-52 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2058-51-103-99- स्थापना तथा मुद्रण प्रभार	मूल	10,51.50	10,51.50	8,20.36	(-)2,31.14	₹ 2,31.14 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ हरि/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 44/651-52 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
2058-51-104-99- निजी मुद्रणालय	मूल	1,50.00	1,50.00	1,17.57	(-)32.43	₹ 32.43 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ हरि/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 44/651-52 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 44-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2202-01-108-98-पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण तथा प्रकाशन	मूल	12,81.00	12,81.00	10,97.86	(-)1,83.14	₹ 1,83.14 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/ हरि/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. 44/651-52 दिनांक 17-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

(3) मूल्यहास आरक्षित निधि में से किया गया व्यय-सरकारी मुद्रणालय:-

वर्ष के दौरान आरक्षित निधि में अंशदान अनुदान के अन्तर्गत व्यय ₹ 11.31 लाख शामिल है। 31 मार्च 2020 को इस निधि के क्रेडिट में बकाया नीचे दर्शाया गया है:-

आरक्षित निधि तथा प्रयोजन	आदि शेष 1.04.2019	2019-20 के दौरान अंशदान	वर्ष 2019-20 के दौरान निधि के अन्तर्गत संचित राशि पर ब्याज	निधि में जमा (क्रेडिट) की कुल राशि	2019-20 के दौरान व्यय	31 मार्च 2020 का शेष
1	2	3	4	5	6	7
(₹लाख में)						
8115-104 (1)- मूल्यहास आरक्षित निधि (सरकारी मुद्रणालय) में मशीनरी और फर्नीचर के नवीनीकरण और प्रतिस्थापना की लागत को पूरा करने के लिए	10,48.46	11.31	1,68.03	1,79.34	0	12,27.80

मूल्यहास आरक्षित निधि (सरकारी मुद्रणालयों) को अंशदान प्रत्येक वर्ष स्थायी परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य पर निश्चित दरों के हिसाब से किए जाते हैं। संचित राशियों पर ब्याज भी निधि में जमा (क्रेडिट) किया जाता है। निधि के लेन-देनों का लेखा वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 तथा 22 में दिया गया है।

लोक ऋण (सभी प्रभारित)

(मुख्य शीर्ष-6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण, 6004-केन्द्रीय सरकार से कर्जे तथा अग्रिम)

पूँजीगत
प्रभारित

		कुल विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	2,02,57,14,73	2,02,57,14,73	1,57,75,51,09	(-)44,81,63,64
पूरक	0			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

- (1) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिये गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (2) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
6003-51-107-99-भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंक से कर्जे	मूल	1,30,00,00.00	1,30,00,00.00	80,00,00.00	(-)50,00,00.00	₹ 50,00,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. पी डी/701-02 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

- (3) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

लोक ऋण -समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
6003-51-108-99- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	मूल	5,32,46.71	5,32,46.71	6,31,44.65	(+) 98,97.94	₹ 98,97.94 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. पी डी/701-02 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
6003-51-109-97- सड़कों के उत्थान हेतु एन सी आर पी बी से कर्जे (भवन तथा सड़कों)	मूल	1,17,55.58	1,17,55.58	1,38,62.54	(+) 21,06.96	₹ 21,06.96 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं. पी डी/701-02 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
6003-51-110- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (51- एन ए)	मूल	9,15,00.00	9,15,00.00	12,61,75.00	(+) 3,46,75.00	₹ 3,46,75 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. पी डी/701-02 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
6004-02-101- ब्लाक कर्जे (51- एन ए)	मूल	1,06,14.36	1,06,14.36	1,65,60.97	(+) 59,46.61	₹ 59,46.61 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं. पी डी/701-02 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 45-राज्य सरकार द्वारा कर्ज और पेशगियां

(मुख्य शीर्ष-6401-फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज, 6408-खाद्वय भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज, 6425-सहकारिता के लिए कर्ज, 6515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज, 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, 6851-ग्राम उद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज, 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज, 7465-सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिए कर्ज, 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज इत्यादि)

पूँजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	14,07,27,01	16,82,27,01	13,09,24,94	(-)3,73,02,07
पूरक	2,75,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

पूँजीगत

- (1) ₹ 3,73,02.07 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, अगस्त 2019 में लिया गया ₹ 2,75,00 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा।
- (2) निर्दिष्ट तिथि 15.04.2020 के पश्चात प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसलिए पुनर्विनियोजन आदेशों में दिए गए बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय ₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
6408-02-190-99-हरियाणा भाण्डागार निगम को ग्रामीण गोदाम के निर्माण के लिए कर्ज (नाबार्ड)	मूल	18,00.00	18,00.00	0.00	(-)18,00.00	₹ 18,00 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.45/705-11 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 45-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
6425-51-108-82- एन सी डी सी की केन्द्रीय क्षेत्र की एकीकृत योजना के तहत सरकारी समितियों को ऋण	मूल	40.00	40.00	0	(-)40.00	₹ 40 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.45/705-11 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
6425-51-108-84-सहकारी आवास प्रसंग के लिए ऋण	मूल	1,00.00	1,00.00	70.00	(-)30.00	₹ 30 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.45/705-11 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
6425-51-108-85- मशीनरी व खरीदने हेतु श्रम प्रसंग को सहायता	मूल	75.00	75.00	0	(-)75.00	₹ 75 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.45/705-11 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
6425-51-108-99-समेकित सहकारी विकास कार्यक्रम	मूल	6,00.00	6,00.00	2,50.75	(-)3,49.25	₹ 3,49.25 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.45/705-11 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 45-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
6425-51-789-98-अनुसूचित जाति को सहकारी आवास प्रसंग के लिए ऋण	मूल	1,00.00	1,00.00	70.00	(-)30.00	₹ 30 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.45/705-11 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
6515-51-102-99-राजस्व अर्जित करने हेतु ग्राम पंचायतों को कर्ज	मूल	1,80.00	1,80.00	14.69	(-)1,65.31	₹ 1,65.31 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.45/705-11 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
6801-51-205-91-हरियाणा डिस्कोम पावर प्रोजेक्ट के लिए ऋण (98- डी एच बी वी एन एल को ऋण)	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	49,21.48	(-)50,78.52	₹ 50,78.52 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.45/705-11 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
6801-51-205-91-हरियाणा डिस्कोम पावर प्रोजेक्ट के लिए ऋण (99-यू एच बी वी एन एल को ऋण)	मूल	1,31,35.00	1,31,35.00	1,11,41.52	(-)19,93.48	₹ 19,93.48 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.45/705-11 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 45-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
6801-51-800-98-आर आई डी एफ की योजनाओं के तहत नाबार्ड से एच पी जी सी एल के लिए ऋण	मूल	53,86.00	53,86.00	0.00	(-)53,86.00	₹ 53,86 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.45/705-11 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
6851-51-102-90-बिक्री कर/वैट के एवम में ब्याज मुक्त कर्जे	मूल	70,00.00	70,00.00	44,82.38	(-)25,17.62	₹ 25,17.62 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.45/705-11 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
6860-04-101-95-बिजली सह-उत्पादन और सहकारी चीनी मिलों में इथेनॉल संयन्त्र की स्थापना करना	मूल	1,00,00.00	2,75,00.00	1,30,82.03	(-)1,44,17.97	₹ 1,44,17.97 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.45/705-11 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	1,75,00.00				
7610-51-201-98- गृह निर्माण के लिए मंत्रियों, उपमंत्रियों, राज्य मंत्रियों अधिष्टता अधिकारियों व राज्य विधायकों को भवन कर्जे	मूल	15,00.00	15,00.00	1,59.00	(-)13,41.00	₹ 13,41 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/अनु.सं.45/705-11 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 45-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
7610-51-202-98- गृह निर्माण के लिए मंत्रियों, उपमंत्रियों, राज्य मंत्रियों अधिष्टता अधिकारियों व राज्य विधायकों को भवन कर्जे	मूल	5,00.00	5,00.00	3,88.85	(-)1,11.15	₹ 1,11.15 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं.45/705-11 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
7610-51-800-98-उत्सव पेशगियाँ	मूल	18,00.00	18,00.00	8,96.01	(-)9,03.99	₹ 9,03.99 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं.45/705-11 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
7610-51-800-99-खाद्यान्न की खरीद हेतु पेशगियाँ	मूल	80,00.00	80,00.00	48,95.96	(-)31,04.04	₹ 31,04.04 लाख की बचत के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं.45/705-11 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

अनुदान संख्या 45-समाप्त

(4) आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय ₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
6401-51-190-98- हरियाणा में गन्ना किसानों को भुगतान करने के लिए निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को वित्तीय सहायता	मूल	1.00	1,00,01.00	1,60,00.00	(+)59,99.00	₹ 59,99 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं.45/705-11 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।
	पूरक	1,00,00.00				
7610-51-202-99- मंत्रियों तथा राज्य विधायकों को छोड़कर मोटर वाहन की खरीद के लिए पेशगियां	मूल	0	0.00	74.26	(+)74.26	₹ 74.26 लाख के आधिक्य के कारण निर्धारणीय नहीं है। संबंधित विभाग से पत्र संख्या विनियोग लेखे/1-4/हरि/19-20/20-21/ अनु.सं.45/705-11 दिनांक 21-08-2020 द्वारा इसके कारण मांगे गये हैं।

परिशिष्ट

(पृष्ठ xiii पर सन्दर्भित)

अनुमानों और वसूलियों के वास्तविक आंकड़ों के अनुदानवार ब्यौरे, जिन्हें व्यय में कमी के रूप में लेखाओं में समायोजित किया गया है।

अनुदानों की संख्या और नाम	बजट अनुमान		वास्तविक आंकड़े		बजट की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	अधिकता (+) बचत(-)	
1	2	3	4	5	6	7
(₹हजार में)						
4-राजस्व	3,36,60,00	0	42,55,59	0	(-)2,94,04,41	0
8-भवन तथा सड़कें	2,00,00	1,50,00,00	5,73	1,60,59,09	(-)1,94,27	(+)10,59,09
23-खाद्य एवं पूर्ति	2,11,40,48	1,39,81,71,00	2,53,52,72	97,04,78,90	(+)42,12,24	(-)42,76,92,10
26-खान एवं भू-विज्ञान	28,60,00	0	35,59,18	0	(+)6,99,18	0
27-कृषि	15,50,00	0	0	0	(-)15,50,00	0
30-वन तथा वन्य प्राणी	91,05,19	0	0	0	(-)91,05,19	0
34-परिवहन	25,00	60,00,00	25,00	60,00,00	0	0
38-लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति	22,00,00	0	73	0	(-)21,99,27	0
जोड़	7,07,40,67	1,41,91,71,00	3,31,98,95	99,25,37,99	(-)3,75,41,72	(-)42,66,33,01

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

2020

www.cag.gov.in

www.aghry.gov.in